Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ५] द्वितीय विधान सभा के पंचम सत्र, १९५९ का १० वां दिवस [संख्या ७

बुद्धवार २५ फरवरी, १९५९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ०३ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या १९१

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १९२ व १९३

श्री भैरोंसिंह

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १९४

श्री मोहब्बतसिंह

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह

अनाज की निकासी पर प्रतिबन्ध

१९५ रावराजा श्रीसरदारसिंह (उनियारा) : क्या खाद्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जब खेती की पैदावार निकलती है तो उसके मूवमेन्ट पर तरह तरह के प्रतिबन्ध लगा कर भाव कम कर दिया जाता है तथा जब वही पैदावार बाज़ार में पहुँचती है तो उस पर से रुकावटें हटाली जातीं हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ऐसा करने से किसान वर्ग को काफी नुकसान होता है और असन्तोष व्याप्त होता है ? अगर हां, तो सरकार इस असन्तोष को दूर करने के लिए क्या प्रबन्ध कर रही है ?

खाद्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) यह सही नहीं है। (२) प्रश्न ही नहीं उठता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि इसी साल जब ज्वार की फसल निकली थी उस समय तहसीलदार, उनियारा नें यह एलॉन किया कि अनाज उनियारा से बाहर नहीं जा सकता है ?

Page No.2

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है और न गवर्नमेन्ट की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अनाज लाना और ले जाना बन्द कर दिया जाये, ऐसी आज्ञा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी आज्ञा नहीं थी लेकिन कलेक्टर को सीज़ करने के अधिकार दे रखे हैं, उसमें अगर उसने कोई कार्यवाही की हो तो इसका पता नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जैसे उस को सीज़ करने का अधिकार है लेकिन गवर्नमेन्ट की तरफ से अगर ऐसी चीज़ है तो क्या कलेक्टर गवर्नमेन्ट की कोई बॉडी नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट की ऐसी आज्ञा नहीं है लेकिन कलेक्टर को सीज़ करने का अधिकार है उस अधिकार के अन्तर्गत वह अनाज को सीज़ कर सकता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि सीज़ करने का तो अधिकार है लेकिन होल राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अनाज जाना बन्द था क्या यह बात सही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है कि ऐसी गवर्नमेन्ट की कोई आज्ञा है।

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेन्ट के आदेश का प्रश्न नहीं है। यह सवाल पहले भी आ चुका है और उस समय भी आपने कहा था कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे आदेश नहीं है कि अनाज को लाने और ले जाने से रोका जाये। यह आदेश चाहे जिसके द्वारा दिये गये हों कलेक्टर के द्वारा या किसी और के द्वारा। पर सब जगह लोगों को मालूम है कि ऐसी रुकावटें हैं तो सरकार की नीति क्या है और इसमें लीगल स्थिति क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया है कि केवल ३ डिस्ट्रिक्ट्स से गेहूं बाहर ले जाना बन्द है। लेकिन कोर्स ग्रेन का ले जाना और लाना मना नहीं है। वैसे कलेक्टर्स को कह दिया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ले जाना मना नहीं किया जाये।

श्री अध्यक्ष : अब पोज़ीशन यह है कि हमारा राज्य एक अलग ज़ोन में आ गया है अगर अनाज के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लाने ले जाने में दिक्कत रही तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चना और गेहूँ जैसे हमारे यहां स्टेट में है ही नहीं और इनकी बहुत कमी है इसलिए इनका तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मना है। बाकी कोर्स ग्रेन को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : और गेहूं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान के बाहर तो ले जाने का सवाल ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान के बाहर नहीं परन्तु अपनी ही स्टेट के अन्दर मूवमेंट की बात है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लाने की ?

Page No.3

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ला सकते हैं। लाने में कोई रूकावट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : It is a categorical statement.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिस्ट्रिक्ट में अनाज नहीं है...

श्री अध्यक्ष : सीज़ करने की पॉवर्स इस्तेमाल करें यह दूसरी चीज़ है लेकिन जनरल रेस्ट्रिक्शन न हो एक डिस्ट्रिक्ट में ले जाने में, ऐसी व्यवस्था ठीक तरह से होनी चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : This restriction is even from tehsil to tehsil...

श्री अध्यक्ष : We have got a serious complaint like that.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि गेहूं आदि अनाज की कमी है इसलिए उसको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में लाने ले जाने के लिए मना करते हैं ...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Seizing is a different matter.

श्री अध्यक्ष : Have they issued orders that movement is not allowed ? This is what the House would like to know.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर्स तो कोई इश्यु नहीं हुए हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि कलेक्टर बाई पर्मिट बाहर अनाज भेजने की इज़ाजत देते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह तो कोर्स ग्रेन वगैरह को कोई आदमी ले जाना चाहता है जो इस वजह से कि कहीं वह राजस्थान के बाहर नहीं भेज दे इसलिए उसको पर्मिट देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : नहीं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रक्ट में ही ले जाने के लिए पर्मिट देते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो आपने पॉलिसी बताई है Have you issued necessry instruction to the Collectors that they should not harrass the public. This is a very serious matter and it is going on for months.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि कलेक्टर्स को कह दिया है कि Within राजस्थान अगर कोई कोर्स ग्रेन ले जाना चाहता है तो कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : Why coarse grain alone? why not wheat also ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो इसलिए है क्योंकि व्हीट वगैरह हमारे पास ज्यादा नहीं है और उसकी स्केयरसिटी है उसको अगर कोई ले जाता है और पकड़ा जाता है तो कलेक्टर को सीज़ करने के अधिकार हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं एक बात और निवेदन करूं कि यह जो इस तरह से पर्मिट सिस्टम से अनाज बाहर जाता है, यह गवर्नमेन्ट करप्शन को प्रोत्साहन दे रही है। क्योंकि इससे तो किसानों के पास जितना अनाज पैदा नहीं होता है उससे ज्यादा नुकसान उनको बाहर नहीं ले जाने देने से है।

Page No.4

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर ऐसी बात है...

श्री भैंवरलाल काजाबादल (अकलेरा . सु) : हमारे जिले में भी एक तहसील से दूसरी तहसील में अनाज नहीं ले जाने दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आपको कई जगह बता दूं, पचास मन भरतपुर गया है...

श्री अध्यक्ष : वह तो पर्मिट द्वारा गया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : They were issued by the Collector Kotah.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह कलेक्टर ने इसलिए पाबन्दी कर रखी होगी......

श्री अध्यक्ष : यह पोज़ीशन क्लियर करिये। I wish that a statement should be given about the legal position in the House.

श्री पी० के० चौधरी : It is very strange that the Hon'ble Minister doesn't know about it.

श्री अध्यक्ष : He knows but he is hiding something.

श्रीबद्रीप्रसादगुप्ता : लीगल पोज़ीशन मैंने बता दी है। यदि कलेक्टर्स करते हैं तो हिदायत दे देंगे। I know what is happenings in the state...

रावराजा श्री सरदारसिंहजी: अब तो आप ऑर्डर कर दीजिये। फसल आने वाली है। अब तो रोक नहीं लगावें।

प्रश्न संख्या १६६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६७

श्री मोहब्बतसिंह :

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला

हथरोई बस्ती में गृह निवास की व्यवस्था

१६८. **डॉक्टर चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे ?

(१) जयपुर शहर की हथरोई बस्ती की आबादी क्या है ? क्या यह सच है कि वहां के निवासी कच्चे घरों मे रहते है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या इस बस्ती में नगरपालिका की ओर से जल, प्रकाश, सफाई, शौचालय आदि की कोई व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्या उक्त बस्ती को नल, बिजली शौचालय आदि की सुविधा अब जल्दी से जल्दी देने की व्यवस्था की जायेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्रीबद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) करीब २००,२५० घर की बस्ती है। आबादी की अलग गणना का रिकॉर्ड नहीं है और इस बस्ती में ज्यादतर मकान कच्चे है। मकान बरसों से बने हुए

Page No.5

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हैं और यहां के रहनेवालों की स्थिति अब तक पक्के मकान बनाने की नहीं हुई।

(२) इस बस्ती की मुख्य सड़क पर तीन पानी के नल है और सड़क पर बिजली भी है। इस क्षेत्र में एक शौचालय है जिस पर एक नौकर रहता है और बस्ती में सफाई स्थायी गैंग द्वारा की जाती है नल बिजली की सुविधाएं बढ़ाने के सम्बन्ध में जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसमें इस क्षेत्र की आवश्यकता पर विचार करके जरूरत के मुताबिक कार्यवाही की जावेगी।

डॉ० चन्द्रकला : इस क्षेत्र में लोगों ने पक्के मकान नहीं बनाये हैं। क्या पक्के मकान इसलिये नहीं बनाये हैं कि वहां पर पक्के मकान बनाने की इज़ाजत नहीं दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्रीजी की जानकारी में यह बात नहीं है कि यह बस्ती म्युनिसिपेलिटी के अंतर्गत है और वहां पर कच्चे मकान इसलिये हैं कि पक्के मकान बनाने के लिये म्युनिसिपेलिटी की ओर से इज़ाजत नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी में ऐसी बात नहीं है। म्युनिसिपेलिटी के ऐसे आदेश नहीं हो सकते कि पक्के मकान नहीं बनाये जा सकते।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार की जानकारी में है कि जयपुर म्युनिसिपल एरिया के अन्तर्गत कुछ क्षेत्र ऐसे है जिनमें कुछ लोग पहले से बसे हुए हैं इसलिये बसते आ रहे हैं लेकिन उनको वहां पर पक्के मकान बनाने के हक नहीं हैं क्योंकि उनको जमीन का पट्टा नहीं दिया जाता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यदि उनके पास पट्टा नहीं है तो उनको जमीन खरीदनी चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सच है कि वहां के लोगों ने पट्टा लेने के लिये कई बार कोशिश की, लेकिन उनको पट्टे नहीं मिले ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सवाल इससे कवर नहीं होता लेकिन जो लोग जमीन खरीदते है उनको पट्टा मिलता है।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि वहां पर मांगने पर भी पट्टा नहीं मिलता है। वहां के बारे में नगर विकास मंडल की नीति है। जब तक नीति निश्चित नहीं होती तब तक कुछ कर नहीं सकते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इन्कार नहीं कर सकता लेकिन ऐसी शिकायत मेरे पास नहीं आई कि पट्टा मांगा है और नहीं दिया गया।

डॉ० चन्द्रकला : अभी आपकी ओर से जबाब मिला है कि वहां पर पानी और प्रकाश की व्यवस्था है तो क्या वह वहां के लिये पर्याप्त है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : मैं जरा क्लियर कर दूं। जयपुर शहर में कुछ मकान कच्चे हैं और लोगों के कब्जे में है उनको पट्टा दिया जा सकता है बशर्ते कि

Page No.6

(डॉ० चन्द्रकला)

जमीन की कीमत देने को तैयार हों। यदि वे कीमत देने को तैयार हो तो उनको पट्टे दिये जा सकते हैं। यू० आई० बी० की आपने बात कही तो ऐसा हो सकता है कि जो एरिया इम्प्रूव करना है, प्लोट्स काट कर बेचना हो तो बात अलग है।

डॉ० चन्द्रकला : ऐसे क्षेत्र में पानी, प्रकाश और शौचालय की सुविधा के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर जिले में प्रायः आने वाली बाढ़ को रोकने की योजना

१६६ श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार को पता है कि भरतपुर ज़िले की बयाना तथा रूपवास तहसीलों में प्रायः बाढ़ आती रहती है ?

(२) क्या सरकार को यह भी पता है कि इस बाढ़ का मुख्य कारण वहां की गम्भीर नदी में अत्यधिक वर्षा जल का आ जाना है।

(३) क्या सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना है कि गम्भीरी नदी ने अपना बहाव का मार्ग बदल दिया है ?

(४) क्या सरकार जानती है कि इसी के कारण वहां के अनेक गांव जलमग्न हो जाते हैं ?

(५) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इन तहसीलों में पिछले २, ३ वर्षों में अधिक बाढ़ आई थी। प्रायः ऐसी बाढ़ कदाचित ही आती है।

(२) हां।

(३) गम्भीरी नदी का बहाव कुछ प्राकृतिक कारणों से कुछ मामूली बदला है।

(४) अत्यधिक बाढ़ के कारण कुछ गांव सन् १९५८ में जलमग्न हो गये थे।

(५) इस विषय में सेन्ट्रल वाटर एन्ड पॉवर कमीशन के विशेषज्ञों से परामर्श लेकर आवश्यक अन्वेषण ज़ारी है और वह सम्पूर्ण हो जाने के बाद विशेषज्ञों की राय के मुताबिक उसमें उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : गम्भीरी नदी ने जो प्रवाह बदला है उसको अपने पुराने रास्ते पर लाने की कोई योजना है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : सारे एरिया का सर्वे करा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : आपने अभी बताया कि कोर्स बदलने के प्राकृतिक कारण हैं ये प्राकृतिक कारण क्या हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : बहाव कुछ इधर उधर होने लगा और वहां से मिट्टी हट जाती है तो पानी का प्रवाह दूसरी ओर हो जाता है।

Page No.7

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): यह क्लियर नहीं है कि यह सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है या सेन्ट्रल सब्जेक्ट है। इसके बारे में सेन्टर से बातचीत हो रही है कि यह सेन्टर से ताल्लुक रखता है या राजस्थान गवर्नमेन्ट से ?

श्री रामकिशोर व्यास : प्लान के अन्तर्गत जो सब्जेक्ट्स आते हैं उनको प्लानिंग कमीशन डील करता है। खर्चा अपना करते हैं लेकिन जो स्कीम्स हैं उनको एप्रुव प्लानिंग कमीशन वाले करते हैं। अपने भी इसको एग्ज़ामिन कर रहे हैं और वे भी एग्ज़ामिन कर रहे है।

श्री श्रीभानसिंह : यह स्कीम इमर्जेन्सी की है, प्लानिंग की नहीं है। इसका रेफरेन्स तो आपने इर्रिगेशन मिनिस्टरी में किया होगा। राजस्थान गवर्नमेन्ट ने कितना कितना पैसा खर्च करने की स्कीम बनाई ?

श्री रामकिशोर व्यास : सर्टेन पर्सेन्टेज़ राजस्थान गवर्नमेन्ट देती है और कुछ पर्सेन्टेज़ सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट देती है। भरतपुर के लिये साढ़े तीन लाख रुपये गवर्नमेंट ने मंजूर किये थे। माइनर रिपेअर्स में से भी खर्चा किया था। जब तक कम्प्लीट सर्वे होकर डेटा वगैरह मालूम नहीं हो जावे तब तक पूरा काम हाथ में नहीं लिया जा सकता है। सेन्टर से जो इन्जीनियर वहां पर आये थे उस समय मैं भी वहां पर गया था और राजबहादुरजी भी गये थे। फेक्ट्स एन्ड फिगर्स कलेक्ट करने के बाद ही कोई ब्रॉड स्कीम बनाई जा सकती है। इमरजेन्सी वाली बात लम्बी स्कीम में नहीं आती। जैसा मैंने पहले भी कहा था यू० पी० में एक केनाल बनाने की बात है भरतपुर में जो रूप रहता है वह भी इसमें डालने का विचार है। बयाना की लैंड के बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। प्रोटेक्टिव और मार्जिनल बांध बनाने पड़ेंगे। सर्वे कम्पलीट नहीं हो जावे तब तक नहीं हो सकता।

श्री श्रीभानसिंह : राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई निश्चित् तारीख निर्धारित की है या तीन चार साल तक इन्तज़ार करेंगे तब तक सारे व्हाइप आॅउट हो जायेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : हम खुद भी जल्दी करना चाहते हैं लेकिन रेकॉर्ड और फेक्ट्स एण्ड फिगर्स अवेलेबल नहीं है। सारे एरिया का सर्वे करने में टाइम लगता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सरकार आगामी वर्षों में कोई दुर्घटना न हो, उसको बचाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितना होता है उतना करते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यह शिकायत है कि राजस्थान गवर्नमेंट प्रपोज़ल भेजती नहीं है, यह कहां तक सही है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सही नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : शोर्ट टर्म में बाढ़ को रोकने के लिये और नुकसान को रोकने के लिये आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : पिछला ओब्ज़र्वेशन यह है कि २४ वर्ष के बाद इतना रेन फाल हुआ है। सन् ५६ और ५८ में २२ साल के बाद फ्लड्स आये हैं। हर

(श्री रामकिशोर व्यास)

साल रेकरिंग फीचर नहीं है। यह इत्तफाक की बात है, नॉर्मल नहीं है लास्ट २० वर्षों का रेन फाल देख लीजिये कितना है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

२०० **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या खाद्य एवं रसद मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) बीकानेर ज़िले में इस समय सस्ते अनाज की दुकानें कहां २ चल रही हैं ?

(२) क्या इन दुकानों में अच्छी किस्म का अनाज दिया जाता हैं ?

(३) क्या सरकार के पास ऐसी भी शिकायतें है कि जनता वह अनाज कम खरीदती है ?

(४) बीकानेर ज़िले में इस वर्ष सस्ते अनाज की दुकानों से अब तक कुल कितना गेहूँ बेचा गया ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बीकानेर जिले में इस समय सस्ते अनाज की दुकानें इस प्रकार हैं :

नोखा	२
देशनोक	२
नापासर	१
कोलायत	१
लूणकरनसर	१
बीकानेर	७४
कुल	८१

(२) हां, उनमें अच्छी किस्म का अनाज मिलता है।

(३) ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(४) बीकानेर जिले में इस वर्ष सस्ते अनाजों की दुकानों पर कुल ४,६७६ टन अनाज बिका है।

श्री मुरलीधर व्यास : समझ में नहीं आता कि चार दिन पहले एक प्रश्न पूछा था कि सस्ते अनाज की दुकानें कहां कहां पर हैं उस समय जामसर का नाम भी बताया था कि वहां पर भी खुली है लेकिन इस समय जो नाम बताये हैं उनमें जामसर का नाम नहीं आया, यह क्या बात है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस वक्त भी कहा था कि वहां पर खोलने के लिये आदेश दे दिया गया है, इस महिने में खुल जायगी यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था फिर भी आप गपला मचाते हैं तो मेरे पास इसका इलाज़ नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि उस प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि वहां दुकान खोली गई है। आज ज़िले का प्रश्न पूछता हूँ तो उसके जवाब में वहां का नाम नहीं आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जवाब दिया था वह भी रेकॉर्ड में मौजूद है। मैंने कहा था कि आदेश दिये गये हैं।

श्री श्रीभानसिंह : दुकान खोलने के केवल आदेश दिये गये या सस्ते अनाज की दुकान खोलने की इमीजियेट कार्यवाही की। होना यह चाहिए कि क्योंकि लेबर कॉलोनी है इसलिए जल्दी दुकान खोली जाती। जैसा माननीय सदस्य बताते हैं, आदेश देना ही काफी नहीं है। माननीय मन्त्री जी को बताना चाहिए कि किस रोज़ दुकान खुली है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कहा गया कि गलत जवाब दिया गया है, तब मैंने कहा कि मैंने यह बात कही थी।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार का अनाज उन दुकानों में आया है, जिसे लोग खरीदते नहीं हैं, यह कहां तक सत्य है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब आप कहते हैं कि दुकान खुल गई है लेकिन लोग अनाज खरीदते नहीं हैं, फिर ४,६७६ टन गेहूं कहां चला गया। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : वहां पर सफेद गेहूं भेजना चाहिए, जब लाल गेहूं कोई खरीदता नहीं है, तो फिर लाल गेहूं भेजने का क्या मकसद है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि ४,६७६ टन गेहूँ भेजा जा चुका है। उसके बावजूद भी डिमान्ड है कि और गेहूँ भेज दिया जाय। आप कहते हैं कि लोग गेहूँ खरीदते नहीं हैं, फिर कहां चला गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे कहने का मतलब यह है कि क्या कोई शिकायत आई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं कहता हूँ कि बीकानेर से मैं चार छः दिन पहले आया हूं, वहां किसी ने मुझ से कम्पलेन्ट नहीं की। महिने पहले भी गया था, कलेक्टर आदि को बुला कर बात की थी। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल—(जौहरी बाजार, जयपुर) : मैं दो रोज़ पहले ही वहां से आया हूँ, वहां लोगों की शिकायत थी कि गेहूं खराब आया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके पास जो डेली इन्सपेक्शन रिपोर्ट आती है उनमें बुराई ही बुराई आती हैं, अच्छी बात नहीं आती हैं।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

टौंक से सवाई माधोपुर तथा इन्द्रगढ़ जाने वाली बसों का उनियारा होकर न जाना

२०१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या यातायात मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) टौंक से सवाई माधोपुर तथा इन्द्रगढ़ तक कितनी कितनी बस सर्विसेज़ चलती हैं ? और किस किस की और किस किस नम्बर की ?

(२) उपरोक्त बसेज़ कहां कहां होकर जाती हैं ? क्या इनमें से कोई बस उनियारा होकर भी जाती है ? अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

(३) क्या सरकार अब उनियारा की जनता की सुविधा के लिये उपरोक्त बसेज़ में से कुछ का उनियारा होकर जाने का प्रबन्ध करावेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) टौंक से सवाई माधोपुर इन्द्रगढ़ तक निम्नलिखित बस सर्विसेज़ चलती हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :

Page No.10

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नाम मार्ग	सं०	स०	चालकों के नाम	गाड़ी नम्बर
१ टौंक सवाई माधोपुर	६	२	१. श्रीमहमूद खां पुत्र श्रीअहमद-खां, टौंक	आर. जे. एक्स. २६
			२. मेसर्स बद्री-प्रसाद कन्हैयालाल व बर्मा शैल एजेन्ट टौंक	आर. जे. एक्स. ५१
			३. श्रीजसवन्द-सिंह पुत्र तेजासिंह वी. पी. शर्मा बिल्डिंग बगरू वालों का रास्ता, जयपुर	आर. जे. यू. २३५
			४. मेसर्स मूल-चन्द जय-सिंहमल सुभाष चौक, टौंक	आर. जे. एक्स. २५७
			५. मेसर्स ईद-मोहम्मद निजामुद्दीन	आर. जे. एक्स ११५
			६. मेसर्स जन-रल मोटर बस सर्विस टौंक	आर. जे. एक्स २७३
२ टौंक इन्द्रगढ़	४	२	१. श्रीचिल्की-प्रसाद सक्सेना	आर. जे. एल. १६२६
			२. मेसर्स जन-रल मोटर सर्विस, सुभाष चौक टौंक	आर. जे. एक्स १७०
			३. श्रीजसवन्द-सिंह पुत्र तेजासिंह	आर. जे. एल. ७६२
			४. श्रीहाफिज पुत्र श्रीमह-मूद खां	आर. जे. एक्स २०६

(२) टौंक से सवाई माधोपुर जाने वाली बस निम्नलिखित मार्गों द्वारा जाती हैं :—

१. टौंक, २. चन्दलाई ३. नयागांव ४. बूंदी ५. अलीगढ़ ६. पचाला ७. कुस्तला ८. सवाई माधोपुर टौंक से इन्द्रगढ़ जाने वाली बसें बामोरी, चौकी, बारेड़ा, खातोली आवास होकर जाती हैं।

उपरोक्त दोनों की मार्गों बसें उनियारा होकर नहीं जाती है। वर्तमान मध्यवर्ती ग्रामों के हित को ध्यान में रखते हुए आर. टी. ए. द्वारा मंजूर शुदा पर्मिटों में वाया (via) नहीं बदला।

टौंक इन्द्रगढ़ वाली बस मार्ग बदलने

Page No.11

(श्री नाथूराम मिर्धा)

हेतु एस. टी. ए. में आर. टी. ए. के रिज़्यु-लेशन के विरुद्ध अपील की थी मगर माननीय अपीलेट अथॉरिटी ने अपने फैसले दिनांक ६. २. ५४ द्वारा मार्ग बदलना उचित नहीं समझा।

(३) उत्तर प्रश्न संख्या २ में निहित है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : यह जो टौंक से सवाई माधोपुर जाने वाली और टौंक से इन्द्रगढ़ जाने वाली बस है, वह उनियारा होकर नहीं जाती। माननीय मंत्रीमहोदय उनि-यारा पधारे नहीं, मैं बताऊं कि उनियारा की आबादी सात हज़ार की है। उसको एकदम क्यों नेगलैक्ट किया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गाड़ियों के मार्ग बदलने का अधिकार सरकार के हाथ में नहीं है। एक क्वासी जुडिसियल बॉडी है, उसके सामने मार्ग बदलने की दर्ख्वास्तें की गई हैं। जो ऑपरेटर्स बस सर्विस चलाते हैं, उनके भी एतराज़ होते हैं, उनको भी सुनना पड़ता है। उनको सुनने के बाद आर. टी. ए. ने फैसला दिया, एस. टी. ए. ने फैसला दिया कि मार्ग नहीं बदला जा सकता है। मार्ग बदलने की बात सरकार के हाथ में नहीं है। उनियारा दूसरे रास्तों से कनेक्टेड है। उनियारा से आवली को बस जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आवली तो गांव है, इसकी आबादी ३०० घर की है। टौंक से अलीगढ़ जाती है, टौंक से आवली जाती हैं टौंक से बारेड़ा जाती है, टौंक से उनियारा होते हुए कोई बस नहीं जाती है। आप जानते हैं कि उनियारा से चार मील दूर होती हुई बस जाती है, इसकी क्या वजह है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : बस जाती है, लेकिन फंस जाती है।

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : बात यह है कि इसके लिए अपील की जाती है, अपील मंजूर नहीं की गई और मामला खत्म हो गया। वे दुबारा कानून के मुताबिक अर्जी दें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने फर्माया कि सरकार रास्ता नहीं बदलती। क्या यह सही है कि सरकार पॉइन्ट-पॉइन्ट पर रास्ता बदलती है।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

बीकानेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना

२०२. **श्री मुरलीधर** व्यास (बीकानेर सिटी) : श्री भीमसेन (लूनकरणसर) क्या चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं व क्या वह इस वर्ष में खुल जायेगा ?

मंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : बीकानेर में मैडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये सरकार ने अब तक भवन निर्माण हेतु २,२५,००० रु० तथा इक्यूपमेंट के लिये २,०५,००० रु० स्वीकृत किया है। मेडिकल कॉलेज जुलाई, १६५६ से आरम्भ हो जायेगा।

Page No.12

श्री मुरलीधर व्यास : वहां छात्रों के रहने के लिए इन्तज़ाम कर दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : छात्रों के रहने के लिए ?

श्री मुरलीधर व्यास : जी हां, छात्रों के लिए होस्टल।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे अच्छी तरह ख्याल नहीं है। शायद इन्तज़ाम कर दिया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इन्तज़ाम कर दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तहकी की ख्याल नहीं है, इन्तज़ाम कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में रिसर्च के लिये स्वीकृत धनराशि

२०३. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) क्या गवर्नमेंट आयुर्वेद, कॉलेज, जयपुर में रिसर्च का कार्य प्रारम्भ करने की दृष्टि से कोई धनराशि स्वीकृत की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि यहां पर रिसर्च का कार्य प्रारम्भ न करके उदयपुर में प्रारम्भ कर दिया गया है ?

(३) क्या सरकार आयुर्वेद विषय की पृथक फेकल्टी बना कर इसे यूनिवर्सिटी के अधीन करने का विचार रखती है ?

मंत्री स्वास्थ्य विभाग (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) जी हां। इस कार्य के लिये ४०,००० रु. की स्वीकृति हुई है। मगर उसमें किसी आयुर्वेदिक कॉलेज का नाम नहीं है।

(२) रिसर्च का काम उदयपुर में प्रारम्भ हुआ है।

(३) जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उदयपुर में रिसर्च का कार्य प्रारम्भ हुआ, वह किस आदेश से हुआ है ? धनराशि की स्वीकृति कौनसे रिसर्च के लिए है ? जयपुर में कार्य प्रारम्भ करने के बारे में क्या हो रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को स्कीम भेजी थी, चार बीमारियों की रिसर्च के बारे में। दो बीमारियों की रिसर्च की सेंक्शन हो गई है, ये आम तौर से उदयपुर डिविज़न में ज्यादा होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइज़ थी कि यह काम उदयपुर में होना चाहिए।

श्री पी. के. चौधरी : ४०,००० की धन राशि है, उसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है, क्या सारा केन्द्रीय सरकार का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक हिस्सा राजस्थान का भी है, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

बिना पर्मिट के निजी कारों का टैक्सी के रूप में प्रयोग

२०४. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा) : Will the Transport Minister be pleased to state:-

Page No.13

(श्री पी. के. चौधरी)

(a) Is it correct that a large number of private cars are being used illegally as Tourist taxies in Jaipur without a valid permit for the purpose required under the Motor Vehicles Act and Rules? Is it also correct that quite a number of Rajasthan State Garage cars are also involved in this wide spread racket in Jaipur?

(b) Is it also correct that in the case of Government of U. P. V/s Vaishwanath Hansraj, the Supreme Court has given its judgment on 9. 10. 58 that it is definitely an offence to drive on hire or let out on hire or to use the car as a taxi in contravention of section 42 of the Motor Vehicles Act i.e. without a valid permit without paying requisite taxes, and without possessing a valid certificate of fitness.

(c) What steps the Government has taken so far or what steps it proposes to take to prevent this wide spread use of private cars as tourist taxies in Jaipur?

यातायात मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) प्राइवेट कारों को टैक्सी की तरह काम में लेने की शिकायत आई है, जिनकी जांच की जा रही है। गैरेज की गाड़ियां सीधे ट्यूरिस्ट को किराये पर नहीं दी जाती बल्कि ट्यूरिस्ट ऑर्गेनाइज़र के यहां से मांगी जाती हैं तब नियमानुसार दी जाती हैं।

(२) जजमेंट की नकल उपलब्ध नहीं है और न यह केस ए. आई. आर. में प्रकाशित हुआ मालूम होता है।

(३) मोटर व्हीकल्स एक्ट और रूल्स के खिलाफ दरजी के मामलों का चालान कर दिया गया है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : शिकायत कब ध्यान में आई, इन्क्वायरी कब जारी की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शिकायत एक नहीं आती है, चार पांच के बारे में आगे भी सवाल पूछा था। चार गाड़ियों को हमने खुद ने पकड़ा था, जो प्राइवेट कार होते हुए भी टैक्सी के रूप में चलती थीं, उनका चालान कर दिया। मुझे ठीक तारीख याद नहीं है कि कब शिकायत आई। प्राइवेट आदमी भी शिकायत करते हैं, उन को हम देखते है।

श्री पी० के० चौधरी : मोटर यूनियन ने साल भर पहले शिकायत की थी कि इस तरह से जो कार टैक्सी नहीं है, वह टैक्सी के रूप में चलती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : चार का चालान हमने पहले कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

नगरपालिका किशनगढ़ के उपाध्यक्ष द्वारा खर्चा

२०५. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.14

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१) उपाध्यक्ष, नगरपालिका किशनगढ़, जिला अजमेर ने, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वेतन के अलावा किस-किस मद में कितना कितना खर्च किया ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त कार्य काल तक बजट स्वीकृत होकर नहीं आया था ?

(३) यदि हां, तो बजट की स्वीकृति के बिना खर्चा क्यों किया गया ?

(४) उपाध्यक्ष की इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाहियों के खिलाफ सरकार के पास कितने आवेदन पत्र पेश हुए ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सिर्फ प्याऊ के मद में १५० रु० खर्च किये ।

(२) जी हां ।

(३) गर्मी के मौसम में पीने के पानी की अत्यन्त कमी होने और जनता की ओर से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के कारण इसका करना अत्यन्त आवश्यक था ।

(४) कोई शिकायत प्राप्त नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी ।

चम्बल बांध से जल-पूर्ति

२०६. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister incharge of Irrigation be pleased to state :-

(1) When does the Government propose to complete the construction of the Chambal Dam at Kota ? What is its present progress ?

(2) Will the Chambal Barrage at Kota be ready to store water before the coming monsoon ?

(3) Have the canal systems of the Project been completed ?

(4) Will it be ready to supply water during the next Rabi season ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (1) The construction of Kota Barrage is expected to be completed during the season. Work in the Main river portion has been started and the progress is according to schedule.

(2) Yes.

(3) The right main canals and a part of the left main canal are likely to be completed in the year 1959-60. About 40% of the distribution system will also be completed.

(4) Water for irrigation in the completed portion is expected to be available in the next Rabi Fasl.

श्री पी० के० चौधरी : When the water will be supplied ?

श्री अध्यक्ष : In the next Rabi season.

श्री रामकिशोर व्यास : रबी में देने की कोशिश करेंगे ।

प्रश्न सं. २०७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह ।

Page No.15

करौली पुलिस द्वारा धौलपुर उपजिले से मवेशी व व्यक्तियों की गिरफ्तारी

२०८. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) करौली पुलिस ने धौलपुर उपज़िले से कितने मवेशी पकड़े थे ?

(२) क्या जब मवेशियों के साथ व्यक्तियों को पुलिस अपने साथ करौली ले गई थी, उस समय किसी न्यायालय से उनको गिरफ्तार करने की आज्ञा प्राप्त की थी ? यदि हां, तो किस न्यायालय से ?

(३) क्या यह सत्य है कि जिन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पुलिस करौली ले गई थी, उनको २४ घन्टे के उपरान्त भी किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ६३ मवेशी करौली पुलिस ने धौलपुर सब-डिविज़न से पकड़े थे ।

(२) कोई भी व्यक्ति पुलिस के साथ पुलिस द्वारा करौली नहीं ले जाया गया, परन्तु कुछ गांव वाले अपने जानवरों को देखने के बारे में कार्यवाही शनाख़्तगी के लिये गये हुए थे, इस लिये वारंट किसी न्यायालय से लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(३) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । कार्यवाही शनाख़्तगी से मवेशी पहचान लिये गये । जो व्यक्ति साथ में पशुओं की देख रेख के लिये गये हुए थे वे अपराधी साबित हुए । १०-२-५६ को उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनका रिमान्ड समय पर ले लिया गया ।

डॉ० बहादुरसिंह : संख्या नहीं बताई ।

श्री रामकिशोर व्यास : बताई न, ६३ ।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि मवेशियों की शनाख़्तगी लोगों को डरा धमका कर ज़बरदस्ती कराई गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो मजिस्ट्रेट के रूबरू की गई थी ।

डॉ० बहादुरसिंह : जो मवेशी डी.एस. पी. करौली ले गये थे उन मवेशियों को साथ में जाने वाले लोग अपनी मवेशी समझ कर ले गये थे या डी. एस. पी. उन मवेशियों को बरामद करके ले गये थे ?

श्री रामकिशोर व्यास : वहां करौली में चोरी की रिपोर्ट होने पर तफ्तीश के दौरान में पता चला कि धौलपुर सब-डिविज़न में मवेशी अवेलेबल हैं, उनको आइडेन्टीफाई कराने के लिये ले जाया गया, जो आई-डेन्टिफाई हो गई उनको ले जाने वालों को गिरफ्तार किया ।

डॉ० बहादुरसिंह : जो लोग मवेशियों के साथ गये उनको डी. एस. पी. साहब ले गये या वे खुद गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : अपने आप गये ।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या यह सही है कि जो मवेशी बरामद किये गये वे उनके थे और वे खुद साथ में इस लिये गये कि वे मवेशियां उनकी थीं ?

श्री रामकिशोर व्यास : मवेशी मालिकों के यहां से बरामद नहीं किये गये थे,

Page No.16

(श्री रामकिशोर व्यास)

दूसरों के यहां से बरामद किये गये थे जिसके पजेशन से बरामद हुई, वे गये।

श्री श्रीभानसिंह् : जिनके पज़ेशन से बरामद की गई वे डी. एस. पी. साहब के साथ गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया वे अपनी मवेशी की सुरक्षा के लिये गये।

श्री श्रीभानसिंह् : तो क्या वे डी. एस. पी. साहब के साथ इसलिये गये थे कि वे मवेशी उनके थे।

श्री रामकिशोर व्यास : ठीक है।

श्री श्रीभानसिंह् : कितने मवेशी लौटा दिये ?

श्री रामकिशोर व्यास : जितने कम्प्लेनेन्ट्स वहां मौजूद थे, उन्होंने उनके मवेशियों का आइडेन्टिफिकेशन किया। जिनका आइडेन्टिफिकेशन हो गया उनको रखा गया। बात यह है कि बहुत से लोगों को कम्प्लेन्ट्स थी।

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला

जयपुर शहर में कलई व चूने के भट्टे

२०१. डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर शहर में कलई और चूने के कुल कितने भट्टे हैं ? वे कहां कहां हैं ?

(२) क्या ये भट्टे इन स्थानों पर नगरपालिका की स्वीकृति से लगाये गये हैं ?

(३) भट्टे लगाने की स्वीकृति देते समय नगरपालिका मुख्यतया किन किन बातों का ख़्याल रखती है ?

(४) क्या यह सच है कि इन भट्टों के धुंए से आस पास की जनता का स्वास्थ्य खराब होता है ?

(५) यदि हां, तो क्या अब सरकार इन भट्टों को आबादी के बीच से हटवा कर कहीं दूसरी जगह लगवाने की व्यवस्था करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) यह ध्यान रखा जाता है कि प्रस्तावित भट्टा कम से कम रिहायशी मकानों से ३०० फुट की दूरी पर एवं मुख्य सड़क से १०० फुट की दूरी पर हो।

(४) सिर्फ चौकड़ी हवाली शहर जनूबीं के २० भट्टे जो कि अब आदर्शनगर की आबादी के समीप हो गए हैं ऐसे भट्टे हैं जिनसे जनता के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की शिकायत है। यह भट्टे इस जगह पर करीब दस बारह साल से ज्यादा अर्से से लगे हुए हैं। इनको दूसरी जगह लगाने के वास्ते नगरपालिका प्रयत्नशील है।

(५) जी हां, इन आदर्शनगर वाले भट्टों को हटाने के नोटिस दिनांक १६-२-५६ को ज़ारी किये जा चुके हैं और इनके लिए दूसरी जगह भी तजवीज़ कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

Page No.17

डॉ० चन्द्रकला : भट्टों को रिहायशी मकानों से ३०० फुट दूर और मुख्य सड़क से २०० फुट दूर रखने में क्या आधार नगरपालिका ने माना है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्वास्थ्य की दृष्टि से रखा है।

डॉ० चन्द्रकला : भट्टों से जो धूंआ उठता है वह क्या ३०० फुट तक ही असर करता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, अभी तक का अनुभव यही है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि आदर्शनगर के भट्टे पहले बड़ी दूरी पर लगाये गये थे, फिर २०० फुट की दूरी पर लगाने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मालूम नहीं, १० साल से ज़्यादा अर्से से बने हुए हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि झालाना फाटक के आगे हरिजन कॉलोनी के पास भट्टा है, वह भी बस्ती के बीच में हैं और जनता को उसका धुंआं नुकसान पहुंचाता रहता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब तक जिनके बारे में शिकायत आई है, चौकड़ी हवाली में ही इसकी शिकायत है, उसी पर निर्णय लिया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मन्त्री महोदय का ख्याल है कि जिस भट्टे कि ज़िक्र मैं कर रही हूं, उसको हटाने का प्रार्थनापत्र नगरपालिका को नहीं दिया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरी जानकारी से तो यही है।

डॉ० चन्द्रकला : फिर तो मैं यह जानकारी चाहूँगी कि शिकायत करने का रूप क्या होता है ? मैं खुद एक महीने पहले म्युनिसिपेलिटी में जा कर आवेदनपत्र दे कर आई हूँ।

श्री अध्यक्ष : आयन्दा मन्त्री महोदय को भी आप प्रतिलिपि दे दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दरअसल देखा जाय तो इस सवाल को यहां नहीं पूछा जाना चाहिये था, म्युनिसिपेलिटी से पूछा जाना चाहिये पर फिर भी मैं एतराज़ नहीं करता। मेरे पास शिकायत आई उनके लिये डिसिज़न ले लिया। आप अब कहती हैं कि ऐसी शिकायत की है तो मैं और उनको कहूँगा।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस प्रार्थना पत्र पर विचार कर के सरकार कोई कदम उठायेगी ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : भट्टों के लिये आदर्श रखा है कि ३०० फुट रिहायशी के मकानों से दूर हों और २०० फुट मुख्य सड़क से दूर हों फिर तकलीफ नहीं देते हैं तो आदर्शनगर में ऐसे आदर्श भट्टे हैं जो तकलीफ नहीं पहुंचाते ?

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : हार्मलैस भट्टे हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या यह सही है कि पुरानी बस्ती में तो रिहायशी मकानों से तीन-तीन फुट की दूरी पर भट्टे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैंने सूची दे दी।

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह

मालगुजारी में पंचायतों का हिस्सा

२१०. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जहां २ पंचायतें हैं उनके क्षेत्र से जो मालगुज़ारी वसूल होती है उसमें से ३) रु० २ आना सैंकड़ा संबन्धित पंचायत को दिया जाता है ?

(२) अगर हां, तो क्या उपरोक्त आदेश म्युनिसिपेलिटियों के क्षेत्रों को भी लागू है ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन विभाग (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी हां।

(२) जी नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : "जी हां, जी नहीं" से क्या मतलब ?

श्री दौलतराम सारण : जो पूछा उसका उत्तर है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आप भी तो सोचें कि क्यों म्युनिसिपेलिटीज़ को प्रिविलेज से निकाल दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्युनिसिपेलिटीज़ को ग्रान्ट-इन-एड हर साल दी जाती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : पंचायतों को भी दी जाती है। जो दिया जाता है उसके ऊपर ३ रु० २ आना दिया जाता है तो म्युनिसिपेलिटीज़ को क्यों नहीं दिया जाता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह उपरान्त नहीं दिया जाता। ३ रु० २ आना फी सैंकड़ा मालगुज़ारी के हिसाब से दिया जाय तो म्युनिसिपेलिटीज़ लोस में रहेंगी, इसीलिये लमपसम देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : बड़ी-बड़ी आबादियां हैं, उनको नुकसान है पर जहां ५—५ हज़ार पर म्युनिसिपेलिटियां कर दी हैं, उन्हें यह नहीं देने से बड़ा नुकसान हो रहा है और वहां किसी भी प्रकार का इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३) रु० २ आना म्युनिसिपेलिटी में कर दिया तो बड़ा नुकसान होगा, उनको ५ रु० देते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिनकी आबादी कम है वहां म्युनिसिपेलिटियां कर रखी हैं, वहां पंचायतें कायम करके यह चालू कर दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : ८ हजार से नीचे की आबादी पर पंचायतें हो जायेंगी और आपकी उस समय इच्छा पूर्ति हो जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

बीकानेर नगर का सेनिटेशन

२११. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

(१) बीकानेर शहर में सेनिटेशन सुधारने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कितनी धन-राशि सन् ५७–५८ में रखी गई थी ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) उस धनराशि में से अब तक कुल कितना खर्च हुआ है ?

(३) अब इस धनराशि को जल्दी उपयोग में लाने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) कोई योजना सन् ५७, ५८ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत नहीं रखी गई।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या अन्य कार्यों के लिये भी कोई योजना थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अन्य के लिये आप अन्य प्रश्न पूछिये।

श्री मुरलीधर व्यास : नहीं रखने का कारण क्या था ?

श्री नाथूराम मिर्धा: कोई स्कीम नहीं थी।

श्री मुरलीधर व्यास : कोई स्कीम पेश नहीं हो, तो क्या वहां सेनिटेशन आवश्यक नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेनिटेशन म्युनिसिपेलिटी करती है।

श्री मुरलीधर व्यास : जब अन्य स्थानों में सेनिटेशन के लिये राज्य सरकार की ओर से खर्चा किया जाता है, तो क्या वहां के सेनिटेशन के लिये नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्पेसिफिक बताइये न कि क्या चाहते हैं, क्या बनवाना है ?

श्री मुरलीधर व्यास : नालियां बनवाने का।

श्री नाथूराम मिर्धा : नालियां बनवाने का काम राजस्थान में किसी शहर में नहीं हो रहा है।

जिला बोर्ड जयपुर के हिसाबात पर ऑडिट के एतराजात

२१२. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

जिला बोर्ड जयपुर के हिसाबात के प्रति लोकल फण्ड ऑडिट के कितने एतराज़ात किस-किस वर्ष के पेंडिग हैं ? उक्त एतराज़ात की पूर्ति न होने पर क्या एक्शन लिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : लोकल फण्ड ऑडिट विभाग द्वारा जिला बोर्ड जयपुर के भूतपूर्व अध्यक्ष पर आरोप लगाने के सिलसिले में दो बार स्पेशल ऑडिट सन् १६५५ में तथा एक बार १६५८ में किया गया। जिनकी रिपोर्ट एन्टीकरप्शन विभाग में है। इस बोर्ड के कागज़ात उपरोक्त मामले में एन्टीकरप्शन विभाग, निर्देशक स्थानीय निकाय तथा हाई कोर्ट के पास होने से इस बोर्ड के हिसाबात का जनरल ऑडिट न हो सका।

प्रश्न संख्या २१३

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित.

Page No.20

म्युनिसिपेलिटियों द्वारा कुत्तों को मारा जाना

२१४. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

क्या म्युनिसिपेलिटी द्वारा कई जगह कुत्तों को मार दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : नगरपालिकाओं द्वारा कहीं भी कुत्ते पकड़ कर नहीं मारे जाते हैं। यदि कोई कुत्ता पागल हो जाता है तो मार दिया जाता है।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : रोज़ कुत्तों को गाड़ी में भर कर ले जाते हैं और वहां पर उनको एक मकान में बन्द करके मार दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कहां की बात कह रहे हैं ?

श्री प्रभुलाल पुरोहित : यह जयपुर शहर की म्युनिसिपेलिटी की बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कहीं पागल हो गया होगा ।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : वे कुत्ते जो शहरों में घूमते हैं उनको पकड़ कर मकान में ले जाकर आग लगा देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : म्युनिसिपेलिटी में कुत्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गंगादेवी डाटा।

रामपुर (तहसील बानसूर) में डिस्पेन्सरी

२१५. **श्रीमती गंगादेवी डाटा** (रामगढ) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) एलोपेथिक डिस्पेन्सरी खोलने के क्या नियम हैं ?

(२) क्या रामपुर (तहसील बानसूर) में डिस्पेन्सरी इन नियमों के आधार पर खोली गई है ?

(३) रामपुर गांव की आबादी क्या है ?

(४) रामपुर गांव से कितनी दूरी पर दूसरी डिस्पेन्सरी कायम है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) एलोपेथिक डिस्पेन्सरी निम्नलिखित स्थानों पर खोली जाती है।

(अ) कस्बा व ग्राम जिसकी आबादी ३००० से ५००० तक या इससे अधिक हो।

(ब) तहसील हैडक्वार्टर में। आबादी पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

(स) पिछड़े हुए क्षेत्र में चाहे वहां की आबादी ३००० से कम हो तथा वहां से ५ मील की दूरी तक चिकित्सा के साधन उपलब्ध न हो। इस प्रकार के क्षेत्र में जहां से डिस्पेन्सरी के लिये भवन उपलब्ध है तो उस स्थान को प्राथमिकता दी जाती है अन्यथा उस क्षेत्र के मध्य में से किसी स्थान को चुन लिया जाता है।

(२) जी हां।

(३) १९५१ में हुई जनगणना के आधार पर रामपुर की आबादी ५६२५ है।

Page No.21

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(४) इसके नज़दीक करीब ६ मील की दूरी पर बानसूर में डिस्पेन्सरी स्थित है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : रामपुर की आबादी क्या बताई आपने ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५,६२५।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : पांच सौ होगी कहीं आप गलती तो नहीं कर गये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं तो तहकीक बता रहा हूं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : क्या उसके आसपास कोई दूसरी डिस्पेन्सरी ५:६ मील के अन्दर नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, नहीं है। १० : १५ मील तक कहीं नहीं है। वहां पर खोलने का निश्चय किया पर वहां कोई ऐसा स्थान नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी की सिफारिश पर खोली जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तीन साल पहले की बात है।

श्री श्रीभानसिंह : पहले भी ऐसा ही था।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या डिस्पेन्सरीज़ और औषधालयों के लिये डवेलपमेंट कमेटी रिकमन्ड करती है ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मालाखेड़ा कस्बा है वहां पर डिस्पेन्सरी खोलने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोल रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मुझे एक पत्र में लिखा है कि हम डिस्पेन्सरी और औषधालय डवेलपमेंट एडवाइज़री कमेटी की सिफारिश पर खोलते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैं तीन साल पहले की बात बता रहा हूं। दो साल पहले ही लिस्ट मांगी गई थी, यह सब को पता है।

श्री भैरवलाल काला बादल (अकलेरा सु०): क्या माननीय मंत्री महोदय की ज्यादा सिफारिश थी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५ हज़ार से वहां की आबादी ज्यादा है।

श्री भैरवलाल काला बादल : क्या यह आपके क्षेत्र में आ जाता है ?

श्री अध्यक्ष : यह सारा क्षेत्र ही आपका है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : यदि यह सारा क्षेत्र आपका होता तो प्रश्न पूछने की नौबत ही क्यों आती।

श्री भैरवलाल काला बादल : क्या यह आपका....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : एक प्रश्न और पूछना है—इसमें कौन कौन से गांव मिला कर यह आबादी मानी गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अकेले की। यह अलवर ज़िले का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है। इस अकेले की आबादी है। अगर मैं जो कहता हूं उसमें गलती हो तो मैं स्तीफा देने के लिये तैयार हूं नहीं तो क्या आप स्तीफा दे देंगी? क्या आप इसके लिये तैयार हैं?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : ऐसी भी कई हैं जहां पर तवज्जह नहीं दी गई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि ऐसा कहीं नहीं है। अगर गलत हो तो मैं स्तीफा देने को तैयार हूं वरना आप दे दें।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मालाखेड़ा ५ हज़ार के लगभग की आबादी का है उसके १२ मील के आस पास कोई डिस्पेन्सरी नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि मालाखेड़ा की आबादी कम है।

एक माननीय सदस्य : यह आपस में घर का झगड़ा है।

श्री अध्यक्ष : तीन साल पुरानी बात है आप इसको छोड़िये।

श्री बेनाराम गहलोत

खारची व सोजत तहसीलों में लघु सिंचाई योजना

२१६. श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) खारची व सोजत तहसील में कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजनायें हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उपरोक्त लघु सिंचाई योजनाओं की प्रत्येक की प्रथम बार सर्वे कब हुई और उसके बाद प्रत्येक की कब-कब व कितनी कितनी बार सर्वे हो चुकी है?

(३) उपरोक्त कौन-कौनसी योजनाओं का सर्वे कार्य समाप्त हो चुका है? और किस किसका अपूर्ण है तथा कार्य किस स्टेज पर है?

(४) उपरोक्त सर्वे कार्य सरकार कब तक समाप्त कर उन योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार रखती है?

सिंचाई मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) (१) खारची तहसील में डिगोर, सिरियारी, सारन, कंटालिया तथा सोजत तहसील में आकड़ी व कानाबाल नामक लघु सिंचाई योजनाएं हैं।

(२) उपरोक्त योजनाओं में से आकड़ी की सर्वे १९५८ में होकर मंजूरी के बाद कार्य चालू हो गया है।

(३) कंटालिया की सर्वे कार्य अभी ज़ारी है अन्य योजनाओं का सर्वे कार्य उसी वर्ष सम्पूर्ण हुआ है और तखमीने की जांच जारी है।

(४) डिगोर, सिरियारी, कानावास, सारन के तखमीनो सर्वे के बाद लाभप्रद सिद्ध होने पर आगामी वित्तीय वर्ष में काम चालू कर दिया जावेगा। जब कंटालिया की सर्वे

(श्री रामकिशोर व्यास)

समाप्त हो कर तखमीना बनने में लगभग ६ माह लगेंगे।

श्री बेनाराम गहलोत : बार बार सर्वे होकर काम नहीं हुआ है। कंटालिया में करीब १५ साल से काम शुरू है।

श्री रामकिशोर व्यास : १५ साल तो राजस्थान को बने भी नहीं हुए।

श्री बेनाराम गहलोत : जोधपुर के समय से ही है।

श्री अध्यक्ष : इसीलिये देरी लग रही है।

धौलपुर में चावल का आयात

२१७. **डॉक्टर बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) धौलपुर नगरपालिका को चावलों के आयात से कितनी चुंगी की आय सन ५८ : ५६ में हुई ?

(२) यह चावल धौलपुर नगर में कहां कहां से और कितना कितना आया ?

स्वायत्त शासन मंत्री : (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) ८,८६० रुपये ७० नये पैसे।

(२) सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह सच्च है कि जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वे करीब करीब आय के चौथाई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिनकी चुंगी वसूल की गई है वह कम्प्लीट है। मैंने कोई इनकम्प्लीट लिस्ट आपको नहीं दी है।

डॉ० बहादुरसिंह : मेरे पास लिस्ट कम्प्लीट है लेकिन म्युनिसिपेलिटी ने जो आंकड़े दिये हैं वे करीब करीब १।४ आंकड़े हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ३।४ पर चुंगी वसूल ही नहीं की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : यह जो चावल आगरा से धौलपुर आये और जिस पर चुंगी वसूल की गई, क्या यह धौलपुर आगरा एक ही राइस ज़ोन में पड़ते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोई भी चीज़ म्युनिसिपेलिटी एरिया में आती है उस पर चुंगी वसूल करते हैं।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : The question was whether Agra is in the same Rice Zone as Rajasthan ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसका फूड मिनिस्टर जबाब देंगे। That is another question.

श्री अध्यक्ष : श्री बेनाराम गहलोत।

प्राइमरी पब्लिक हैल्थ सेन्टर्स

२१८. **श्री बेनाराम गहलोत** : (खारची) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कुल कितने व कहां

Page No.24

(श्री बेनाराम गहलोत)

कहां पर प्राइमरी पब्लिक हैल्थ सेन्टर्स हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त केन्द्रों पर दवाइयों तथा स्टाफ की पूर्ण व्यवस्था नहीं है ?

(३) उपरोक्त केन्द्रों पर क्या क्या स्टाफ व दवाइयों का कितना वार्षिक बजट रखा गया है ?

(४) प्राइमरी पब्लिक हैल्थ सेन्टर्स खोलने का क्या आधार रखा गया है और अब भविष्य में कहां कहां पर ये केन्द्र खोलने का विचार रखती हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता):

(१) राजस्थान में कुल ४५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(२) केवल टैक्निकल हैन्डस् उपलब्ध न होने के कारण स्टाफ की कमी है। दवाइयों की कोई कमी नहीं है।

(३) एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये निम्नलिखित स्टाफ स्वीकृत है तथा दवाइयों के लिये वार्षिक ३००० रु० दिये जाते हैं।

प्रथम श्रेणी के डॉक्टर	१
द्वितीय श्रेणी के डॉक्टर	१
सेनिटरी इन्स्पेक्टर	१
लेडी हैल्थ विज़ीटर	१
मिडवाइफ	४
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	८
ड्राइवर	१

(४) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डवेलपमेंट विभाग की सिफारिश पर फर्स्ट स्टेज ब्लॉक में खोला जाता है। जिस ग्राम में इसकी स्थापना होती है उसकी जनसंख्या ३००० से ऊपर होनी चाहिये। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिन स्थानों में खोले जाते हैं उस स्थान का निर्णय ब्लॉक एडवाइज़री कमेटी करती है अतः स्थानों का नाम बताना संभव नहीं है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना के शेषकाल में ४३ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और खोले जावेंगे।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह सही है कि प्रश्न के भाग (३) के उत्तर में बताया हुआ स्टाफ मारवाड़ जंक्शन पर नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने आपको अर्ज किया है कि स्टाफ की कमी है।

श्री बेनाराम गहलोत : वहां पर स्टाफ बिल्कुल ही कम है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्टाफ की काफी कमी है। आप मारवाड़ जंक्शन की बात कह रहे हैं ? मैं फिर देखूंगा।

श्री बेनाराम गहलोत : जो स्टाफ है वह पाली के होस्पिटल में काम करता है।

श्री मुरलीधर व्यास : (बीकानेर सिटी) एक सेन्टर को कितना रुपया दिया जाता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह मैंने बता दिया है।

श्री बेनाराम गहलोत : यह व्यवस्था कब तक हो जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : स्टाफ तो एवे-लेबल नहीं है फिर भी मैं कोशिश करूंगा !

श्री अध्यक्ष : वहां का स्टाफ जो पाली में काम करता है उसको तो वहां भिजवा दीजिये ।

(विराम)

नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या २१६.

श्री अध्यक्ष : श्री मोहन्बर्तसिंह ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रावतराम ।

ग्राम पंचायतों के चुनाव तथा पुनर्गठन

२२०.श्री रावतराम (चुरू मु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि चुरू जिले के अन्तर्गत बहुत सी ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, जिनका कार्यकल समाप्त होने के बावजूद भी उनके नये चुनाव नहीं करवाये जा रहे हैं ?

(२) यदि हां, तो चुनावों को क्यों रोक रखा है ?

(३) क्या यह सही है कि रतनगढ़ तहसील की ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन सरकार ने किया है ? यदि हां, तो उसकी एक सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उपमंत्री, स्वायत्त शासन विभाग : (श्री दौलतराम सारण) : (१) कुछ ऐसी पंचायतें हैं जिनके कार्यकाल की ३ वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है परन्तु सरकार ने एक वर्ष की अवधि और बढ़ा दी है अतः कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद चुनाव नहीं करवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(२) प्रश्न नहीं उठता ।

(३) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री रावतराम : तो इन पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की कारण क्या है ?

श्री दौलतराम सारण : सारे राजस्थान में बढ़ाया गया था वर्षा के मौसम में ।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील के ग्राम पंचायतों का पुनः निर्माण कर रहे हैं ?

श्री दौलतराम सारण : पुनर्निर्माण का प्रश्न नहीं है । उनकी अवधि बढ़ाई गई थी, वह समाप्त होने पर चुनाव कराये जावेंगे ।

श्री रावतराम : लेकिन अवधि बढ़ाने का कारण क्या था ?

श्री दौलतराम सारण : कुछ वार्डों के झगड़े थे, इसलिए उनमें सुधार की कार्यवाही चल रही है ।

श्री रावतराम : वहां के पंचायत इन्सपेक्टर ने उसको ठीक कर दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वार्ड में आपत्तियां-थीं, इसलिए अब हो जायेंगे ।

श्री रावतराम : कब तक हो जावेंगे ?

Page No.26

श्री दौलतराम सारण : साल भर की अवधि में या जब अवधि समाप्त होगी।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) जब तक आपका पक्ष मज़बूत न हो जाय।

एक माननीय सदस्य : इसलिए रोके गये हैं कि उन्हीं से वोट प्राप्त करने हैं....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कल भी यह पूछा गया था। माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं कल ही चुनाव कराने के लिए तैयार हूँ।

श्री रावतराम : वहाँ लोग तो चाहते हैं लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : तो क्या माननीय मंत्रीजी सदस्यों के कहने से चुनाव रोकते हैं और करवाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वार्डों की शिकायत को एग्ज़ामिन कर रहे हैं और इसी वज़ह से चुनाव नहीं हो पाये हैं लेकिन यह कहने को मैं मजबूर हूं कि हम नहीं कराना चाहते हैं।

श्री रावतराम : राजगढ़ तहसील की शिकायतों का क्या कारण था ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या २२१

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री श्रीभानसिंह।

भरतपुर जिले को दिया गया आयात गेहूँ एवं अन्य खाद्यान्नों की मात्रा

२२२. **श्री श्रीभानसिंह (बयाना)** : Will the Minister for Food be pleased to state :-

(1) How much quantity in tons of imported wheat or other foodgrains were supplied to the Bharatpur District in the year 1958 ?

(2) How many Fair Price Shops were opened in each Tehsil and how much quota of foodgrains was allotted to these shops and to individuals and at what price ?

खाद्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) In the year 1958, 3040 tons of wheat and 400 tons of milo were supplied to Bharatpur District since July 1958 and in addition to this an ad hoc quota of 1000 tons was also placed at the disposal of Collector making a total of 4040 tons of wheat.

(2) A statement showing the number of Fair Price Shops opening in each Tehsil and quota of foodgrains allotted to him is put up on the table of the house.

(3) An individual is supplied wheat at Rs. 5/-per week per family and the price is Rs. 14/6-per maund.

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

भरतपुर डिविज़न में औषधालयों की संख्या एवं उनकी औषधियों का बजट

१६१. **श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी** (डींग) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

(१) भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सन् ५७-५८ में औषधालयों की संख्या क्या थी और सन् ५८—५६ में क्या है ?

(२) उपर्युक्त दोनों वर्षों में इस डिस्ट्रिक्ट के लिये औषधियों का बजट कितना २ रहा है ?

(३) क्या सरकार को पता है कि पहले वर्ष की अपेक्षा दूसरे वर्ष में औषधियों में प्रयुक्त अनेक वस्तुओं के मूल्य बढ़ चुके हैं ?

(४) यदि हां, तो क्या उक्त स्थिति में दूसरे वर्ष का बजट पहले वर्ष की अपेक्षा और भी कम नहीं हो जाता ?

(५) यदि हां, तो क्या सरकार इस स्थिति को सुधारने का विचार करती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : सन् १६५७—५८ में आयुर्वेदिक औषधालयों की संख्या ४८ थी और सन् ५८—५६ में ४६ रही है ।

(२) सन् १६५७—५८ में तो बजट ३१,६००) तथा ५८—५६ में ३२,०००) रु० रहा है ।

(३) जी हां ।

(४) दूसरे वर्ष के बजट में ४००) रु० की वृद्धि रही है ।

(५) कोई शिकायत आई तो विचार किया जावेगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

पुलिस हैडक्वार्टर्स जयपुर में टी. बी. से पीड़ित नॉन गजेटेड पुलिस ऑफिसर्स को सरकार द्वारा राहत

१६२. श्री भैरोंसिंह (श्री रामकरणसिंह द्वारा पूछा गया) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पुलिस हैडक्वार्टर्स, जयपुर में गत दो वर्षों में तथा इस वर्ष किन-किन नॉन गजेटेड ऑफिसर्स को कब से टी. बी. की बीमारी हुई ?

(२) जिन-जिन को यह बीमारी हुई है वे कितने दिन सरकारी ड्युटी पर रहे और कितने दिन छुट्टी पर ?

(३) ऐसे बीमार व्यक्तियों के लिये सरकार ने क्या-क्या सुविधायें प्रदान कीं ? क्या यह सही है कि ऐसे बीमारों को छुट्टी के समय का वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो किस-किस को किस-किस माह में कितना-कितना वेतन दिया गया ?

(४) किन-किन व्यक्तियों को बेनिवालेन्ट फन्ड से कौन-कौनसी तारीख को कितनी राशि दी गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) किसी को नहीं ।

(२, ३, ४) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

संचालक आयुर्वेदिक विभाग द्वारा कुछ वैद्यों की बिना सेलेक्शन के नियुक्ति

१६३. श्री भैरोंसिंह (श्री रामकरण

Page No.28

(श्री भैरोंसिंह)

द्वारा पूछा गया) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १६५६-५७, ५७-५८, ५८-५६ में किन २ वैद्यों की नियुक्ति संचालक आयुर्वेदिक विभाग द्वारा की गई ?

(ख) इन नियुक्तियों की स्वीकृति पब्लिक सर्विस कमीशन से कब-कब हुई ?

(ग) क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में नियुक्तियां करने के सामान्य नियमों की पालन नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया इन नियुक्तियों की एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(घ) जिन स्थानों पर ये नियुक्तियां का गयीं वे कब २ से रिक्त थे और उनका विज्ञापन कब २ कराया गया ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) चूंकि इन नियुक्तियों में अधिकांश व्यक्ति 'सी' क्लास के है जिनकी नियुक्ति का अधिकार क्लासिफिकेशन एन्ड कन्ट्रोल रूल्स की धारा १४. (२) के अनुसार संचालक आयुर्वेद विभाग को है। इसलिए जन-सेवा आयोग का अनुमोदन लेना आवश्यक नहीं समझा जाता।

'बी' व 'ए' श्रेणी के वैद्यों की नियुक्तियां जन सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं। अतः ऑफिशियेटिंग बेसिस पर जिनको लिया गया था, उनके लिए भी जन सेवा आयोग का अनुमोदन ले लिया गया है।

(ग) जी नहीं। ऐसी बात नहीं है।

(घ) सरकारी स्वीकृति के बाद दो माह से अधिक शायद ही कोई स्थान रिक्त रहा हो। सन् ५६-५७ में विज्ञापन नहीं कराया गया चूंकि योग्य व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पहले से ही संचालक आयुर्वेदिक विभाग के कार्यालय में प्राप्त हो गये थे। ५७-५८ में विज्ञापन कराया गया था और ५८-५६ में एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेन्ज के भेजे हुए प्रार्थना पर वैद्यों को लिया गया है। इसलिए विज्ञापन नहीं कराया गया और उसकी आवश्यकता नहीं समझी गई।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

प्रश्न संख्या १६४

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह : अध्यक्ष महोदय, २१६ का जवाब दिलवा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

जेलों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां तथा उनके वेतन

१६६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में जेलों में काम करने वाले कर्मचारियों की कितनी श्रेणियां हैं ? उनके ग्रेड्स क्या हैं व हर कर्मचारी से कितने घंटे काम लिया जाता है ?

(श्री मुरलीधर व्यास)

(२) क्या इनके ग्रेड्स में सुधार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) जेलों में काम करने वाले कर्मचारियों की नीचे लिखी श्रेणियां एवं ग्रेड्स हैं :

श्री अध्यक्ष : बहुत लम्बी सूची है क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास : १५, २० नाम हैं ।

अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह	५०० से ८००
अधीक्षक, जिला कारागृह	२५० से ६००
उप अधीक्षक	१५० से ३२५
जेलर	११० से २२५
डिप्टी जेलर	८० से १७५
असिस्टेन्ट जेलर	६० से ११०
चीफ हैड वार्डर	६० से ११०
हैड वार्डर	४० से ५५
वार्डर	३० से ५०
फैक्टरी मैनेजर	११० से २२५
सहायक फैक्टरी मैनेजर	८० से १७५
डायर	६० से १३०
ब्लेक सेस्मथ (लोहार)	,,
दर्जी	,,
खाती	,,
जेल डॉक्टर (फर्स्ट ग्रेड)	२५० से ७००
(सेकिन्ड ग्रेड)	२०० से ४००
कम्पाउन्डर	६० से १३०
वरिष्ठ लेखक	८० से २००
कनिष्ठ लेखक	६० से १३०
मेटर्न	५० से ६०
मोटर ड्राइवर	६० से १००
कनवीक्ट टीचर (ए) ट्रेन्ड	५० से ७५
(बी) अनट्रेन्ड	४० से ५०
वोकेशनल टीचर	७० से १४०
चपरासी, बागवान, भंगी	२५ से ४०
नाई, धोबी, लाँगरी,	,,
मिस्त्री	६० से १३०
सहायक मशीन मैन	४० से ७०
नर्स	५० से ६०

दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारियों से ६॥ घंटे तथा फैक्टरी में काम करने वाले कर्मचारियों से ८ घंटे तथा दीगर जेल कर्मचारियों (गार्डिंग स्टाफ) से दिन में ६ घंटे और रात में ३ घंटे काम लिया जाता है। जेल की भिन्न-भिन्न ड्युटियों और जिम्मेदारियों को मद्दे नज़र रखते हुए, सुपरिन्टेन्डेन्ट, जेलर, हैड वार्डर, वार्डरान आदि जेल की हद में रहते हैं।

(२) सरकार का इनके ग्रेड्स में सुधार करने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : ग्रेड में सुधार क्यों विचाराधीन नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : क्योंकि पहले ही कन्सीडर कर चुके हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार को मालूम है कि दूसरे प्रान्तों के अन्दर जेल के कर्मचारियों की जो ग्रेड्स हैं उनमें और यहां की ग्रेड्स में बहुत ही अन्तर है ?

Page No.30

श्री रामकिशोर व्यास : कम्पेरेटिव स्टेटमेंट तो मेरे पास नहीं है लेकिन हमारी स्थिति बढ़ाने की नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : उत्तर प्रदेश में जेलर की ग्रेड २००) से स्टार्ट होती है जब कि यहां १२५) से इसलिए अन्य प्रान्तों की अपेक्षा इतना फर्क है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए, सरकार विचार कर रही है क्या?

श्री रामकिशोर व्यास : अभी तो हमारा विचार नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : इसका आखिर क्या आधार है कि आप का विचार नहीं है?

श्री रामकिशोर व्यास : आर्थिक स्थिति।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके बाद महत्वपूर्ण तो और कोई कारण नहीं?

श्री अध्यक्ष : और भी कई बातें हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार का भेद नहीं हो यह क्या आपने दूसरे स्टेटों से कम्पेअर करके देख लिया है क्या? दूसरे प्रान्तों से जबरदस्त भेद है इस लिए सोच समझ कर ही मैंने सवाल रखा है और इसी लिये जानकारी चाही है।

श्री रामकिशोर व्यास : (गृह मंत्री) जब इन्टीग्रेशन किया उस समय रेशनेलाइज़ किया, ग्रेडेशन का अब और बढ़ायेंगे तो सब का बढ़ायेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : उस समय भी जेलर्स के ग्रेड का खयाल नहीं रखा गया। आप जब इस प्रान्त के कर्मचारियों के ग्रेड बनाते हैं तब दूसरे प्रान्तों का आदर्श तो आपके सामने रहता होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरे प्रान्तों का भी ध्यान रखते हैं और यह भी ध्यान रखते हैं कि पहले क्या मिल रहा है।

श्री मुरलीधर व्यास : तो यह समझा जाय कि इनमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा?

रावराजा श्रीसरदारसिंह: (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या २१६ का भी उत्तर दिलवा दीजिये।

आबू रोड़ से आबू पहाड़ तक चलने वाली पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियें।

२१६. **श्री मोहब्बतसिंह** (रावराजा श्री सरदारसिंह द्वारा पूछा गया) : Will the Minister for Transport be pleased to state :-

(a) Is it a fact that the vehicles ply between Abu Road and Mt. Abu under State Transport have gone old and inconvenience is caused to the travelling people?

(b) Does the Government contemplate to replace these old vehicles by new ones?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : आप बहुत उत्सुक हैं तो सुन लीजिये।

१. हां।

२. सरकार विचार कर रही है।

Page No.31

रावराजा श्री सरदार सिंह : मोटरों की हालत वैसे ही खराब है फिर कब तक विचार पूरा होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब जल्दी करने की कोशिश करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार जयपुर) : मोटर ही क्या मोटियारों की ही ऐसी हालत हो गई है।

डॉ० चन्द्रकला: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या २०७ का भी उत्तर दिलवा दीजिये।

महिला डाक्टरों की कमी

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : (डॉ० चन्द्रकला द्वारा पूछा गया) :

Will the Minister for Medical and Public Health be pleased to state :-

(a) What is the number of lady doctors required by the Medical & Health Department for the State ?

(b) How many female dispensaries are running without lady doctors? The list of the places may kindly be placed on the Table of the House.

(c) How does the Government contemplate to remove this shortage ?

मंत्री जन-स्वास्थ्य विभाग(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) १५० जिनमें सी० ए० एस० क्लास १ के ५० और सी ० ए० एस० क्लास २ के१०० हैं।

(ख) तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार एक तो मेडिकल कॉलेज बीकानेर में जुलाई १६५६ से खोल रही है। दूसरे जन सेवा आयोग द्वारा बाहर से डाक्टरों को बुला कर समस्या को पूरा करने का प्रयत्न कर रही है,

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

डॉ० बहादुर सिंह (धौलपुर) : क्या लेडी डाक्टरों की कमी की पूर्ति करने के लिये बीकानेर मेडिकल कॉलेज में ज्यादा सीटें रिजर्व करा दी हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस साल बहुत रियायत दी गई। यहां के मेडिकल कॉलेज में भी लड़कियों को बहुत स्थान मिला है।

श्री पी० के० चौधरी : what is the family dispensaries, यह फेमीली डिस्पेन्सरी क्या है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फेमीली डिस्पेन्सरी कोई नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

१२.३ म० प०

विधायी कार्य

राजस्थान होल्डिंग्ज (कन्सोलीडेशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ फ्रेग्मेन्टेशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८

मंत्री राजस्व विभाग : (श्री दामोदर व्यास): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेग्मेन्टेशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८ को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

डॉ० चन्द्रकला : यह प्रस्ताव क्यों करते हैं, यह भी बतला दीजिये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८ और इसी का (तृतीय संशोधन) विधेयक मैंने पेश किया था। अब मैं कन्सोलिडेटेड फार्म में दूसरा बिल पेश कर रहा हूं। अलग अलग बिल के बजाय एक हो जायगा इसलिये वापिस लेने की इज़ाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

(विराम)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलीडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५८ (वापिस लेना)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होल्डिंगज़ (कन्सोलिडेशन एन्ड, प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५८ को वापिस लेने की आज्ञा के लिये प्रार्थना करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि उपरोक्त विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

राजस्थान होल्डिंग्ज़ (कन्सोलीडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) (संशोधन) विधेयक, १६५६

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान होल्डिंग्स (कन्सोलीडेशन एण्ड प्रिवेन्शन आफ फ्रेग्मेन्टेशन) (संशोधन) विधेयक, १६५६ को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : फिर तो आप वापिस नही लेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : No, no.

श्री अध्यक्ष : पुर : स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाती है।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक राजस्थान लैंड एक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक १६५६

(विचारार्थ एवं पारित)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान लैंड एक्वीज़िशन (संशोधन) विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान लैन्ड एक्वीजिशन (संशोधन) विधेयक, १६५६ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

१२.५ म० प०

नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १६५६

(विचार–विमर्श)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : on a point of order sir, अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक मोशन मूव किया था और वह यह है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में न भेज कर पब्लिक ओपीनियन के लिये सक्युलेट किया जाय। मैं समझता हूं कि सिलैक्ट कमेटी का प्रस्ताव पेश होने से पहले पब्लिक ओपीनियन के लिये जो प्रस्ताव आया है उसको प्रस्तुत करने की आप आज्ञा देंगे।

श्री अध्यक्ष : आपका मोशन बहुत देर से आया था इसलिये उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा नही दी गई है। पहले यदि आपका मोशन आ जाता और सक्युलेट हो जाता तो इजाज़त मिल सकती थी।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स में ऐसा नहीं है, कि सक्युलेशन हो ही।

श्री अध्यक्ष : जो मोशन या अमेन्डमेन्ट हो, उसका नोटिस होना ही चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : But I would like to submit, Sir, that the Hon'ble Member has already created a public opinion for this Bill. So let it be passed now.

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाज़त हो तो मैं रूल कोट कर दूं। उसके अन्दर ऐसा है कि जब मिनिस्टर-इन-चार्ज किसी बिल को मूव करते हैं उसको जब कन्सीडरेशन के लिये लिया जाता है, उसी

(श्री भैरोंसिंह)

समय कोई भी मेम्बर सिलेक्ट कमेटी में भेजने का या पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजने का प्रस्ताव कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष : उस समय ही रखा जाय यह नहीं लिखा है । उस वक्त मूव हो सकता है और तब हो सकता है जब कि पहले सक्युलेट किया गया हो या उसके लिये आज्ञा प्रदान की गई हो ।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय. नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १६५६ जो हमारे सामने है उसके लिये मैंने एक संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत मैंने यह मांग की है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इस सम्बन्ध में विचारविमर्श किया जाय और उसके बाद जो भी विधेयक की खामियां हैं और बहुत सी खामियां है, जिससे कानूनी पेचीदगिया होने की संभावना है, इसका असर लोगो की जिन्दगी पर भी पड़ने वाला है इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इसको पहले प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कई दिनों से हमारे इस सदन के सम्मुख नाथद्वारा कांड के नाम से एक वातावरण बना है । उसके बाद हमारे यहां जिस ढंग से इस समस्या के हल को सोचा जा रहा है उसमें मैं समझता हूं मन्दिरों के सुधार करने की बजाय राजनैतिक आधार अधिक हैं और यह भी स्पष्ट है कि इस बात से कुछ इस तरह का वातावरण एक नियोजत पूंजीपतियों के षडयन्त्र से तैयार किया गया है । प्रारम्भ में इन लोगो ने इस बात की कोशिश की कि वैष्णव सम्प्रदाय पुष्टि मार्गीय वैष्णव सम्प्रदाय कहलाता है कुछ ऐसे पूंजीपतियों के हाथ में नियोजित है । उसके लिये एक बार नही कई बार प्रयत्न किया गया । माननीय अध्यक्ष, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक ऐतिसिक घटना है । इस मन्दिर की समस्या को लेकर आज से नहीं सन् १६४० से लगातार कुछ न कुछ होता रहा है । सन् १६४१ में सब से पहले नाथद्वारा खजाना कांड नाम से एक कांड हुआ था उस समय इस सदन में बैठने वाले कुछ साथियो ने बड़ा जोरदार आन्दोलन किया था और कहा था कि गोस्वामीजी महाराज नाबालिग हैं इसलिये राज्य सरकार जो खजाना खोलना चाहती है वह न खोला जाय । उसके लिये बड़ा जोरदार आन्दोलन भी हुआ और उससे नाथद्वारा में काफी सरगर्मी छायी और कई लोग जेलों के सीखचों में बन्द किये गये । उसके बाद मैं समझता हूं जब सब लोग जेलों में बन्द कर दिये गये थे, उस समय जबरदस्ती खजाने को खोला गया और उसकी इनवेन्टरी बनायी गई । उसके बाद यह मांग की गई और जितने भी नाथद्वारा के रहने वाले थे, उन्होंने इस बात की मांग की कि कुछ जनतन्त्रात्मक प्रणाली के आधार पर इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये । उस समय लोगों की मान्यता को ध्यान में रखते हुए प्रगतिशील भावनाओं का समावेश किया गया और उसके आधार पर मैं समझता हूं कि बिना कानून के भी गोस्वामीजी ने एक बार नहीं, दो बार समितियां कायम की और पॉवर ऑफ अटर्नी के जरिये, एक पॉवर ऑफ अटर्नी कमेटी कायम की ।

श्री शोभानसिंह (बयाना) : वह प्रगतिशील सिद्धान्त, जिस पर मैनेजमेन्ट

(श्री श्रीमानसिंह)

किया गया वह भी थोड़ा हाउस को बता दें तो अच्छा होगा।

श्री मनोहर कोठारी : आप धैर्य रखिये। मैं इस प्रश्न पर विस्तार से कहने वाला हूं वह प्रगतिशील सिद्धान्त भी आ जावेगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इस तरह के पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर्स की कमेटी कायम की गई और उन लोगों को वे सारे के सारे अधिकार दिये गये जो इस कानून के तहत आज हम देने की बात सोचते हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये इस सदन को सूचना देना चाहता हूं कि उस कमेटी के सदस्यों ने चाहे वे पूंजीपति हों, बड़े बड़े कल कारखाने चला रहे हों, जब सत्ता उनके हाथ में आई तो नाथद्वारा के प्रबन्ध के बारे में भी उन्होंने मानवीय आधार पर नहीं सोचा। जिस तरह से एक फैक्टरी का, एक कल कारखाने या मिल का संचालन किया जाता है उसी तरह इसका प्रबन्ध भी वे करने लगे और उस मन्दिर के जो ६ हज़ार आदमी उस प्रबन्ध से सीधे प्रभावित होते हैं उनकी स्थिति बिगड़ी। इन लोगों पर ही यह कानून प्रभाव डालेगा। इनकी ज़िन्दगी इस मन्दिर पर आधारित है यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। जिस समय उस जाति के लोग और वे छ हज़ार लोग पैदा होते हैं उस समय भी मन्दिर पर आधारित होते हैं, जब उनकी शादी होती है तो मन्दिर को उसका खर्चा देना पड़ता है और जब मरते हैं....

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Are they parasites on the temple ?

श्री मनोहर कोठारी ....और जब वे मरते हैं तो उन लोगों के कफन का खर्चा भी मन्दिर को बर्दाश्त करना पड़ता है। यह एक दिलचस्प तथ्य है और इसे स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि श्रीनाथजी की मूर्ति की एक व्यक्ति में शक्ति व्याप्त नहीं मानी गई। जितने ये लोग हैं नाथद्वारा के, जो ब्रज वासी कहलाते हैं, जो एक जाति विशेष के लोग नहीं हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं उनको इस बात का अधिकार दिया हुआ है कि वे मन्दिर की प्रतिष्ठा को बनाये रखें। मन्दिर की सेवा करें और मन्दिर की सेवा के साथ उस नाथद्वारा के विकास में सहयोग दें। इनमें से अधिकांश लोग, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि केवल मन्दिर का काम करते हैं और आप और हम लोग जिस बारे में सोचते हैं मन्दिर की वह मान्यता और प्रसिद्धि उनके द्वारा निर्माण की जाती है। वहां पर इस तरह छोटे मोटे मन्दिर के काम उन लोगों के जरिये पूरे किये जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों जो नाथद्वारा काण्ड का सिलसिला शुरू हुआ, उसके पीछे एक बहुत पुराने समय से नियोजित षड्यन्त्र रहा है और उसका स्वरूप कुछ दिनों से हमारे प्रान्त में विषैले वातावरण के रूप में आया और हमारी राज्य सरकार ने न जाने क्यों उस वातावरण से बचने की नीयत से यह जानते हुए भी कि इस तरह का कानून इतनी जल्दी और वह भी ऑर्डिनेन्स के जरिये लागू नहीं किया जाना चाहिये, एक ऑर्डिनेन्स का निर्माण कर नाथद्वारा के मन्दिर की व्यवस्था के सम्बन्ध में उस कानून को शुरू किया।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसके पहले कि मैं इस कानून के सम्बन्ध में और नाथद्वारा की परम्परागत उस वल्लभ सम्प्रदाय के सम्बन्ध में इस सदन को जानकारी दूँ, मैं निवेदन करना चाहता हूं

(श्री मनोहर कोठारी)

कि सब से पहली ऐतराज़ की बात तो यह है कि जब विधान सभा का सत्र सात दिन बाद ही प्रारम्भ होने वाला था तो उसके सात दिन पहले ऑर्डिनेन्स निर्माण करने की ऐसी कौनसी आवश्यकता आ पड़ी थी और उस ऑर्डिनेन्स से भी फिर सत्ता महन्तजी से या गोस्वामीजी से नहीं ली जाती, बल्कि वहां के कर्मचारियों से सत्ता प्राप्त की जाती है। उस पर भी, अब समझता हूं, कि गोस्वामीजी ने सहमति दी हो या सत्ता का हस्तान्तरण किया हो ऐसा नहीं लगता। केवल वहां के कर्मचारियों से जो कि यहां के चीफ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर होकर आये हैं दलेला साहिब, उन्होंने सत्ता हस्तगत की है। तो यह अस्सी वर्ष की बिचारी बुढ़िया मर जावे इसकी चिन्ता नहीं, पर यदि मौत घर देख लेगी तो उस घर में बच्चे भी है, औरतें भी हैं, जवान भी हैं उन पर भी उसका असर पड़ता दीखता है। मन्दिर की व्यवस्था यदि किन्हीं हाथों में सरकार सौंपना चाहती है तो यह बहुत बड़ी बात नहीं है। आज से पहले भी उन्हीं लोगों के, जिनकी एक प्रोविज़नल कमेटी बनाई गई है, हाथ में आज तक व्यवस्था थी और ठाकरसी, कापड़िया और कमिश्नर, उदयपुर डिविज़न ये तीनों पॉवर ऑफ अटर्नी होल्डर्स की कमेटी के भी सदस्य थे। ऐसा कौनसा वहां हंगामा या खून खराबी होने जा रही थी जिसे रोकने के लिये सदन की बैठक के सात दिन पहले ही आर्डिनेन्स इश्यु करने की आवश्यकता सरकार को पड़ी। जब सदन सात दिन बाद ही प्रारम्भ हो रहा हो उस समय ऑर्डिनेन्स इश्यु करने की आवश्यकता मुझे तो महसूस नहीं होती। हमारी लोक सभा के माननीय अध्यक्ष, श्री आयंगर साहब ने कुछ दिन पहले देश के लोगों को वहां के कॉन्स्टिट्यूएन्ट क्लब में एक विशेष सिम्पोज़ियम के दौरान में बताया कि राज्य और केंद्रीय सरकारें जो ऑर्डिनेन्स समय समय पर इश्यु करती हैं यह परम्परा बहुत गलत है और वह परम्परा जनतांत्रिक सिद्धान्त से हटकर कहीं डिक्टेटरशिप की ओर देश को न ले जावे इस बात की आशंका उन्होंने प्रकट की है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार भी इस बात को फिक्र में रहती हैं कि किस तरह से विधान सभा का या पार्लियामेंट का सत्र समाप्त हो जावे और तब वे ऑर्डिनेन्स इश्यू करें। सत्र चालू होता है तो समाप्ति तक इस बात का इन्तजार किया जाता है कि यह जल्दी समाप्त हो और इसके बाद में आर्डिनेन्स शुरू करें। जब नाथद्वारा टेम्पल ऑर्डिनेन्स इश्यु किया गया तो इसके केवल सात दिन बाद ही विधान सभा का सत्र शुरु होने वाला था। तो इस मौके पर ऑर्डिनेन्स इश्यु करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं यह भी मानता हूं कि यदि इस तरह की प्रणाली को समाप्त नहीं किया गया तो हमारी लोकसभा के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट आशंका प्रकट की है कि डिक्टेटरशिप हो जावेगी। आज की इस एग्ज़ीक्यूटिव की आंखें भी सत्ता हथियाने की तरफ लगी हुई हैं। यह लेजिस्लेचरों और पार्लियमेंट के अधिकारों के हनन करने की बात है। वैधानिक दृष्टि से ....

श्री पी. के. चौधरी : आपका स्टेटमेन्ट सिर्फ नाथद्वारा ऑर्डिनेन्स के लिये ही है या सब के लिये है ?

श्री मनोहर कोठारी (जारी) : मैं नाथद्वारा की बात करता हूं क्योंकि इसके लिये ऑर्डिनेन्स इश्यु किया गया है। सदन के

(श्री मनोहर कोठारी)

सत्र के प्रारम्भ होने के सात दिन पहले आर्डिनेन्स इश्यु करने में कोई औचित्य नहीं हो सकता और यह स्पष्ट बात है कि इस तरह के आॅर्डिनेन्स इश्यु करने के कार्य से लोगों में कुछ भ्रान्ति उत्पन्न हुई है। नाथद्वारा की समस्या केवल नाथद्वारा के १६ हज़ार नागरिकों की समस्या नही है, वह सारे राजस्थान के नागरिकों की समस्या है, यहीं नहीं बल्कि वह सारे हिन्दुस्तान के एक विशेष सम्प्रदाय के लोगों की समस्या है, उनके धार्मिक विचारों की समस्या है, धार्मिक मान्यता और धार्मिक अधिकारों की समस्या है। मैं समझता हूं कि हमारे इस प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो कुल मिलाकर ११०८८ मन्दिर हैं। उनके बारे में हमारी राज्य सरकार यह नहीं सोचना चाहती कि उनका प्रबन्ध किस तरह से हो रहा है। ये पांच किस्म के मन्दिर हैं। इनमें देवस्थान विभाग के अन्तर्गत व्यवस्था वाले भी हैं। इनकी स्थिति देखी जाय तो मैं बताना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी दुर्दशा इन मन्दिरों की हो रही है, कई गबन के केसेज़ हमारे सामने आते हैं, हम जनलेखा समिति और दूसरी समितियों की रिपोर्टों में और आॅडिट रिपोर्टों में भी इस किस्म की बातें सुनते हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार के अपने अंतर्गत व्यवस्था में जो मंदिर हैं उनके पैसे की हिफाजत नहीं कर सकती। आज तक जो अच्छी स्थिति में और अच्छी व्यवस्था में मंदिर चल रहे हैं उनकी व्यवस्था को और अच्छी बनाना चाहते हैं यह बात समझ में आ सकती है। पर साथ ही यह बात स्पष्ट है कि इन चीजों को ध्यान में नहीं रक्खा तो हम सुधार करने के बजाय मंदिरों की प्रतिष्ठा को गिरा देंगे।

फिर एक बात और है। आज जो २० लाख रुपया इस मंदिर पर खर्च होता है उसके बदले में उसकी पर्मानेन्ट रेवेंयु चार लाख ही है। १६ लाख रुपया भक्तजनों के दिलों की प्रेरणा से, और उनकी भक्ति से नाथद्वारा में आते हैं, वह बंद हो सकता है और ऐसी स्थिति राजस्थान सरकार के सामने और प्रबंध बोर्ड के सामने आवेगी। इसकी पूर्ति आगे से सरकार किस तरह से करेगी इसके बारे में हमारे राजस्व मंत्री महोदय कुछ कहें और आश्वासन दें। वे यह बतावें कि यह तो प्रोविज़न किया गया है एक्ट में कि सरप्लस फंड बचेगा मंदिर की व्यवस्था करने के बाद और मंदिर के उन सभी उत्सवों को, जो आज तक होते रहे हैं, करने के बाद जो सरप्लस बचेगा उससे यूनीवर्सिटी कायम करने में या कोई इसी तरह की सार्वजनिक प्रवृत्तियों में जनता के हित के लिये खर्च किया जावेगा, पर अगर डेफिसिट बजट रहा तो सरकार क्या करेगी? जो आकाशीय वृत्ति की आमदनी है और जो भक्तजनों के दिलों में इच्छा होती है तब आती है वह अगर किसी कारण से जनता ने या भक्तजनों ने देनी बंद कर दी तो क्या सरकार अपने कोष से उसकी पूर्ती करेगी या इसके लिये और कोई व्यवस्था करेगी। इस बारे में भी राजस्थान सरकार को कुछ बताना चाहिये।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हमारे यहां जो राज्यकीय देवस्थान विभाग है उनमें जैसा मैंने निवेदन किया कुल मिलाकर मन्दिरों की संख्या ११०८८ है, राजस्थान में। उनमें से ११०८७ तो अच्छे चल रहे हैं, उनकी चिन्ता सरकार को सता नहीं रही है। एक नाथद्वारा की समस्या ही सरकार को सता रही है और

Page No.38

(श्री मनोहर कोठारी)

उसी को राज्य सरकार ने हाथ में लिया है। मैं निवेदन करूं कि देवस्थान के अधिकृत मन्दिर जो हैं उनमें का ११ लाख ५६ हज़ार और ६८१) रुपया कर्जे के रूप में लोगों को दिया गया है जो आजतक वसूल नहीं हुआ है और मैं सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूँ कि ३ पार्टियों को, श्रीगोपाल मोहता, आर्य समाज, अजमेर और कुछ जागीरदारों को यह रुपया दिया गया है। और जब यह समस्या जनलेखा समिति द्वारा सामने रखी गई तो बताया गया कि पार्टी की कुछ आर्थिक स्थिति खराब है, उनके पास प्रोपर्टी नहीं है इसलिए उनसे पैसा वसूल नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि इस तरह बिना जमानत लिए, बिना प्रोपर्टी के हुए इतनी बड़ी रकम किस प्रकार से राजस्थान के देवस्थान विभाग ने दी और उसका क्या औचित्य हो सकता था, यह खास तौर से हमारी समझ में आना चाहिए क्योंकि हम नाथद्वारा के मन्दिर को सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा सिलसिला चल पड़ा है उसके बारे में सोचने के लिए ज्यादा आतुर हैं। मैं समझता हूं कि यदि अच्छी व्यवस्था होती है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसको स्वीकार करना चाहूंगा लेकिन हमारे कुछ साथी, हमारे कुछ माननीय सदस्य शायद आज इस वातावरण में, जब कि सदन के सामने इस प्रकार की समस्या राजनैतिक स्टंट में रखी गई है, यह अनुभव करते होंगे कि इस बात को स्पष्ट करना चाहिए...

श्री शोभानसिंह : The Hon'ble member forgets that this is a Government sponsored Bill.

श्री मनोहर कोठारी : मैं यह नहीं समझता। मैं यह कह रहा हूं कि यह चाहे गवर्नमेंट स्पोन्सर्ड बिल हो मगर...

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, इसे राजनैतिक स्टंट कहना बहुत एतराज़ की बात है।

श्री मनोहर कोठारी : : मैंने बिल को राजनैतिक स्टंट नहीं कहा है। मैं सदन को फिर बताना चाहूंगा कि मैंने कहा है कि नाथद्वारा कांड एक राजनैतिक स्टंट है और मैंने वही कहा है जो कि इस सदन के सामने अनेक माननीय सदस्य कई बार कह चुके हैं। स्वयं हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसको उस दिन राजनैतिक स्टंट कहा है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : सदन में राजनैतिक स्टंट ही होता है और क्या होता है ?

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि इस प्रकार का विधेयक जो हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि यह विधेयक कई बार राज्य सरकार के लिए विचार विमर्श का विषय रहा है। मुझे मालूम है कि आज के पहले जब फोरमर राजस्थान के समय में इस प्रकार का विधेयक बनाने की योजना बनी थी। उस समय यह नहीं बनाया गया और उसके बाद में सन् १९५४ के आस पास राजस्थान राज्य के मुख्य मंत्री महोदय और राजस्व मंत्री महोदय ने इस प्रकार की कोशिश की कि इसके लिए एक विधेयक तैयार किया जाये और उसके लिए एक प्रारूप भी तैयार

(श्री मनोहर कोठारी)

किया गया। वहां की जनता के विचार जानने के लिए वहां के लोगों से सम्पर्क किया और पुष्टिमार्गीय वैष्णव सम्प्रदाय वालों से सम्पर्क स्थापित किया गया लेकिन उस प्रारूप को भी स्वीकार नहीं किया गया और उसको अध्यादेश के जरिये लागू करने की बात थी लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। लेकिन इस बार बिना राज्य सरकार ने लोगों की भावनाओं को जाने बगैर उन्होंने एक अध्यादेश इश्यु किया है। मैं समझता हूँ कि इस अध्यादेश और इस बिल को पढ़ने के बाद में इसमें कई प्रकार की ऐसी खामियां हैं कि यदि उनको दूर नहीं किया गया तो मुझे इस बात का संदेह होता है कि इस बिल के द्वारा हम और अधिक कानूनी पेचीदगियां पैदा करेंगे और इस बिल में कुछ प्रोविज़न्स रखे गये है मैं समझता हूँ कि उससे हम लोग जो नाथद्वारा के रहने वाले हैं उन पर ही इसका असर ज्यादा इसलिए पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रकार का कोई खर्चा होगा और लड़ने की बात आई तो उस समय मन्दिर का ही खर्च लगेगा। मन्दिर का जो बोर्ड बनेगा और वह लड़ेगा तो भी मन्दिर का ही खर्च होगा। अच्छा यह हो कि जो योजना रखी गई है उससे मन्दिर का ही पैसा बिगड़ता रहे और जो परम्परायें हैं उनको सुदृढ़ बनाने के लिए कोई विचार नहीं किया गया ऐसा यह बिल है। जैसा कि हमारे बिल में प्रोविज़न किया गया है उसमें बताया गया है कि जिस बोर्ड की रचना होगी उसमें एक तो कमिश्नर उदयपुर डिविज़न उसके सदस्य रहेंगे चाहे वह पुष्टीवादी सम्प्रदाय के मानने वाले है या नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और बाकी ६ सदस्यों को राज्य सरकार नामज़द करेगी। यदि नाथद्वारा के महन्त गोस्वामी इस बोर्ड के सदस्य होना चाहेंगे और सदस्य बनाना पसन्द करेंगे तो राज्य सरकार उनको बोर्ड का सदस्य रख लेगी। मैं समझता हूँ कि यह ऐसी बात है कि इसमें एक सैद्धांतिक बात है यह मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके द्वारा सदन को सूचित करना चहता हूँ कि पुष्टिमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय का बहुत बड़ा तत्व यह है कि वहां पर ब्रह्मसम्बन्ध की एक व्यवस्था है। वहां पर मर्यादा की व्यवस्था है और श्रीमद्वल्लभाचार्य ने १५५० में सबसे पहले ब्रह्मसम्बन्ध प्राप्त किया और उसके बाद में आज तक उस सम्प्रदाय का विकास करने की दृष्टि से उस सम्प्रदाय के मानने वालों की संख्या को बढ़ाने के सम्बन्ध में ब्रह्मसम्बन्ध की योजना है...

श्री पी० के० चौधरी : What is that 'Yojna'.

श्री जनार्दनराय नागर : उसमें आप न जायें नहीं तो आप भी ब्रह्मसम्बन्ध ले लेंगे।

श्री मनोहर कोठारी : ब्रह्मसम्बन्ध का मतलब यह है कि जो यहाँ पर पुष्टिमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय है उसका सिद्धांत है कि गुरु और मूर्ति, उन्होंने गुरु और भगवान को दो अलग–अलग मानते हुए भी उन दोनों को साम्य रूप में स्वीकार किया गया है और उस रूप को जो कोई भी व्यक्ति अंगीकार करता है वह व्यक्ति भगवान के सामने जाकर भगवान को दण्डवत करता है और वह कंठीबंध स्वीकार करता है और गुरु उसको दीक्षित करता है। उसी को ब्रह्मसम्बन्ध कहते

(श्री मनोहर कोठारी)

कहते हैं। मैं समझता हूँ कि सारे देश में, हिन्दुस्तान के लम्बे चौड़े प्रदेश में भी कई लोग हैं आज देश में ऊंचे-ऊंचे राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने भी ब्रह्मसम्बन्ध व कंठीबंध प्राप्त किया है। मैं सूचना के लिए सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारे देश के बहुत बड़े नेता सेठ श्री गोविन्ददास जी हैं वह एक वैष्णव हैं...

श्री जनार्दनराय नागर : राजसमंद के मगरमच्छ भी कंठीबंध हैं!

श्री मनोहर कोठारी : तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता था कि इस बिल को हमारे सामने जिस स्थिति में प्रस्तुत किया गया है उसमें धर्म के सिद्धान्तों का हनन किया गया है। सरकारी अधिकारियों को को इस बात की कल्पना नहीं थी। उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं है कि इस सम्प्रदाय के क्या सिद्धांत हैं। जब कि बार-बार इस बिल के प्रावधानों में कहा गया है कि उनके कस्टम और यूजेज़ के अनुसार इसकी सारी व्यवस्था की जायेगी। मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा कस्टम और यूजेज़ यह है कि हमारे सम्प्रदाय को मानने वाले ही अधिकतर कहे जा सकते हैं जो कि कंठीबंध होते हैं जो कि ब्रह्मसम्बन्ध के द्वारा उस सम्प्रदाय में दीक्षित होते हैं मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी कमी है और इस कमी को राज्य सरकार भूल गई है तो ऐसी व्यवस्था और करें कि वहां पर जो चीफ एग्जीक्युटिव ऑफिसर श्री दलेला को मुकर्रर किया है उनको अधिकार दे देंवे कि वे गुरु हो जावें...

मंत्री राजस्व विभाग (श्री दामोदरलाल व्यास) : आप ऐसा अमेन्डमेन्ट दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : (श्रीमाधोपुर) : रेवेन्यु मिनिस्टर साहब को गोस्वामी बनाने की व्यवस्था कर दें, तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : मंदिर के मुखियाजी महाराज के स्थान के लिये भी अमेन्डमेन्ट पेश कर दें।

एक माननीय सदस्य : जो मूर्ति है उसको दूसरी जगह स्थापित कर दें तो झगड़ा ही मिट जाय।

श्री हरिप्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि उसमें हरिजन सदस्य भी लिये जायेंगे या नहीं।

(हंसी)

श्री मनोहर कोठारी : मैं समझता हूँ कि इसमें एक बात इसलिये भी ठीक नहीं मालूम हो रही है कि केवल नाथद्वारा के लिये ही अलग बिल क्यों बनाया जा रहा है? गत साल हमारे यहां एक हिन्दू ट्रस्ट बिल पेश किया गया था और उसके अन्तर्गत हमारे यहां की सारी धार्मिक संस्थाएं ली जा सकती थीं और नाथद्वारा की व्यवस्था भी इसके अन्तर्गत आ सकती है। तो फिर समझ में नहीं आया कि ऐसा बिल अलग से क्यों प्रस्तुत किया गया। इस बिल के उद्देश्यों और कारणों में बताया है कि क्योंकि गोस्वामीजी से विचार-विमर्श के बाद योजना बनाई थी और वह योजना अब डिस्ट्रिक्ट ज़ज की अदालत में पड़ी है और वहां पर लंबा समय लगने की संभावना है इसलिये हम दूसरा बिल पास करना चाहते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि पहले

Page No.41

(श्री मनोहर कोठारी)

गोस्वामीजी से मिल कर कुछ निश्चय किया गया था और राज्य की राय और गोस्वामीजी की राय और वैष्णवों की राय को लेकर यदि कोई योजना बनाई गई है तो वही योजना वास्तव में अच्छी योजना हो सकती है और उसी के द्वारा मंदिर की व्यवस्था होती तो ज्यादा अच्छा होता। अगर वह योजना अदालत में पड़ी है तो वहां से फैसला भी शीघ्र हो जायगा और यह मालूम हो जायगा कि कौनसी बात वैधानिक है और कौनसी अवैधानिक। मैं तो अंत में यही निवेदन करता हूं कि यह मामला केवल गोस्वामीजी का होता तो मुझे उस पर एतराज़ नहीं था, केवल नाथद्वारा का होता तो भी एतराज़ नहीं था लेकिन माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा सूचना देना चाहता हूं कि ६ हज़ार व्यक्ति, जो इस कानून के बाद इससे सीधे प्रभावित होंगे, उनका क्या होगा ? उनमें शिक्षा बहुत कम है। उन लोगों को वहां पर सवा रुपया या डेढ़ रुपया माहवार वेतन मिलता है और सवा मन अनाज मिलता है और वे लोग मंदिर पर ही आश्रित रहते हैं और मंदिर की व्यवस्था में ही लगे हुए हैं उनके बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है ? यदि राज्य सरकार यह कहेगी कि बाई लॉज़ के अंतर्गत उनको संरक्षण देंगे तो मैं समझता हूं कि २० लाख रुपयों का प्रति वर्ष वहां पर खर्चा होता है। अब यदि बड़े-बड़े ऑफिसर कायम किये जायेंगे तो खर्चे में और भी वृद्धि होगी। अच्छी व्यवस्था में खर्चा होना भी जरूरी है। २० लाख का खर्चा होगा और आमदनी ४ लाख की है तो १६ लाख रुपयों के घाटे के बारे में सरकार कैसा विचार रखती है ? यदि मान लीजिये कि हमने व्यवस्था में परिवर्तन किया और जनमत जानने की कोशिश नहीं की और वैष्णवों की भावना जानने की कोशिश नहीं की और यदि उन्होंने इसे नहीं माना और कमेटी के भी वरचस्व को नहीं माना तो उस समय इस कमेटी की क्या स्थिति होगी ? इसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते इस देश में जब कि बड़े-बड़े राजाओं के अधिकार लिये, रियासतों का विलीनीकरण किया, लेकिन हमारे विधान में एक व्यवस्था नहीं थी महाराजप्रमुख नियुक्त करने की लेकिन यह व्यवस्था इसलिये की गई कि महाराणा प्रताप ने देश के लिये कुछ किया है इसलिये उनके वंशजों का अपमान करने का मतलब होगा महाराणा प्रताप के शौर्य का अपमान करना इसलिये महाराजप्रमुख की पोस्ट भारत सरकार ने रखी और हमने भी स्वीकार की...

श्री पी. के. चौधरी : अब तो वह भी खत्म हो गई है।

श्री मनोहर कोठारी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में इसको यदि किसी कोवेनेन्ट या एग्रीमेंट के ज़रिये लिया जाता तो कानूनी पेचीदगी की अधिक संभावना नहीं थी। मैं यह कहना चाहता हूं कि नाथद्वारा की समस्या को इरादतन लिया जा रहा है। इससे न तो लोगों का हित है और न राज्य सरकार का ही हित है। मैं समझता हूं नाथद्वारा रेलवे स्टेशन से १६ मील की दूरी पर है और वहां पर १६००० की पोपुलेशन है और उसके इन्कम का और कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। कहीं आप उनको बर्बाद नहीं कर दें और वहां की स्थिति खराब न हो जाय ..

श्री पी० के० चौधरी : (फुलेरा) :

Page No.42

(श्री पी. के. चौधरी)

On a point of order, Sir, वहां की पोपुलेशन ६ हज़ार है या १६००० है ?

श्री मनोहर कोठारी : वहां की पोपुलेशन १६००० है, उसमें से ६००० लोग मंदिर से सम्बन्धित हैं, अन्य १० हज़ार व्यापारी वगैरह हैं अन्त में मैं यह निवेदन करता हूं कि हमारे यहां सार्वजनिक ढंग की व्यवस्था नहीं है कि कोई भी वैष्णव वहां जाकर पूजा कर ले। क्योंकि आप वहां की परम्परा को रखना चाहते हैं तो परम्परा यह है कि कुछ लिमिटेड आदमी ही उस मंदिर में प्रवेश करके पूजा कर सकते हैं।...

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : भारत के प्रधान मंत्री ट्रेडिशन्स को नहीं चाहते हैं।

श्री मनोहर कोठारी : यह बिल सिर्फ नाथद्वारे के लिये श्रीनाथजी के लिये ही नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ रमणीकप्रियाजी और मदनमोहनलालजी के मंदिर भी ले लिये हैं जो खुद के निजी आराध्यदेव हैं। ये इस तरह के छोटे-छोटे मंदिर हैं जिनका सार्वजनिक सम्बंध नहीहै। वहां जो खर्चा होता है वह महाराज के द्वारा ही होता है।....

डॉ० बहादुरसिंह : महाराज की आमदनी अलग है क्या ?

श्री मनोहर कोटारी : इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा। रमणीकप्रियाजी और मदनमोहनलालजी के मंदिर हैं वे महाराज के निजी आराध्यदेव के मंदिर हैं। अभी वहां पर जो पैसा खर्च किया गया था उसके बारे में अभी जो पॉवर ऑफ़ अटोरनी हैं उन्होंने वह पैसा श्रीनाथजी के मंदिर से नहीं दिया और देने से इंकार कर दिया और कहा कि यह पैसा महाराज श्री को अपनी जेब से देना पड़ेगा क्योंकि वे उनके आराध्यदेव हैं और उनके खिलाफ पर पूजा अर्चना करते हैं। तो ऐसी हालत में उनको लेने की बात नहीं होनी चाहिये। अगर वहां की व्यवस्था अच्छी करनी है तो मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनसे भी और अच्छा मंदिर विट्ठलनाथजी का है जिस पर लाखों रुपये का कर्जा है और वह भी गोस्वामीजी के अंडर में है। आप उसकी व्यवस्था अपने हाथ में लेकर बतलाइये कि इसकी व्यवस्था इस तरह से होती है। इस छोटे से मंदिर की व्यवस्था अच्छी करके बता देंगे तो यह कह सकेंगे कि बड़े मंदिर की व्यवस्था भी अच्छी हो सकती है।

अंत में मैं यह कहूंगा कि इस बिल में कई बातें ऐसी रह गई हैं जिनके बारे में अमेंडमेंट्स दिये हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। हम पहले जनमत संग्रह करते, इस संप्रदाय को मानने वालों का जनमत ग्रहण करते। लोक सभा में भी इस प्रकार का विधेयक है, गुरूद्वारा प्रबन्धक विधेयक, उसे जनमत संग्रह के लिये प्रसारित किया गया है। कल ही माननीय सदस्यों के पास सूचना आई थी कि यदि आप राय देना चाहते हैं तो फलां तारीख तक लोक सभा के कार्यालय में पहुँचा सकते हैं। मैं समझता हूं इसी तरह की चीज हमारे यहां भी लानी थी। लेजिस्लेचर द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता मानते हैं तो यह बिल लोक सभा द्वारा पास होना चाहिये था क्योंकि सारे हिन्दुस्तान में फैले हुए वैष्णवों के मंदिर का प्रश्न है इसलिये राजस्थान विधान सभा की स्वीकृति के बजाय

(श्री मनोहर कोठारी)

ज्यादा अच्छा होता यदि पार्लियामेंट इसको प्रस्तुत करती। मैं समझता हूं इस पर जनमत संग्रह करने की आवश्यकता है लेकिन क्योंकि जनमत संग्रह का प्रस्ताव नहीं है इसलिये मैंने प्रस्ताव दिया है कि आखिर यह एक सम्प्रदाय विशेष की बात है इसलिये इसे सिलेक्ट कमेटी को सौंपना चाहिये और वह कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे। लेकिन राजस्व मंत्रीजी के पास समय नहीं है क्योंकि वे बड़ा प्रगतिशील कदम उठाकर राजस्थान विधान सभा के इतिहास में चांद चमकाना चाहते हैं। मैं जानता हूं, मैं उनको मुबारकबाद दूँगा, पर कम से कम उन सारे लोगों को, जो इससे प्रभावित होते हैं अवसर दीजिये। अगर आप इसे जनमत के लिए प्रसारित न कर सके तो सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर दें, क्योंकि आखिर यह एक बहुत बड़ी बात है कि कोई वैष्णव अपने गुरु को अपनी आंखों से एक बोर्ड में एक साधारण सदस्य के रूप में देखें और लोग जिनको सरकार उचित समझे, उस बोर्ड के प्रसीडेन्ट या चेयरमैन बनाये। कोई ऐसा वैष्णव न होगा इस धरती पर, जो अपने गुरु के सामने चेयरमैन होकर बैठेगा, क्योंकि यह परम्परा के विरुद्ध होगा, धर्म के विरुद्ध होगा, आचरण के विरुद्ध होगा। इसके अलावा मैं समझता हूं कि चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, सिर्फ आप अपना चेयरमैन रखना चाहते हैं। यह इसमें कमी है और इसका प्रावधान रखना नितान्त आवश्यक है।

इसके साथ ही दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूँ इसमें कई चीजें रखी गई हैं लेकिन एक बात मैं माननीय राजस्व मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : आपके अमेंडमेंट आये हैं विभिन्न क्लॉजेज़ पर। उस समय देख लीजिये।

श्री मनोहर कोठारी : यह सिद्धान्त की बात है। इसमें प्रावधान है कि जो सरप्लस पैसा बचेगा, वह इस तरह खर्च किया जायगा। लेकिन इस बात की कल्पना नहीं है कि नाथद्वारा मंदिर का जो संगीत था, वाद्य कला की मंदिर में जिस तरह की स्थिति है और जिस वाद्य कला को भारत सरकार ने और रेड़ियो ने स्वीकार किया है। मैं समझता हूं अधिकांश रेडियो कलाकार, वे कलाकार हैं जो नाथद्वारा मंदिर में जाकर वाद्ययंत्रों पर कला का प्रदर्शन करते हैं। इस कला को हमारी ललित कला अकादमी द्वारा भी स्वीकार किया गया है। उस कला को जीवित रखने के लिए कुछ पैसा खर्च करने की बात पर सोचा तक नहीं है....

श्री पी० के० चौधरी : आर्ट एन्ड कल्चर में है।

श्री मनोहर कोठारी : उसमें स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूँ, एक नाथद्वारा स्कूल ऑफ आर्ट्स कायम किया जाना चाहिए, जिसके द्वारा नाथद्वारा की कला को, नाथद्वारा के संगीत को, नाथद्वारा की पैंटिंग्स को, नाथद्वारा की एनग्रेविंग कला को जीवित रखना चाहिए। जो कला मंदिर के साथ सम्बन्धित है उसको कम नहीं करना है। नाथद्वारा में जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थायें हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में, समाज सुधार के सम्बन्ध में, कला के क्षेत्र में काम

Page No.44

(श्री मनोहर कोठारी)

करती, हैं उनको कुछ सहायता, जो सरप्लस फंड है, उसमें से दी जाय। मैं समझता हूं इस विधेयक में कई कमियां हैं और यह इतना लचर कानून रखा गया है कि इस कानून की इन कमियों को दूर नहीं किया जाता, तो मैं समझता हूं इसका काफी आगे जाकर बुरा नतीजा और परिणाम हो सकता है। इसके साथ ही मैं माननीय राजस्व मंत्री-जी से निवेदन करूंगा कि जो बातें सदन के सामने रख रहा हूँ, जो भावना व्यक्त कर रहा हूं, यह नाथद्वारा की जनता की भावना है। आज नाथद्वारा की जनता यह चाहती है कि उन्हें राजनीति का शिकार न बनाया जाय। अगर राजनीति के आधार पर सोचा जाता है, तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं कि कहीं सुधार करने के स्थान पर आप बिगाड़ न कर दें। इस बात की मुझे आशंका है। इसलिए मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा समय और सही, अभी हमारी विधान सभा का अधिवेशन चल रहा है, तब तक इस तरह की एक कमेटी, जिसे हम प्रवर समिति कहते हैं के द्वारा इस कानून के सम्बन्ध में आवश्यक विचार विमर्श करने के बाद यह सदन के सम्मुख आयेगा तो हमें समुचित राहत मिलेगी और सदन के सम्माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अच्छी तरह सोच सकेंगे कि इस कानून में क्या २ खामियां हैं। अभी यह कानून इस तरह का है जो कि धार्मिक भावनाओं पर आघात करता है, इसमें जो प्रावधान है, उनका धार्मिक भावनाओं पर असर पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि मैंने नाथद्वारा के बूढ़े व्यक्तियों को रोते हुए देखा है। वे सोचते हैं कि आज क्या स्थिति हो गई है कि आज हर बात के सम्बन्ध में अच्छी तरह सोचा नहीं जाता है, उनके सम्बन्ध में कोई चीज़ करने के बारे में उनको पूछा नहीं जाता है। नाथद्वारा क्षेत्र से जो आने वाले सम्माननीय सदस्य हैं, उनसे परामर्श नहीं किया गया। इस बात की चिन्ता नहीं की गई कि क्या परम्परायें हैं, क्या धामिक भावनायें हैं। इसका कारण यह है कि हमारे माननीय राजस्व मंत्री न तो दिक्षित हैं, न वहां की परम्पराओं से वाकिफ हैं। इस कारण इस पर अच्छी तरह विचार विमर्श करने के लिए यह जरूरी है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मंदिर की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो विधेयक प्रस्तुत हुआ है इसके सम्बन्ध में मेरे पूर्व वक्ता ने राजनैतिक स्टंट बता कर इस पर एतराज़ किया है। मेरा एतराज़ इससे ज्यादा है, आज तक इस विषय को जिस रूप में लिया गया है, वह वास्तव में एक राजनैतिक स्टंट है। आज जो इकानामिक री-एप्रोप्रियेशन के रूप में बिल को लिया गया है यह वही चीज है, जिस प्रकार राज्य सरकार का देवस्थान विभाग है और इस विभाग का रुपया हैं। यह बिल उसी पर आधारित हुआ है। देवस्थान विभाग का जो रुपया एकत्रित हुआ हैं, वह मिल आदि में लगाने के लिए नहीं था। देवस्थान विभाग का रुपया इसलिए था कि जिस भावना के कारण लोगों ने वह रुपया दिया था, वह उसी भावना के लिए खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन वह देवस्थान का रुपया आज मिल आदि में लगाया गया है। नाथद्वारा मंदिर की करोड़ों की सम्पत्ति हैं, जो

Page No.45

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

उपासकों द्वारा धार्मिक रूप में दी गई है, कौनसी गारन्टी है कि इस धन का दुरुपयोग हमारी सरकार नहीं करेगी। यह निश्चय है कि इसका दुरुपयोग होगा क्योंकि हमारी सरकार ने विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की है कि इन कार्यों के लिए इस धन का राज्य सरकार उपयोग करेगी। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि लोगों को इसमें एतराज है। मैंने पहले भी कहा था कि हमें हिन्दू ट्रस्ट बिल पर एतराज है, मैं आज भी कहता हूं कि इस बिल पर हमें एतराज़ हैं। यह नाथद्वारा मंदिर विधेयक आ रहा है, यह भी उसका ही एक पार्ट एण्ड पार्सल है, इसका आधार वही है। जो नाथद्वारा मंदिर में गड़बड़ी हुई है, जो नाथद्वारा मंदिर में गबन हुआ है, जो नाथद्वारा मंदिर में कांड हुआ है, उसका महाराज से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो नाथद्वारा मन्दिर की व्यवस्था थी, उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त था, उसे राज्य सरकार ने नियुक्त किया है। अगर अब इस मन्दिर में गबन हुआ है, जो गड़बड़ी हुई है, जो एतराज़ सदन में किये गये हैं, मैं इस सम्बन्ध में कहूँगा कि जो कुछ भी वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के मातहत हुआ है, वह चीज गवर्नमेंन्ट एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर है, महाराज के ऊपर वह चीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर महाराज श्री भी कोई गड़बड़ी करते हैं तो महाराज को उतार देना चाहिए हमें उनसे कोई लगाव नहीं है। महाराज जो वहां हैं, वे एक व्यवस्था के प्रतीक हैं, वह व्यवस्था का प्रतीक, वह व्यक्ति विशेष कोई गलती करता है, तो समाज को यह अधिकार है, कि उस व्यक्ति को हटा कर दूसरे व्यक्ति, जो कि व्यवस्था का सच्चा प्रतीक हो सकता है, को लावें। लेकिन राज्य सरकार उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करे और राज्य सरकार बिल के द्वारा यह अधिकार ले कि राज्य सरकार नौ व्यक्तियों को मनोनीत कर देगी। इसमें यह नहीं है कि वे नौ व्यक्ति कौन होंगे। केवल इतना है कि वे हिन्दू धर्म को मानने वाले होंगे। इस बिल में यह नहीं है कि जिस भावना को मानने वाली वहां की जनता है, जो उपासक है, जो वहां रुपया पैसा चढ़ाते हैं, उसी भावना को मानने वाले व्यक्ति आयेंगे। इसके साथ ही मेरा निवेदन हैं कि आज महन्त-श्री कोई भी हो, या भविष्य में कोई आने वाला हो, मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कहता, लेकिन महन्त श्री को एक साधारण सदस्य के रूप में मनोनीत करना, मैं समझता हूँ इस उपासना पद्धति के खिलाफ है, धर्म के खिलाफ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महन्त श्री आज हमारी सरकार के लिए महन्त श्री होंगे लेकिन वैष्णव सम्प्रदाय के लिए वे उपास्य देव है। वे धर्म की शिक्षा दीक्षा देने वाले हैं। एक व्यक्ति के ऊपर आज व्यवस्था को दोष कैसे दे सकते हैं। मैंने उनके दर्शन नहीं किये हैं, न मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुआ है, न मैं उसको बुरा कह सकता हूं, न भला कह सकता हूँ। यह मान लिया जाय कि आज के महन्त श्री में अवगुण हो सकते हैं, लेकिन उनके बाद गद्दी पर आने वाले व्यक्ति जो हो, वे बहुत विद्वान और योग्य व्यक्ति हो। इसलिए महन्तश्री को एक साधारण सदस्य के रूप में न रखा जाय। इसके अलावा इसमें कोई उल्लेख नहीं है कि उदयपुर डिविज़न का कमिश्नर किस सम्प्रदाय का होगा। हो सकता है कि कमिश्नर नास्तिक हो, ऐसा व्यक्ति आ जाय जो नास्तिक हो, मुसलमान

(श्री जगदीशप्रसाद माथुर)

सम्प्रदाय को मानने वाला आ जाय, ईसाई सम्प्रदाय को मानने वाला आजाय। उसके सामने महन्तश्री को एक सदस्य के नाते बैठना पड़े यह उचित नहीं है। हमारी राज्य सरकार ने एक कानून बना दिया, लेकिन राज्य सरकार के जितने अधिकारी हैं, उनकी समझ में क्यों नहीं आता, उनके भी मत मतान्तर होंगे, वे भी किसी धर्म को मानने वाले होंगे। इसके साथ ही मुझे पता है कि हमारे राजस्व मंत्रीजी किसी न किसी की उपासना करते होंगे, उनके भी कोई न कोई इष्ट देव होंगे। वे नहीं चाहेंगे कि उनके जो इष्ट देव हैं, उनकी दुर्गति हो। हमारी राज्य सरकार इस विधेयक के द्वारा महंतश्री की दुर्गति करना चाहती है। उनकी व्यवस्था में गड़बड़ी निकाल कर एक राजनैतिक द्वेष निकाला जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि महन्तश्री की उदयपुर डिविज़न के व्यक्तियों से पहले पटती रही, लेकिन अब नहीं पटती हैं, तो इस प्रकार द्वेष निकालने की भावना में कानून बनाया जा रहा है। इस कानून को ऑउट राइट रिजेक्ट करने की जरूरत है, इसे सलेक्ट कमेटी में भी नहीं भेजना चाहिए। इसे रिजेक्ट कर दिया जाय तो सबसे अच्छी बात होती। मेरा प्रस्ताव है कि इसे सलेक्ट कमेटी में दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रस्ताव है ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मेरा यह प्रस्ताव है कि वास्तव में होना चाहिए यह कि दो दिन में बैठ कर महत्वपूर्ण प्रश्न को पास कर दें और पास होने के बाद अगर आगे आने वाली स्थितियों पर न सोचें, तो एक जबरदस्त समस्या बन जायेगी। अब यदि हम सब लोगों के पास में, विधान सभा के सदस्यों के पास लोक सभा द्वारा परिपत्र भेजा जाता है, गुरुद्वारा प्रबन्ध कमेटी है, उससे प्रबन्ध छीन रहे हैं, पार्लियामेंट द्वारा यहां इसलिये आ रहा है कि जिस किसी को संशोधन भेजना है तो भेजें। राजस्थान के सदस्यों की राय, पंजाब के गुरुद्वारे के लिये मांगी जा रही है तो जो सम्प्रदाय समस्त हिन्दुस्तान में फैला हुआ है जिस सम्प्रदाय को मानने वाले हिन्दुस्तान के सभी हिस्सों में हैं, उस सम्प्रदाय के मन्दिर के लिये हम हरिडली इस तरह कानून पास करें, यह कहां तक उचित है ? घोटाला होना था वह तो हो गया। इस समय उस घोटाले की जांच चीफजस्टिक कर रहे हैं, इस बीच में राजस्थान सरकार अपनी सफाई देने के लिये कि हम तो बिल्कुल साफ हैं, इसके लिये अध्यादेश ज़ारी करती है। उधर इन्क्वायरी हो रही है इधर अध्यादेश जारी कर दिया। इसके लिये सारा वैष्णव समाज मांग कर रहा है कि जो आप कर रहे हैं वह हमारी धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात कर रहे हैं। इस प्रकार का अध्यादेश जारी करके विधान-सभा के सदस्यों के पास तुरन्त तत्काल इस प्रकार के विधेयक की प्रति भेज दी गई और यह विधेयक सदन में ला दिया गया। हमारी विधान सभा की कांग्रेस पार्टी है उसको शायद विप जारी किया जायगा और इस विधेयक को पास कर दिया जायगा, पर इस तरह से पास करने से काम नहीं चलेगा। आगे हिन्दू ट्रस्ट बिल ला रहे हैं उसके साथ ही सब के लिये समान विधेयक ले आते। अजमेर की दर्गा शरीफ है उसमें करोड़ों का माल है, उसका क्या मिसएप्रोप्रियेशन नहीं होता ? उसके लिये कोई कानून नहीं है....

श्री अर्जनदास (अजमेर सिटी, पश्चिम) : है।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सदस्य को मालूम होना चाहिये कि अजमेर की दर्गा शरीफ के लिये गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का एक्ट है।

श्री मदनसिंह (दातारामगढ़) : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के एन्टी करप्शन डिपार्टमेंट वाले भी फैल हो रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपको बनायेंगे उसका अफसर।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मेरा निवेदन है कि इसको पास करने में जल्दी नहीं की जाय, या तो इसको जनमत के लिये प्रसारित किया जाय, नहीं तो कम से कम इस विधेयक को प्रवर समिति को अवश्य दिया जाय।

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मन्दिर विधेयक के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का आया है, उसका में समर्थन करती हूँ। मैं इसका समर्थन इसलिये नहीं करने जा रही हूं कि इससे वहां की १६ हजार जनता में से ६ हजार ब्रजवासी निराश्रित हो जायेंगे। उनकी रोटी रोजी चली जायगी। बल्कि मैं इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने का समर्थन इसलिये करती हूं कि इस विधेयक का सम्बन्ध न केवल नाथद्वारा की जनता से बल्कि इसका सम्बन्ध पुष्टि मार्गीय वल्लभीय-सम्प्रदाय की हिन्दुस्तान की समस्त बहुसंख्यक जनता से है। अस्तु इस विधेयक का परिणाम सुपरिणाम जो कुछ भी होने वाला है उसका सम्बन्ध हमारे समस्त देश वासियों से है।

हम सब जानते हैं कि थोड़े दिनों पहले नाथद्वारा का एक काण्ड सामने आया। उस काण्ड को लेकर एक वातावरण बना इस प्रान्त में और इस प्रान्त के बाहर, और वह मामला अभी सब-जुडिस है और हम अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुँचे हैं। यह विधेयक आया इससे एक सप्ताह पहले अध्यादेश जारी किया गया। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने अध्यादेश जारी करने की नीति के बारे में जो कुछ कहा, मैं उसका समर्थन करते हुए कहना चाहती हूँ कि जब तक नाथद्वारा काण्ड के बारे में जांच करके यह पता नहीं चलता है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है, क्या काण्ड इसलिये हुआ कि कोई कानून नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, कोई नियम कोई प्रतिनिधि सरकार की तरफ से वहां नहीं था, उस समय तक इस प्रकार का विधेयक बनाने की जल्दी करना कम समझ में आने वाली बात है।

नाथद्वारा मन्दिर को लेकर एक विधेयक रखा जाता है। सरकार का सम्बन्ध केवल एक मन्दिर से नहीं प्रान्त भर के सब मन्दिरों की सुरक्षा का भार उस पर है। पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने प्रान्त के अन्य मन्दिरों की अव्यवस्था का जिक्र किया है। अच्छा होता जब हमारी सरकार एक मन्दिर की व्यवस्था को लेकर विधेयक बनाने चली है तो अच्छा होता कि एक मन्दिर को लेकर नहीं बल्कि सभी मन्दिरों को लेकर वह बात करती। अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा की बात सामने आई हुई है पर और काफी मन्दिर हैं जिनके भीतर ही भीतर घोटाले की बातें चल रही हैं, वहां से भी सम्पत्ति इसी तरह से उठ गयी है। क्योंकि सम्पत्ति आजकल और कहीं तो दिखाई नहीं देती, मन्दिरों की सम्पत्ति

(डॉ० चन्द्रकला)

पर लोगों के दांत लग रहे हैं।

(हंसी)

ऐसी स्थिति में सभी मन्दिरों को लेकर सरकार बात करती तो अच्छा रहता। इस विधेयक के कारण और उद्देश्य को बताते हुए कहा गया है कि चूंकि हमारे इस मन्दिर की समुचित व्यवस्था नहीं, उस व्यवस्था को समुचित बनाने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। कैसे सरकार को सपना आ गया कि वहां के मन्दिरों की व्यवस्था समुचित नहीं है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अभी तो सपने में ही दर्शन होते हैं, यह पास होने के बाद तो साक्षात दर्शन हो जायेंगे।

डॉ० चन्द्रकला क्या सरकार मानती है कि वहां एक घटना हुई, चर्चाएं चलीं और उससे अध्यादेश बनाया, इससे आशंका सी होती है कि हमारी सरकार की नियत क्या है, क्या करना चाहती है? जो कुछ होता है उसके बारे में हमारी सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा है। यह सबसे अच्छा होता कि पहले वह इस अव्यवस्था के बारे में अच्छी तरह अध्ययन करती और जनता को बताती, तो यह बड़ा अच्छा होता कि न्यायमूर्ति की ओर से भी वस्तु स्थिति पता चल जाता और इसके आधार पर सरकार विधेयक बनाती।

इसके अतिरिक्त जिन बातों से बचने के लिये हम इस विधेयक को बनाने जा रहे हैं, वह बातें दूसरे तरीके से हमारे सामने आयेंगी और फिर हम संकट में पड़ जायेंगे कि क्या करना चाहिये। मैं इस विधेयक की अलग अलग धाराओं पर बोल कर सदन का समय नहीं लूंगी लेकिन इसमें कुछ बातें अवश्य ही ऐसी हैं जिन पर सोचने की आवश्यकता है। नाथद्वारा मन्दिर जिसकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित है वहां गोस्वामीजी की नीजी सम्पत्ति को लेकर, अभी जो सम्पत्ति वहां से उठी, उसके बारे में यह सूचित नहीं हो पाया है कि वह सम्पत्ति गोस्वामीजी की है या मन्दिर की है। इस विधेयक में साफ लिख दिया गया है कि गोस्वामीजी की निजी सम्पत्ति है, उसको इसमें शामिल नहीं किया जायगा। हम झगड़े को मिटाने जा रहे हैं। हमने झगड़े को मिटाने के लिये इस चीज़ को रखा है। जब यह कानून बनेगा और यह कानून लागू होगा तो इसी तरह की बात चलेगी। फिर वही प्राइवेट और निजी सम्पत्ति होगी। समझ में नहीं आता कि किसको सरकार एक्सक्ल्यूड करके, क्यों झगड़े को वहीं खड़ा करना चाहती है। आगे सरकार जब इसके लिये सारी व्यवस्था करने की सोचती है तो और सब तो क्या लेकिन जो ऑफिसर नियुक्त करेगी…… …

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): उसके लिये आपका क्या सुझाव है? उनकी प्राइवेट प्रोपर्टी को इसमें शुमार करना चाहिये।

डॉ० चन्द्रकला : जब आप उसको महन्तश्री की प्रोपर्टी कहते हैं तो प्राइवेट प्रोपर्टी हुई। उसका मन्दिर से क्या लेना देना है? उनके प्राइवेट प्रोपर्टी में सरकार का क्या कन्सर्न है?

१. १ म० प०

एक माननीय सदस्य : उसकी निजी सम्पत्ति कहां से आई ?

डॉ० चन्द्रकला : आपकी कहां से आई ?

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : जहां से आप लोगों की आई।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, अभी जो दो घटनाएं नाथद्वारे के प्रश्न को लेकर हुई हैं उसमें यह कहा गया है कि महन्त श्री की निजी सम्पत्ति थी। यहां तक कि हमारे देवस्थान के मन्त्री महोदय ने भी बताया कि वह महन्तश्री की निजी सम्पत्ति थी और बाहर भी यही अफवाह है। इस बिल में वही बताया गया है कि महन्त श्री की जो निजी सम्पत्ति है उसको इसमें इन्क्ल्यूड नहीं करेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहती हूँ कि इसको एक्सक्ल्यूड करने का नाम ही क्यों लें। निजी सम्पत्ति है तो उसका मन्दिर की सम्पत्ति से क्या सम्बन्ध है वह तो उससे अलग ही है। यदि यह रहता है तो इससे झगड़ा खत्म नहीं होता है।

श्री हरिप्रसाद यादव (वल्लभनगर सु): अध्यक्ष महोदय, बहिनजी ने यह कहा है कि मुझे सदन में सपना आया। नाथद्वारा में तो मेरा ननेरा है। मैं तो वहां कई दफे गया हूँ मगर मुझे तो कोई सपना नहीं आया।

(हंसी)

डॉ० चन्द्रकला : मुझे ऐसा लगता है कि उस समय माननीय सदस्य सो रहे थे और स्वप्न देख रहे थे। सपना तो आप देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कहीं पर यह कहा गया है कि इसके प्रबन्ध करने वालों में अधिकतर उसी सम्प्रदाय के मानने वाले लोग होंगे, ठीक है। मगर इससे सम्प्रदाय की भावना को समाज में पैदा करेंगे। मगर एक जिसके लिये आपने अपवाद कर दिया है कि कमिश्नर होगा वह उसका मानने वाला नहीं होगा। मैं यह कहूंगी कि कमिश्नर के लिये यह अपवाद रखना ठीक नहीं है। मान लें कि कमिश्नर हमने किसी को भी नियुक्त कर दिया। क्योंकि आज हम धर्म निरपेक्ष शासन व्यवस्था में किसी को भी कर सकते हैं। इससे एक झगड़ा और खड़ा हो जावेगा। आपने किसी मुसलमान को कर दिया तो भय है कि वहां पर हिन्दू मुस्लिम समस्या भी खड़ी हो जाए। इन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिये।

इसके साथ-साथ अब तक मन्दिर में जो सम्पत्ति थी या मन्दिर के आसपास कहीं थी या महन्त के पास थी या कहीं थी, उसके लिये यही कहते हैं कि उस पर सरकार की मुहर थी और सरकार का उस पर कन्ट्रोल था। सरकार का कन्ट्रोल होते हुए भी निजी सम्पत्ति से।....

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपको किसने कहा कि उस पर सरकार का कन्ट्रोल है ?

डॉ० चन्द्रकला : इसलिए कि अभी तक राणावत जी उसके प्रबन्धकर्त्ता थे और वे सरकार के थे।

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के नहीं थे वे किसी दूसरी जगह के थे।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : सरकार से मांग कर लिया था।

डॉ० चन्द्रकला : मेरा झगड़ा उससे नहीं है। मेरा तो झगड़ा ...

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : आपका झगड़ा नाथद्वारा कारड से है।

डॉ० चन्द्रकला : जो हीरे जवाहरात और दूसरी सम्पत्ति है वह अभी तक ऐसे स्थान में रखी थीं, जहां से कोई व्यक्ति उसे ले सकता था ···

श्री जनार्दनराय नागर : आपने वह स्थान देखा था ?

डॉ० चन्द्रकला : जी हां।

श्री जनार्दनराय नागर : बिल्कुल गलत है।

डॉ० चन्द्रकला : अभी जो सम्पत्ति है उसको कोई सुरक्षितता नहीं दी गई है। मेरा सुझाव है कि इसको गवर्नमेंट ट्रेजरी में रखा जावे जहां वह सुरक्षित रहे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप कौन सी सम्पत्ति की बात कहती हैं ?

डॉ० चन्द्रकला : जो मन्दिर की है। कृष्ण भण्डार के जेवरात आदि हैं वे गवर्नमेंट ट्रेजरी में रखे जावें और जिस समय जरूरत हो वहां से ले आएं, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसी तरह की और भी कई बातें हैं। इसके लिये इसको प्रवर समिति में भेजा जावे जो इस पर अच्छी तरह से विचार करे और फिर इस विधेयक को पारित करें और हमें आशा है कि देवस्थान मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस समय ऑर्डिनेन्स लागू हो चुका है, और व्यवस्था चालू हो गई है वह व्यवस्था इस विधेयक के पारित होने तक चालू रहेगी।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, जिस मन्तव्य को लेकर नाथद्वारा टेम्पल बिल पेश किया गया है मैं उसके विषय में आज विशेष नहीं कहना चाहता और प्रवर समिति को भेजने के लिये...

एक माननीय सदस्य : किस सम्बन्ध में आप बोल रहे हैं ?

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : जरा आप धैर्य रखें तो आपको मालूम हो जावेगा। श्रीमान् जी, जो इस बिल को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका अनुमोदन करता हूं, परन्तु इन कारणों पर नहीं कि जिन कारणों को लेकर अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जिक्र किया है। मैं इस पचड़े में आज नहीं पड़ना चाहता कि जिन कारणों पर विधेयक को इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहिये था या नहीं क्योंकि इसमें दो राय हो सकती हैं। एक तरफ इस बात की शिक्षा देते हैं कि हम धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते लेकिन साथ में जहां हम समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं और समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं वहां पर जो धर्म के नाम पर होता है, धार्मिक संस्थाओं के नाम पर जो कुछ होता है और जिस तरह से ईश्वर के नाम पर सम्पत्ति का उपयोग किया जाता है, क्या उसको उसी रूप में रहने दिया जावे ? इस पर दो प्रश्न हो सकते है। परन्तु इसमें जो प्रावधान रखा है उसके सम्बन्ध में दो शब्द कहूँगा कि यदि इस विधेयक को इस रूप में सदन ने पास कर दिया तो जिस मतलब से विधेयक को यहां रखा गया है वह मन्तव्य कभी भी पूरा नहीं होगा। आप

Page No.51

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

इसके प्रावधानों को देखें कि यह सम्पत्ति राज्य सरकार के द्वारा अथवा जो बोर्ड बनाया जावेगा उसके द्वारा देखभाल की जावेगी। लेकिन इसके साथ ही साथ आपने क्लाज़ २२ रखा है, उसमें जो बातें रखीं हैं, वे आपने क्लाज़ दो और तीन में जो एन्डोमेंट की परिभाषा रखी है वह क्लॉज़ २२ से टकराती है और जो आपका क्लॉज़ दो और तीन में मकसद है उसको समाप्त कर देती है। आपने एक जगह यह रखा है कि जो, प्रोपर्टी भेंट की जावेगी या जो मूर्ति के सामने भेंट की जावेगी या मंदिर के सामने भेंट के रूप में दे दी जायगी। वह एन्डोमेंट की परिभाषा इस तरह है—

"Endowment" means all property, movable, or immovable, belonging to or given or endowed in any name for the maintenance or support of the temple for the performance of any service or charity connected there with or for the benefit, convenicne or comfort of the pilgrims visiting the temple, and includes :

(a) the idols installed in the temple,

(b) the premises of the temple,

"(c) All jagirs, muafis and other properties, movable, wherever situated and all income derived from any source whatsoever, and standing in any name, dedicated to the temple" but not to the idol there is a difference between the temple and idol and that it can be made out in the court of law. So these are the words there- "dedicated to the temple or placed for any religious, pious or charitable purposes under the Board or purchased from out of the temple funds, and all offerings and bhents made for and received on behalf of the temple". But that difference will be made in the court of law. So my submission is that you have to make a clear provision that...

श्री दामोदरलाल व्यास : I will request the Hon'ble member one thing. He submits that there may be a difference between them. I have not been able to follow that the temple is different and the idol is different. He may therefore let me know what he wants to suggest ?

श्रीबृजमोहनलाल शर्मा: मेरा सबमिशन यह है कि आप जब किसी चीज़ की परिभाषा रखने जाते हैं तो उसको साफ रखियेगा, टेम्पल में टेम्पल प्रेमिसेज़ को कह सकते हैं, मूर्ति को भी कह सकते हैं, भेंट दूसरे स्थान पर देवें तो उसको भी कह सकते हैं। जब हम कानून बनाने जा रहे हैं तो परिभाषा वेग न रख कर साफ रखनी चाहिये। यह वेग है, जैसा कि मैंने आपको बताया "Offerings for the temple" एक आदमी ने भेंट किया तो वह मंदिर के लिए भी हो सकती है, श्रीनाथजी के लिए भी हो सकती है, मूर्ति के लिए भी हो सकती है और गोस्वामीजी के लिए भी हो सकती है। जब तक कि आदमी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि अमुक के लिए भेंट है तब तक वह भेंट किसी के लिए भी हो सकती है। वह तो मंदिर में जाकर भेंट देता है और वह समर्पित कर देता है। अब

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

यह भेंट मंदिर के लिए भी हो सकती है, श्रीनाथजी के लिए भी हो सकती है, मूर्ति के लिए भी हो सकती है और गोस्वामी जी के लिए भी हो सकती है। क्लॉज़ २२ में रखा है। जो कस्टम परिपाटी पड़ गई है, रीति रिवाज़ चले आ रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति है तो बोर्ड की वह हो जायगी, लेकिन जब अदालत में यह प्रश्न पैदा होगा कि भेंट मंदिर के लिए थी, अथवा मूर्ति के लिए, अथवा गोस्वामीजी के लिए, उस समय इसके लेकुना के कारण बड़ी डिफिकल्टी होगी। जब हम एन्डोवमेन्ट की परिभाषा को बनाने जा रहे हैं तो उस वक्त कह सकते हैं कि अमुक चीज़ मंदिर के लिए भेंट में दी गई, मंदिर को दी गई। लेकिन जब तक इस परिभाषा को स्पष्ट नहीं करते हैं कि मंदिर को दी गई, अथवा मंदिर के लिए दी गई तब बड़ा भारी लेकुना इसमें रह जायेगा। इसको इसमें जोड़ देना युक्ति संगत नहीं होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है :

This Vesting of the property—"The ownership of the temple and all its endowments including all offerings which have been or may hereafter be made shall rest in deity of Shrinathji and the Board constituted under this Ordinance shall be entitled to their possession" but what about that property which is under the possession of Shrinathji or Goshwamiji ?"

मेरी सदन से प्रार्थना है कि आप इसको कर तो रहे हैं लेकिन अदालत में जाने के लिए इस प्रकार के प्रावधान रख कर न छोड़े बल्कि प्रावधान इसमें अभी से कर दें कि पर्सनली गोस्वामीजी की वह भेंट की हुई प्रोपर्टी है या जो भी भविष्य में मिलने वाली है उसको छूट में रखी है और उसके बारे में डिस्टिन्क्शन नहीं होगा, लेकिन बिल में यदि प्रावधान नहीं रखते हैं तो मंदिर के नाम पर अथवा श्रीनाथजी के नाम पर जो कोई भी भेंट दे तो उसका कौनसा हिस्सा गोस्वामीजी के लिए, मूर्ति के लिए जावेगा अथवा जो बोर्ड काम करेगा उसका हिस्सा क्या होगा और उसको क्या हिस्सा जावेगा, इसको डिफाइन नहीं किया गया है :

"The State Government or any other person having interest may institute a suit in the court of district Judge to obtain a decree—

(a) vesting any property in the Board, or

(b) declaring what portion of an endowment or of the interest there in shall be allocated to any particular subject, or"

श्रीमान् आप जब इसमें यह लिखते है, कि

"declaring what portion of an endowment or of the interest therein shall be allocated to any particular subject,"

आप इसको डिफाइन तो कीजियेगा। बोर्ड के लिए आपने बताया लेकिन यह नहीं बताया कि गोस्वामीजी के लिए, मंदिर के लिए सम्पत्ति जिसमें नीहित करने वाले हैं उसका क्या हिस्सा है ? अदालत कैसे तय

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

करेगी ? हर आदमी कहेगा कि मुझे शत प्रतिशत हिस्सा मिलना चाहिये । एक कहेगा कि मुझे बारह आना रुपये में से हिस्सा मिलना चाहिये, दूसरा कहेगा कि मुझे आठ आना हिस्सा मिलना चाहिये । इन सिद्धान्तों को,जिस भेंट का बंटवारा करना चाहते है बिल में स्पष्ट दिखाइयेगा । उनको बिल में स्पष्ट प्रावधान रखियेगा जिससे कि जिस बिना पर सम्पत्ति भेंट की जाने वाली है वह किसके पजेशन में रहें । लेकिन फिर आप यह कह देते हैं ।

"3. Vesting of property-The ownership of the temple and all its endowments including all offerings which have been or may hereafter be made shall vest in the deity of Shri-Shrinathji, and the Board constituted under this Ordinance shall be entitled to their pessession." जब आप एक दफा यह बात कह देते हैं, दूसरी दफा क्लॉज़ २२ में यह बात कहते हैं :

"Save as otherwise expressly provided in or under this Ordinance nothing herein contained shall affect any established usage of the temple or the rights, honours......"

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर सिटी): On a point of order, Sir, as I understand the Hon'ble member purports to speak and suggest some alteration in the Bill, and that belongs to the second reading.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मेरा यह कहना है कि जो सिद्धांत तय होने चाहिये, जो प्रावधान तय होने चाहिये वे हम इस सदन में बैठ कर तय नहीं कर सकते इसलिए इसको मेरी प्रार्थना है, प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय । जिससे कि वहां पर इसके उसूलों पर विचार किया जा सके । This is difference of opinion which appears on the face of the Bill. I simply want to point out the contradictions. I want to say that the Bill should be referred to the Select Committee so that these contradictions may be removed.

श्री मदनसिंह : आपको मेम्बर बना दिया जावेगा ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I don't want to be a member of that Body. You may be anxious, but I am not at all anxious to be a member.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : Bravo, Sir.

श्री अध्यक्ष : You need not enumerate all this.. ....

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : मेरा सब्मिशन यह था कि जहां क्लॉज़ ३ में कहते हैं कि सरकारी सम्पत्ति बोर्ड में नीहित हो जावेगी लेकिन २२ में कहते हैं कि जो रीति रिवाज़, परिपाटी, कस्टम चले आ रहे हैं, मान लिजिए कि गोस्वामीजी कहेंगे कि सारी भेंट पर मेरा अधिकार है, हक है, आज दिन तक जितनी भेंट की जा रही है, मंदिर के नाम पर श्रीनाथजी के नाम पर, आज के कस्टम के अनुसार मैं उसका मालिक हूं और मालिक बनने का अधिकारी हूं और ऐसा २२ में प्रोवाइड किया है कि जो रीति रिवाज हैं वे बर-करार रहेंगे । इसलिए मैं कहूंगा कि इस बिल का पूरा उपयोग नहीं होगा क्योंकि वे

Page No.54

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

भविष्य में आने वाली सम्पत्ति के लिए भी दावे के साथ कह सकेंगे कि आज तक के कस्टम के अनुसार मैं मालिक हूँ और वह बोर्ड को सम्पत्ति नहीं जानी चाहिये ।

इसमें एक-दो बातें और भी रखी हैं। एक में "Removal of members" और दूसरे में ।

"that he has been guilty of corruption or misconduct in the administration of the endowment." But no where this corruption or mis-conduct has been defined.

इस प्रकार एग्ज़ीक्युटिव को पॉवर दे देते हैं। करप्शन के माने कई हो सकते हैं। जैसा इलेक्शन रूल के अन्दर है। वहां पर ब्राइबरी को करप्शन के रूप में प्रयोग किया गया है और उसको डिफाइन भी किया गया है। यह मिसकन्डक्ट रहता है इसको डिफाइन कर देते हैं कि इन चीजों को करप्शन माना जावेगा तो बेहतर होगा। धार्मिक चीज़ों की दृष्टि से एक विशेष चीज़ मिस्कन्डक्ट की परिभाषा में हो सकती है और यह भी हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से मिस्कन्डक्ट की परिभाषा दूसरी हो सकती है और धार्मिक दृष्टि से दूसरी। इसलिए इन प्रश्नों को साफ करना नितान्त आवश्यक है। दूसरी बात आपने यह रखी कि स्टेट गवर्नमेंट को सदस्यों को हटाने की पावर है ।

Section 7. reads :

"Removal of members.- The State Government may remove from office the President or any member, other than the ex-officio member, of the Board including the Goswami on any of the following grounds, namely :-

(a) that he is or has become disqualified for such appointment for any of the reasons specified in sub-section (2) of section 5, or

(b) that he has absented himself from more than four consecutive meetings of the Board without obtaining leave of absence, or....." अब आपने इसमें रखा है डिस्ट्रिक्ट जजेज़ को इस तरह की पॉवर दी गई है, जिसके कारण ये पॉवर्स कॉन्करेन्ट होंगे, अलग अलग होंगे। गोया उस हालत में क्या होगा गवर्नमेन्ट ने किसी को नोटिस दिया और डिस्ट्रिक्ट जज़ के कोर्ट के अन्दर दावा कर दिया कि इसको रिमूवल दे दिया जाय। श्रीमान उस हालत के अन्दर ऐसी बात हो सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी। इस प्रकार के ओवर-लेपिंग पॉवर्स दे रक्खे हैं। इसलिये प्रवर समिति में इस बिल को भेजा जाय, वहीं पर इस पर विचार करना ठीक होगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि यह प्रश्न जो इस समय उपस्थित हुआ है, बिल के वास्ते जो ताकीद की जा रही है ठीक नहीं है। मैं तो इस बिल को न तो प्रवर समिति में भेजने की सलाह देता हूं और न इस बिल को उपस्थित करने के पक्ष में ही हूं। मेरा ख्याल है कि इसके लिये पहले जनमत जान लिया जाना चाहिये। यह ऐसा विषय नहीं है....

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़):

(श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा)

On a point of order, Sir, जनमत के लिये तो कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : ऐसे मामलों में जल्दी से ऑर्डिनेन्स निकाल देना या बिल पास करके किसी बात को तय करना उचित नहीं होगा। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि नाथद्वारा कांड के नाम से जो अभिनय का किस्सा चल रहा है उसके लिये जब तक हाई-कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा इन्क्वायरी न हो जाय तब तक हमें इस बिल को हाथ नहीं लगाना चाहिये। उनके द्वारा एक दफा चीज तय हो जाय उसके बाद यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है ।

(व्यावधान)

मैं जो विचार व्यक्त कर रहा हूं वह हर एक पहलू पर प्रकाश डालता है, मेरी यह धारणा है मेरा यह निवेदन है कि जिन मन्दिरों का प्रश्न अभी चल रहा है उसके साथ साथ नाथद्वारा के प्रश्न को लेकर जो सवाल उपस्थित हो रहा है इस प्रकार का अगर प्रावधान रहता है तो जो धार्मिक विचार वाले व्यक्ति जो केवल राजस्थान के ही नहीं प्रत्युत भारत वर्ष के धार्मिक विचार वाले लोग हैं वह इस पर आपत्ति करेंगे। इसलिये विचार विमर्श किये बिना इसको लेना उचित नहीं होगा। मेरा यह निवेदन है कि ऐसे मामलों में अगर जनता की राय नहीं ली गई और बिना राय लिये ही आगे बढ़ा गया तो यह उचित नहीं होगा। मैं तो यह समझता हूं नाथद्वारा का स्थान महाराज कृष्ण का स्थान है यह स्थान किसी भी अन्य धार्मिक स्थान से कम गौरव का स्थान नहीं हैं। राजस्थान में हमेशा विख्यात रहा हैं राजाओं के राज्य में राजपूत लोगों ने और और दूसरी जाति वाले लोगों ने इस मन्दिर की रक्षा की है। इस मन्दिर में दर्शनार्थ केवल राजस्थान से ही नहीं प्रत्युत भारत वर्ष के कई हिस्सों से लोग आते है और करोड़ों रुपयों की धन सम्पत्ति अर्पित करते हैं। एक धार्मिक मामले में किसी चीज़ से या किसी प्रकार के कानून बना कर ठेस पहुँचाना, यह चीज़ अच्छी नहीं है। मेरा इस मन्दिर के प्रबन्ध के विषय में निवेदन है कि ऐसे मामलों में चारों शंकराचार्य और भी बड़े ऊंचे धार्मिक लोग हैं, उन लोगों से ऐसे कामों के वास्ते उनकी सम्मति ली जा सकती है कि इसकी व्यवस्था किस प्रकार हो। लेकिन जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं वह उचित नहीं है। ऐसे मामलों में मैं तो यह निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार को कोई न कोई थोड़ा सा कहीं न कहीं ब्रेक लगाना चाहिये। इस मामले में जब आप आगे बढ़े उस समय आपको दो दफा सोच लेना चाहिये।

यह स्थान सिर्फ मुसलमानों के समय में ही नहीं बल्कि उसके बाद जब मथुरा से और बृज से दिक्कतें पेश आई तब राजस्थान के अन्दर वे हमारी राजाओं और राजपूतों की ही नहीं प्रत्युत हर एक जाति के लोगों ने जिसमें भील भी थे, उन लोगों ने ऐसे मन्दिरों के लिये रक्त बहाया। आज भी बड़े बड़े महलों के गुम्बद उसी के कारण रक्तवर्ण के हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर इस तरह से बचाने की कोशिश की है तो उस पर दो दफा विचार करके ऐक्शन लेना चाहिये। मैं तो कानून की पेचीदगियों में जाना नहीं चाहता। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

मामले को जब तक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देख नहीं लेते, उनकी राय जब तक नहीं आ जाती तब तक इस मामले को रोके हुए रखना चाहिये। इस वास्ते मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धार्मिक और ऐतिहासिक भाग पर विचार करते हुए, इस बात के वास्ते कर्नल टाड ने भी लिखा है कि यह वह जगह है जहां पर राजपूतों ने और प्रत्येक समुदाय के लोगों ने जिस प्रकार जेरुसलम पर क्रुसेड किया था उसी प्रकार का धार्मिक युद्ध यहां के लिये भी किया है, उस मूर्ति की रक्षा के लिये उदयपुर के महाराणाओं ने ही नहीं बल्कि तमाम जगह के राजपूतों ने और अन्य अन्य समुदाय के लोगों ने इसके लिये संघर्ष किया है। मैं यह निवेदन करूंगा ऐसे मज़हबी मामलों में कहना तो अनुचित होगा, जिस प्रकार राजाओं के धन को हज़म कर लिया, अब हमारी राजसत्ता का विचार है कि मन्दिरों में जो धन पड़ा हुआ है उसको भी हड़प लिया जाय। यह सरकार की धारणा है। आखिर यह धन है भी कितना? यह धन भी वैसे ही खत्म होगा जैसा कि अन्य देशों से हम उधार लेकर खर्च कर रहे हैं। आज मेरे ख्याल में अगर जल्दबाजी में किसी प्रकार का कदम उठाया गया तो राज्यसत्ता को अपने ऐग्ज़िस्टेन्स को भी खतरा हो सकता है। यह एक प्रकार से धार्मिक विचार वाले लोगों पर कुठाराघात है। इसलिये ये चीजें सदन में न लायी जाय तो ठीक है जहां तक मज़हबी मामलों का ताल्लुक है मेरा निवेदन है कि हमें मजहबी लोगों पर ही छोड़ देना चाहिये। जहां ११ मन्दिरों का प्रश्न आया उसमें मुख्य स्थान नाथद्वारा को दिया गया, मैं समझता हूं यह धार्मिक विचार वाले लोगों को बहुत ठेस पहुंचाने वाला है। और जैसा मैंने निवेदन किया, स्वामी शंकराचार्य जी हैं, गोरखपुर के महन्त दिग्विजयनाथजी हैं, करपात्रीजी हैं इन सबकी राय भी लेनी चाहिये। भारत भर के ऐसे कानूनों की उनको अच्छी जानकारी भी है।

मैं आपको निवेदन करूं कि गोविन्ददेवजी की ही तरह सातों स्वरूपों में श्री गोकुलचन्द्रमाजी यहां विराजमान थे। धार्मिक मामलों में पड़कर महाराज रामसिंहजी की शैव समाज की व्यवस्था से उनका थोड़ा सा अपमान किया गया तो वे अपने सारे समुदाय के साथ ब्रज में चले गये। इसके फलस्वरूप यहां सारे जयपुर नगर में ही नहीं, सारे जयपुर राज्य के अन्दर तीन रोज तक चूल्हे नहीं जले और दूसरे देवताओं की भी व्यवस्था नहीं हुई। तो इन बातों पर विचारने की अत्यन्त आवश्यकता है। यही मेरा निवेदन करना है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लेकर जो सम्माननीय सदस्यों ने इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करने का प्रस्ताव रक्खा है, मैं उसका विरोध करता हूं। सही माने में, यह जो विधेयक यहां पर सदन में रक्खा गया है, उसका एक मात्र लक्ष्य यही है कि जो लोग भक्ति भाव से अपने आदरणीय देवों को भेंट करते है या उनकी सेवा के निमित्त देते हैं, उसका अच्छे से अच्छा उपयोग हो सके, कोई दुरुपयोग न हो, और उसकी रक्षा किसी प्रकार से कर सकें, यह एक मात्र इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर जो विधेयक यहां पर आया, उसको भी यह कह कर सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात की जावे, कुछ संशो-

Page No.57

(श्री मुरलीधर व्यास)

धनों की बात कह कर, तो इसमें कोई तात्पर्य नहीं है।

मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात तो यह हो रही है कि हमारा मुल्क हमेशा से धर्म प्रधान रहा है और धार्मिक भावनाओं के दृष्टिकोण से बल्लभकुल सम्प्रदाय भी अपने ज़माने में बहुत ही आगे रहा है और उस सम्प्रदाय का भी हमारे देश में बहुत ही ज्यादा प्रसार हुआ। इसके आधार पर आज सारे हिन्दुस्तान में इस सम्प्रदाय के लोग हैं। वे बड़े ही भक्तिभाव से नाथद्वारा में आते हैं और सेवा या भेंट चढ़ाते हैं और उनका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं होता। अब उस पैसे का धर्मगुरु कितना ही दुरुपयोग करें, धर्मगुरू में कितनी ही बुराइयां हों वे उस बुराइयों को नहीं देखते। बल्लभ कुल सम्प्रदाय के अन्दर किसी वैष्णव को यह कहा जावे कि इस गुरू में बहुत खराबियां हैं चारित्रिक खराबियां हैं तो वे इसको सुनना पसन्द तक नहीं करते और वे इस लिये सुनना पसन्द नहीं करते कि उनका जो लक्ष्य है वह एकमात्र भक्ति भाव है। वे अपना दृष्टिकोण यहीं तक रखना चाहते हैं, दूसरा क्या करता है इसमें वे कभी नहीं पड़ते। नाथद्वारा सारे वैष्णव सम्प्रदाय का गढ़ माना जाता है और यहां पर इस भावना से भक्तिभाव और सेवा करे और इस सेवा का दुरुपयोग हो और इसको राजस्थान सरकार रोक न सके और वैष्णव लोग जिस भाव से आते हैं उनकी उस भावना की रक्षा यहां की सरकार न कर सके तो आखिर हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है, हम क्या करते हैं फिर यहां बैठकर।

तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो भी भेंट पूजा का पैसा या प्रोपर्टी जो भक्ति भाव से भक्तजन भगवान की भेंट करते हैं उसके अन्दर पहले बहुत गड़बड़ी हुई, हर जगह हुई, अपने यहां उसको लेकर बहुत वाद विवाद भी हुआ, बहस भी हुई, इस तरह से आया हुआ करोड़ों रुपया इधर से उधर हुआ, उस पैसे का गबन भी हुआ और क्योंकि इसकी इस समय जांच हो रही है इसलिये अधिक नहीं कहना चाहता पर यह कहना जरूर चाहता हूँ कि पहले से ही अगर वहां की व्यवस्था ठीक ढंग से होती तो ये गड़बड़ियां नहीं होतीं। इसका एकमात्र कारण यही था कि इसके लिये कोई कानून या नियम नहीं था। व्यक्तिगत अधिकार लोगों ने इसमें रक्खे और इस प्रकार की गड़बड़ियां चलीं। इस सारी स्थिति को समाप्त करने के लिये यह कानून लाया गया है। इस का विरोध करना ठीक नहीं है।

१.३५ म० प०

श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष (पदासीन)

मैं निवेदन करूं कि गड़बड़ियां यहीं क्या, बहुत जगह होती हैं। बीकानेर राज्य में कई मन्दिर है, आपने उनकी व्यवस्था अपने हाथों में ली है पर इन मन्दिरों में भी किस प्रकार से लोगों ने और राज्य ने समय समय पर क्या क्या चीजें भेंट कीं आज उसका हिसाब लगाया जावे तो हिसाब लगाना कठिन है। उनका पता ही नहीं लगता। सदियों से यहां यह परम्परा रही कि उसका हिसाब महन्त और पुजारियों के हाथ में ही व्यक्तिगत रूप से रही और वे मनमानी करते रहे। बीकानेर में एक लक्ष्मीनाथजी का मन्दिर है। उसमें वहां के महाराज ने और आसपास के भक्त लोगों ने सदियों से उसमें भेंटें दीं, सोने और

(श्री मुरलीधर व्यास)

जवाहरात के आभूषण तक भेंट दिये काफी सम्पत्ति भेंट रूप में आई। पर उसका हिसाब हमेशा गड़बड़ी में ही रहा। मर्जर के वक्त भी हिसाब में घोटाला था। इसका हिसाब रक्खा नहीं जा सका। बीकानेर स्टेट के जमाने में सिल्वर जुबिली या खास खास अवसरों पर ये आभूषण और जेवरात उनको पहनाये जाते थे, लाख लाख रुपयों का एक एक हार और कंठे उनके थे। वे आज राजस्थान मर्जर के बाद नजर ही नहीं आते। पुजारियों से पूछा गया तो कहने लगे कि इस प्रकार की पहले कोई हिसाब रखने की व्यवस्था ही नहीं थी। तमाम लोग जानते हैं कि ये जवाहरात कहां से आते थे। दो प्रकार के ये होते थे। एक तो गढ़ से आते थे और दूसरे जो होते थे वे अन्य भक्तजनों के भेंट किये हुए आते थे। दोनों अलग अलग जगह रक्खे जाते थे। पर होते सभी मन्दिर के ही नाम से थे। पर गढ़ से आने वाले जवाहरात अब नज़र नहीं आते।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : वे भी मर्ज हो गये।

श्री मुरलीधर व्यास : मर्ज होने के बाद तो मन्दिर में वे आने चाहिये थे। पर वे इस स्थिति में हैं कि उनके दर्शन न भगवान को होते हैं, और न भगवान के दर्शन करने वालों को या सेवा करने वालों को होते हैं। पहले तो होते थे, पर आज नहीं होते।

श्री दामोदर लाल व्यास : यह कौन से मन्दिर की बात है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं बीकानेर में लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर के सम्बन्ध में कह रहा हूँ और यह भी कहना चाहता हूं कि...

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिये पूछ रहा हूं कि अगर ऐसा है तो कुछ किया जा सकता है। आप बतावें।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : कोटा के मथुरेश बिहारीजी का नाम लिख लीजिये, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इसके आगे में इतना ही कह सकता हूं कि वह मन्दिर के पुजारी भी मौजूद हैं कि जिन लोगों ने अपने हाथों से देवता का शृंगार किया और गढ़ से जिस समय वह शृंगार के लिए चीजें ली जाती थीं......

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : खद्दर पहनना चाहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : उस समय पुजारी थे और दस्तखत करते थे उसके बाद में वह शृंगार आता था। वह बही खाते ही देख लिए जायें जिनमें इन पुजारियों के दस्तखत हैं और वह शृंगार की चीजें मन्दिर के लिए आती थीं। मैं समझता हूं कि जिस समय राजस्थान बना उस समय राजस्थान में इतने मंदिर थे और एकाएक मर्जर के बाद में इन-वेन्टरीज़ बनीं और लोगों ने जितना माल रखना चाहा वह रखा और जो चीजें सही मानें में आनी चाहिए वह नहीं आ सकीं। उसका खास कारण यह था कि व्यवस्था ठीक नहीं थी। अगर इस व्यवस्था को ठीक करना है तो इसके लिए चाहे व्यक्तिगत मन्दिर हो, चाहे स्टेट के नहीं हों परन्तु फिर भी इस

(श्री मुरलीधर व्यास)

भावना के आधार पर चलना है कि यह मन्दिर है इसमें सेवाभाव के लिए बहुत से लोग आते हैं और भक्तिभाव से भेंट चढ़ाते हैं। मैं यहां तक कहूँ कि बीकानेर में मोती-सिंह नाम का राजा के लड़का हुआ और उसका अकस्मात ही देहान्त हो गया। राजा ने सोचा कि लड़के के पैदा होते ही उसका नाम मोतीसिंह रखा गया और यह मोती शब्द ठीक नहीं है तो मोती के नाम से उनको यह हुआ कि मोती ठाकुर जी के यहां भी नहीं रखे जायें। तो करोड़ों रुपये के मोती वहां से नाथद्वारा के मन्दिर में भेजे गये। इस प्रकार के वहां आज भी आदेश मौजूद हैं। तो इस तरह से लोग भेजने वाले मौजूद थे और आज भी यही भावना लोगों की है, आज भी इसी तरह से लोग भेंट चढ़ाते हैं। अगर इस सम्पत्ति का उपयोग ठीक ढंग से हो तो ठीक रहेगा। मैं समझता हूं लोगों ने इसे धर्म के ऊपर भी बड़ा कुठाराघात समझा है कि बोर्ड जो बनेगा उसमें कमिश्नर होगा वह मुसलमान भी हो सकता है और नाना प्रकार की बातें की गई मैं आज के युग में ऐसी बातों को ठीक नहीं समझता। जितने भी वैष्णव धर्म के पालन करने वाले हैं वह २५२ वैष्णवों की वार्ता पढ़ें उसके अन्दर भी मुसलमानों का जिक्र आता है और वह मुसलमान गोस्वामियों के साथ बैठते थे और भोजन करते थे। तो जिनके धर्म में इतना ऊंचा दृष्टिकोण था और उस दृष्टि-कोण के अन्दर इस प्रकार की भावना आ जायेगी तो आज के जमाने में जो हम सेक्युलर स्टेट का सिद्धांत लेकर चलें तो मौजू नहीं होता और अगर इसके अन्दर इस बात को अड़ायें तो मैं ठीक नहीं समझता। मैं कहना चाहता हूं कि यह वैष्णव सम्प्रदाय तो बहुत ऊंचा धर्म है जिसमें ऐसी बातें ही नहीं है। इसको तो हमारे महात्मा गांधी भी मानते थे और वह तो अपनी हर प्रार्थना में कहते 'वैष्णव जन तो तैने कहिये जो पीर पराई जाने रे'। यह किस धर्म का है वैष्णव धर्म का नहीं तो ? यह तो बल्लभ धर्म का सबसे मुख्य कहना है, यही इस धर्म का असली मत है। जिस प्रकार से इसका प्रसार हुआ इसकी मूल भावना धीरे-धीरे जाने लगी। इसका कारण यह हुआ कि जो लोग इस धर्म में गुरु बने उनमें कुछ खराब आये, कुछ अच्छे आये। मैं तो यहां तक कहूंगा कि इसके तो आराध्य देव भगवान को और गोस्वामी जी को भी ऐसा ही समझता हूं। मैं मान लेता हूँ उनका भी कोई दोष नहीं है, केवल जो भक्ति भाव वाला है वह अपना दृष्टिकोण अच्छा रखे। उनका चरित्र ठीक नहीं है तो मैं कई उदाहरण पेश कर सकता हूं। दूसरों ने इसी भेंट का धन लेकर सिनेमा के एक्ट्रेसों के साथ बम्बई में घूमना शुरू कर दिया और मद्रास में वह वेश्याओं के साथ घूमने लग गए। इस तरीके से हम यह कहें कि लोग उनको इसी आधार के ऊपर देखते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह कर्तव्य उस व्यक्ति का है जो कि भक्तिभाव से सेवा करता है, उसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है। परन्तु हम लोग जो कि इस नाथद्वारा मन्दिर की व्यवस्था के सम्बन्ध में सोचते हैं तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो लोग अन्य स्थान से आकर नाथद्वारा में उस आराध्य देव की भेंट चढ़ाते हैं उसकी सेवा में अपने जीवन की कमाई का कुछ धन अर्पित करते हैं उसका दुरुपयोग कोई भी करे चाहे वह महन्त हो, गोस्वामी हो या कोई और हो तो उसकी रक्षा करने का अगर किसी पर उत्तरदायित्व है तो

(श्री मुरलीधर व्यास)

वह राजस्थान की सरकार के ऊपर है और उसे बड़ी सावधानी से उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो यह सारी राजस्थान की स्थिति को देखते हुए हमारा स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए। इसमें खामियां जो थोड़ी बहुत है उसके लिए तो अब संशोधन आयेंगे और उन संशोधनों से वह खामियां भी दूर हो जायेंगी! मैं कहता हूं कि मैं स्वयं द्वारकापुरी गया तो वहां पर इसी वैष्णव सम्प्रदाय का एक मन्दिर है। मेरी माताजी वैष्णवी हैं और उनकी इच्छा हुई कि उनके साथ मैं भी वहां पर जाऊं। तो मैंने खुद ने देखा कि वहां पर मन्दिर के जो महन्त हैं उनके रहने का स्थान अलग है और मन्दिर अलग है। और जो लोग गोस्वामी जी को भेंट चढ़ाते हैं और कुछ देना चाहते हैं तो वह अलग जा कर भेंट चढ़ा देते हैं और वह उनके निमित्त हो जाती है और इसके अलावा जो सेवा ठाकुर जी के समर्पित करते हैं वह ठाकुर जी के पास जाती है। जो महन्तजी के पास अलग से भेंट आती है वह उनकी अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति होती है और केवल उन्हीं के काम आती है और ठाकुर जी के सेवा के निमित्त जो अलग आता है वह मन्दिर में ही रहता है। तो इसके बारे में अलग-अलग मतभेद हो सकते हैं परन्तु जो सच्चे सेवक हैं और भगवान के पुजारी हैं अगर वह कहें कि मेरा इस पर हक है यह बिलकुल अनुचित बात है। जब नाथद्वारा काण्ड चल रहा था और जब मैंने इसको सुना और सारे हिन्दुस्तान और राजस्थान के पत्रों में भी इसका जिक्र हुआ तो पत्रों ने भी इस पर बड़ा आश्चर्य किया कि यह मन्दिरों की भेंट और मंदिर की सेवा का माल भी लोग मार जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि यह क्या गड़बड़ी है। तो मेरा दिल भी उस स्थिति में हुआ कि यह सब क्या हुआ, कैसे हुआ और कहां से कमरा था जो गिरने वाला था और वह खुल गया। तो मैं भी यह देखने गया इस नाथद्वारा काण्ड के बाद और वह पर जाकर मैंने देखा और मैं वहां पर वह के गोस्वामी जी से भी मिला। मेरे साथ निरन्तर बालसिंह चौधरी नाथद्वारा के हैं वह भी साथ थे। वहां पर मैंने भी भगवान के दर्शन किये। जहां खुद गोस्वामीजी बैठते थे उनसे मिलने गया...

श्री उपाध्यक्ष : No. It is not relevant please.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : हां, थोड़ा सा सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it relevant to the question before us ?

श्री मुरलीधर व्यास : एक भावना से सम्बन्ध है। मैं यह कह रहा था कि लोगों की भावना और सेवा-भेंट का प्रश्न आया तो जो वैष्णव कुछ बाहर बैठे थे उन्होंने कहा कि हमें तो भेंट चढ़ाना है और वह ठाकुरजी के बारे में कहते थे कि हमें सेवा जगानी है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि उनका दृष्टिकोण यह था कि जो लोग इस प्रकार से जाते थे तो अलग भेंट चढ़ाने के लिए अलग जाते थे और सेवा के लिए अलग भेंट चढ़ाने जाते थे जो मंदिर में ही रहती थी और जो महंतजी को भेंट के रूप में दिया जाता था वह उनके पास रहता था। मैंने गोस्वामीजी से प्रश्न किया कि यह जो ठाकुर-जी के मंदिर की मूर्ति है और जो यह धन हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है?

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो उन्होंने कहा कि जहां तक मंदिर का सवाल है और मूर्ति का सवाल है इसे हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया और इसके हम हकदार हैं। मुझे इस चीज़ पर आश्चर्य हुआ। जहां तक वैष्णव सम्प्रदाय की नीति और धर्म का सवाल है अगर उस मंदिर का महन्त यह कहे कि इस पर मेरा हक है तो वह सही मानें में महन्त नहीं है। भगवान के नाम पर जो बात होती है वह सब कुछ ठाकुरजी की है, उनके निमित्त ही लोग आते हैं और भेंट चढ़ाते हैं, तो आप हम मान भी लें कि ठीक बात है लेकिन आज ऐसा दृष्टिकोण हो गया है लोगों का कि वहां चाहे गोस्वामीजी हों, चाहे इस प्रकार के कोई और हों तो इस प्रकार न धर्म की रक्षा होगी और हम चाहते हैं और कहते हैं कि बड़े भक्ति-भाव से बात मानते हैं तो इससे एक प्रकार की गुलामी हो सकती है इसमें जो सरकार की मंशा है वह एक मात्र यह है कि जनता जो धन आराध्यदेव के नाम पर देती है और यह एक ऐसा स्थान है जो सारे देश के लिये धार्मिक अधिक है। ऐसे लोग यहां पर आते हैं जिनके धन का उपयोग हो सकता है उसकी ठीक व्यवस्था होकर अच्छी तरह से संचालन हो सके, इसके लिये यह विधेयक सदन के सामने रखा गया है और इसमें कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं है। कुछ बातें कहीं गईं कि इसके सम्बन्ध में फैसला होने वाला है, जल्दी की जा रही है वह ठीक बात है आखिर उसके लिये कुछ रखना चाहिये उसमें दो राय नहीं है कि फैसला होगा, आगे देखा जायगा लेकिन कम से कम इस की व्यवस्था ठीक हो उसके लिये विधेयक आया है। यह कहना कि सिलेक्ट कमेटी को इसलिये दिया जाय, आस-पास के लोगों को चोट पहुँचेगी, उन पर कुठाराघात होगा। मैं नहीं समझता कि हमारी भावनाओं से यह चोट पहुँची है। नाथद्वारा के धन का बड़ा दुरुपयोग हुआ है और नाथद्वारा के धन का गबन हुआ है और उसमें घोटाला हुआ है। इस खबर का बहुत बड़ा असर सारे लोगों पर हुआ है। जब इस प्रकार की सारी बातें हैं तो आगे की व्यवस्था ठीक करने के लिये विधेयक आवे तो उसका समर्थन करना चाहिये। इसमें जहां पर संशोधन करने की आवश्यकता है वहां संशोधन आयेगा और सुधार किया जा सकता है लेकिन जहां तक विधेयक का सवाल है उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लेकर अभी जो वाद-विवाद हो रहा है उसे सुनकर मैं व्यक्तिगत रूप से हैरानी में पड़ गया। हमारे मित्रजो नाथद्वारा से बहुत ही लगाव रखते हैं और हमारे कुछ अन्य मित्र जो नाथद्वारा कांड से बहुत बड़ा लगाव रखते हैं, सब यह चाहते हैं कि इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाज़ार, जयपुर) नाथद्वारा कांड से लगाव रखने वाले कौन हैं ?

श्री जनार्दनराय नागर : नाथद्वारा कांड को अखबारों के ज़रिये बनाये रखने में राजनैतिक स्टंट और विरोध की परिपाटी समझा करते हैं और समझते रहे हैं और जिनका व्यक्तिगत रूप से नाथद्वारा मंदिर के प्रबन्ध को लेकर एक प्रकार का सम्बन्ध रहा है ऐसे दोनों ही प्रकार के व्यक्ति यह चाहते

(श्री जनार्दनराय नागर)

हैं कि इस बिल को जल्दी ही अभी पास नहीं किया जाय और प्रवर समिति को भेजा जाय यह ऐसी बात हो रही है। हम यह चाहते हैं कि नाथद्वारा मंदिर का सुप्रबन्ध हो, उसमें जो धन जिस तरह से आता है उसका उपयोग सारे समाज के सांस्कृतिक और कलात्मक विकास के लिये हो। हम चाहते तो यह हैं, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती हैं और सरकार जब सारे वातावरण को देखकर एक विधेयक लाकर हमें यह कहती है कि हम जल्दी से जल्दी कानून बना दें ताकि नाथद्वारा मंदिर का सुप्रबन्ध हो सके, तब आप चाहते हैं कि इस मामले में देरी करें! यह समझ में नहीं आता कि आखिर आप क्या चाहते हैं? एक तरफ अर्से से नाथद्वारा को लेकर रोज अखबारों में दिलचस्प और मजेदार बातें पढ़ने को मिलती हैं। मैं हैरान हूँ जिस तरह से देश में इन्फ्लुएन्ज़ा चला था उस समय इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक ने कहा था कि कागज़ का एन्फ्लुएन्ज़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा मंदिर के बारे में भी एक प्रकार का वातावरण बनाया गया और वह कागज का वातावरण बनाया गया। मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि नाथद्वारा को राजनैतिक हठवाद का शिकार बनाया गया और इसका असर यह पड़ा...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : कागज़.......

श्री जनार्दनराय नागर : किसी इन्टरप्शन का खयाल न करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूँ। यह बताया गया कि वहां पर करोड़ों रुपयों का गबन हुआ है, भारी भ्रष्टाचार हुआ है और नाथद्वारा के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित सरकार भी है और उन लोगों का भी सम्बन्ध है जो नाथद्वारा के पास रहते हैं। जब सरकार के खिलाफ इस प्रकार का वातावरण जान-बूझ कर बनाया गया तो सरकार का भी यह फर्ज था कि वह ऐसा बिल यहां पर लाये, जिसके द्वारा नाथद्वारा के प्रबन्ध के मामले में सारे हिन्दुस्तान को कह सके कि पुरानी घिसी-पिटी जो परिपाटी है उसको समाप्त कर रहे हैं। (हियर-हीयर) और प्रगतिशील इन्तज़ाम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि सदन में यह कहा जाता है कि आप सोच-विचार कर, व्यवस्थित बनाकर देखिये। जिसका अखिल भारतीय महत्व है और मैं कहता हूं कि अखिल भारतीय महत्व रहेगा.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका प्रबन्ध साहित्य एकेडेमी के अन्तर्गत लिया जाये तो अच्छा हो।

श्री जनार्दनराय नागर : मेरे मित्र साहित्य एकेडेमी की बात करते हैं लेकिन यह मेरी चीज़ नहीं है, यह भी सरकार की ही चीज़ है।

इधर यह कहा जाता है कि महन्त के ज़रिये अव्यवस्था है, रुपये खराब किये जा रहे है और उधर यह कहा जा रहा हैं कि सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देती है और जब सरकार एक बिल सामने रखती है तो कहते हैं कि इसमें जल्दी की जा रही है। इसमें राजनैतिक हेतुवाद, राजनैतिक अभिसंधि, राजनैतिक दुरभिसन्धि की चेष्टा करते हैं। यह कहते हैं कि यह एक धार्मिक विरोध को बढ़ानेवाला बिल है। मेरे माननीय मित्रों ने यह भी कहा कि इसके द्वारा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी। लेकिन मैं आपको बताना

(श्री जनार्दनराय नागर)

चाहता हूं कि इसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसमें कहा गया हो कि नाथद्वारा में पुष्टि मार्ग चल रहा है उसको रोकने में सरकार की दिलचस्पी हो, उसको कहीं रोक दिया गया हो, उसको संकुचित कर दिया गया हो या सीमाबद्ध कर दिया गया हो, यह बात इस बिल में कहीं भी नहीं है। उसमें जो परंपरागत रूढ़ियां हैं, दकियानूसियां हैं उनकी बिल्कुल निश्चित स्थिति कर दी गई है। परम्परागत मंदिर, मूर्ति में भक्तिभाव और लोगों की जो मनोभावना है और जो प्रचलन है उसमें कहीं अंकुश नहीं लगाया गया है। जब से यह अध्यादेश लागु हुआ है उससे पहले तक नाथद्वारा का प्रबन्ध महन्त करते थे उसके बाद कुछ परिपाटियां प्रचलित हुई उनके द्वारा प्रबन्ध हो रहा था, उसके बदले में इस बिल के द्वारा यह होने वाला है कि सुचारुरूप से बड़े और सीनियर लोग इसका प्रबन्ध करेंगे और यदि हम मानते हैं कि पुष्टि मार्ग सारे हिन्दुस्तान में फैला हुआ है और समस्त वैष्णव संप्रदाय इससे सम्बन्धित है तो हमें फक्र होना चाहिये कि राजस्थान में ही सबसे पहले हमने इस तरह के काम को सम्पन्न किया है। इसके अन्तर्गत जो निकाय बनेगा उससे बढ़ कर इसके सुप्रबन्ध का जिम्मा और कोई नहीं ले सकता। आज यदि राज्य सरकार विधान सभा की स्वीकृति के बिना निकाय बना देती जो ऐतराज कर सकते थे। आज हमें यह कहा जाता है कि नाथद्वारा का मंदिर हिन्दुस्तान के वैष्णव सम्प्रदाय से सम्बन्धित है इसलिये इसके उचित प्रबन्ध के लिये स्वस्थ्य नियम होने जरूरी हैं और इस निकाय की स्थापना इस बिल के द्वारा हो रही है। यह कहना कि जो ब्रह्म से सम्बन्धित नहीं है उनको इस निकाय में लेना उचित नहीं है, आज अगर यह कहते हैं तो कल यह भी कह सकते हैं कि नाथद्वारा का तहसीलदार और एस. डी. ओ. भी ब्रह्म से सम्बन्ध रखने वाला होना चाहिये। राजसमन्द में जो तालाब या झील है उसके बारे में तो यह मशहूर है कि उसमें रहने वाले मगरमच्छ भी कंठीबन्ध हैं। आज के युग में हमें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। कोई इस सदन में हम यह कहें कि हमारे धार्मिक भावनाओं को इसलिये ठेस पहुंची कि उदयपुर का कमिश्नर ब्रह्मसमाजी नहीं है। न तो ऐसा हुआ और न होगा, यह संभव नहीं है....

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : अहमदअली को रखिये।

२ म० प०

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार का यह कमज़ोर कदम है। यदि मेरा वश चले तो हिन्दुस्तान में न केवल नाथद्वारा को बल्कि तमाम देवस्थानों को सरकारी अधिकार में करने की व्यवस्था करूं।

(हियर, हियर की ध्वनि)

आज धार्मिक संस्थानों का हाल बुरा है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार का ज़िम्मा है, इनको ठीक करने का। लेकिन मैं कहता हूँ कि सरकार के पहले किसी का ज़िम्मा है, इन धार्मिक संस्थानों को ठीक करने का, उनके उद्देश्य के अनुकूल धन राशि को खर्च करने का, तो वह समाज का ज़िम्मा है, राज्य सरकार तो बाद में है। लेकिन वे हालत को ठीक करते नहीं है, और बातें करते हैं। मैं आपको कहना चहता हूँ कि पुष्टि मार्ग के बारे में बहुत—बहुत जज़बात हैं लेकिन पुष्टि

(श्री जनार्दनराय नागर)

मार्ग के विकास के लिए हम क्या करते हैं ? हम कुछ नहीं करते हैं। आज हिन्दुस्तान के अन्दर धर्म के नाम का प्रचलन रह गया है, धर्म का वास्तविक विकास, धर्म के द्वारा आत्मा का जागरण नहीं करना चाहते हैं और लकीर पीटते रहना चाहते हैं। हम समझते हैं, यह धर्म का ढोंग बहुत हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इन धार्मिक संस्थाओं की करोड़ों रुपये की सम्पत्ति दबी पड़ी है। यदि उस सम्पत्ति का समाज के हित में उपयोग करने के लिए कदम सरकार उठाती है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। इस बिल में कहा गया है कि नाथद्वारा मन्दिर की आय धर्म के उत्तरदायित्व को निभाने में नाथद्वारा मन्दिर की पूजा मन्दिर की जितनी परिपाटियां हैं, उनको पूरा करने में खर्च होगी। उसके बाद जो मुनाफा हो, अगर मेरे माननीय मित्र ने इसे पढ़ा होता, तो उन्हें खुशी होनी चाहिए थी कि हिन्दी और संस्कृत के विकास में, विश्व विद्यालयों को अनुदान देने में, संक्रामक रोगों को दूर करने में और ऐसे कार्यों में जिनसे जनता को लाभ होता हो, खर्च की जायगी। मैं बताऊं कि नाथद्वारा के भक्तजनों के द्वारा धर्मशालाएं थोड़ी बहुत बनाई गई है। इस बिल में प्रावधान है कि इस बोर्ड के जरिये अमुक अमुक कार्यों में नाथद्वारा मंदिर की आय को खर्च किया जायगा, सड़कों में खर्च किया जायगा। मार्गों और सड़कों पर खर्च करने का इसमें प्रावधान मौजूद है। इसी आय से यात्रियों की चिकित्सा के इन्तजाम को करने के लिए प्रावधान किया गया है। मैं समझता हूँ न केवल अव्यवस्था दूर करने के लिए यह बिल है बल्कि व्यवस्था को ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए भी इसमें प्रावधान है। मैं समझता हूँ कि इस बिल में श्री नाथ जी की मूर्ति, महन्त श्री और भक्तजनों के अधिकारों पर कुठाराघात नहीं किया गया है। सच बात तो यह है कि परम्पराओं की जर्जराभूत स्थिति है, उस स्थिति से हम चिपके रहना चाहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। हमारी हालत एक बन्दर के समान हो गई है, जो बिजली के तार से चिपक गया है, तार उससे छोड़ते हुए बनता नहीं है। उसी प्रकार हम परम्परा के तार से चिपके एक मरकट के समान हैं। वह मरकट समझता हूँ कि अगर वह तार को छोड़ दे तो धरती पर गिर जायगा। मैं समझता हूँ अगर इस बिल को सलेक्ट कमेटी में भेजा गया, तो उसका मतलब यह होगा कि जो नाथद्वारा मन्दिर की हालत है, उसका जो प्रबन्ध है, उसका हम विकास नहीं करना चाहते हैं। एक इसमें खास बात है कि जिसकी वजह से इसका समर्थन किया जाना चाहिए। आज तक नाथद्वारा मन्दिर की जो आय है उसका सार्वजनिक हित में उपयोग नहीं हुआ है, केवल व्यक्तिगत हित में उपयोग हुआ है। अगर सार्वजनिक हित में हुआ हो तो मुझे कोई बता दें। यह ठीक है आप महन्त श्री को सार्वजनिक व्यक्ति मान लें, वे जो पहनते, ओढ़ते हैं, उनको सार्वजनिक मान लें, तो ठीक है। लेकिन विशुद्ध सार्वजनिक हित के लिए उपयोग हुआ तो मुझे बता दें। इस विधेयक में प्रावधान है कि इस निकाय के द्वारा यात्रियों के लिए सार्वजनिक हित के लिए नाथद्वारा मन्दिर की आय का उपयोग होगा, अगर ज्यादा मुनाफा होगा तो उसका उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जायगा। हमने वर्षों से कोशिश की कि नाथद्वारा में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी कायम हो। हमने महन्त श्री जी से कहा, लेकिन उनके

Page No.65

(श्री जनार्दनराम नागर)

दिमाग में नहीं आई। क्या रह गया है आज उनके हाथ में इसी प्रकार एकलिंग जी का जो मन्दिर है, उसकी भी हालत खराब है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेवाड़ में जो चार बड़े मन्दिर हैं, उन सबका निकाय होना चाहिए। (तालियां) एकलिंग जी के मंदिर की हालत खराब है। वहां की जो हालत है, उसके बारे में काफी शिकायतें हैं। वही हालत आज हम नाथद्वारा मन्दिर में देखते हैं। मैं कहता हूँ कि धार्मिक संस्थान जो व्यक्तिगत रूप में रहते हैं, जिनकी परम्परायें आज समाप्त होती जा रही हैं, उनका प्रभाव आज के आर्थिक, वैज्ञानिक युग में नहीं रहा। मैं समझता हूं ऐसे सब मन्दिरों का प्रबन्ध सरकार के जरिये, निकायों के जरिये होना चाहिए। सब जगह निकाय बनाने चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आपने शुरुआत नाथद्वारा से की है। यह भी कहा गया कि इतने सारे देवस्थान है, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा और नाथद्वारा पर कैसे निगाह पहुँच गई। मैं समझता हूं कि कुछ माननीय मित्रों को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने नाथद्वारा को एक अखिल भारतीय इश्यू बना दिया।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : महन्त की सरकार बना दी जाय और सरकार को महन्त बना दिया जाय।

श्री जनार्दनराय नागर :(जारी) हमारी सरकार ने एक अच्छे इरादे से यह कदम उठाया है। मैं समझता हूं, अब सरकार आगे कदम उठाये और उस एकलिंग जी के मन्दिर में भी इस तरह की व्यवस्था बनानी चाहिए। इसी तरह की व्यवस्था चार-भुजा जी के मन्दिर में बनानी चाहिए। चार बड़े तीर्थ स्थान मेवाड़ में है। इन तीर्थ स्थानों पर सैकड़ों और लाखों यात्री प्रति वर्ष आते हैं। आज भी राजस्थान के इन हिस्सों में इन धार्मिक संस्थानों का थोड़ा बहुत भावनाशील प्रभाव है जिसके इन्तज़ाम के लिए सरकार और हम ज़िम्मेदार हैं।

इस बिल में कहीं कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो, तो वह किया जा सकता है। वैसे मैं नहीं समझता कि इसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता है। यह कुल मिला कर एक बहुत साधारण प्रावधानिक बिल है, जिसको पास करना चाहिए। हां, निकाय का ख्याल ही नहीं जचता हो तो बात दूसरी है। अगर मेरे मित्र, जो कुम्भलगढ़ से आये है, समझते है कि निकाय जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, स्टेटुअरी बोर्ड नहीं बनना चाहिए, कोई इन्तज़ाम नहीं कराये तो बात दूसरी है लेकिन वे इससे सहमत हैं कि नहीं, इस विधान सभा के द्वारा सरकार के जरिये इस मन्दिर का प्रबन्ध कराया जाय, तो मैं समझता हूं कि अच्छे प्रबन्ध की दृष्टि से जो योग्य परिवर्तन वे कराना चाहें, वे किये जा सकते हैं। लेकिन प्रवर समिति की बात कर इसे भूल में डालना चाहें, तो मैं समझता हूं, वह उचित नहीं हैं। दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को पास करने के बाद कोई नुकसान होने वाला है, ऐसी बात नहीं है। यह कहा गया है कि छः हज़ार आदमी निकाय की दया में आ जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि इस बिल में एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि, जो आज सेवा पूजा करते है, उन सेवा पूजा करने वालों को कह दिया गया हो कि वे सेवा पूजा नहीं करेंगी। उल्टे यह कहा गया है कि जो प्रि-रिक्यूजिट चीजें है, जो भोग की

(श्री जनार्दनराय नागर)

परिपाटियां है, जो परम्परायें है उन्हें ज्यों का त्यों रखा जायगा, उन पर इस बिल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आया कि फिर छः हज़ार व्यक्ति निराश कैसे हो जायेगी। यह भी कहा गया कि छः हज़ार व्यक्ति और १० हजार नाथद्वारा की जनता है, वे बेगाने हो जायेंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे प्रावधानिक बिल में एक बयावान की कल्पना की गई है (हंसी) एक तरफ कहा जाता है कि एक व्यक्ति को डेढ़ रुपया मिलता है, डेढ़ मन नाज भी मिलता है, वे अशिक्षित है, लेकिन उनका ब्रह्म सम्बन्ध है। मेरे दिमाग में बैठता नहीं है। कि इस जमाने में डेढ़ रुपया और कुछ नाज कम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि नाथद्वारा की १६ हज़ार की जनता है, उसका भारत के इतिहास में एक स्थान रहा है और हिन्दु संस्कृति की दृष्टि से, भारतीय सभ्यता की दृष्टि से, नाथद्वारा की जनता का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भारतीय संकृति में हाथ है। श्री कृष्ण का नाम हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान के बाहर गया है, उनके नाम के साथ ही नाथद्वारा की जनता का भी नाम गया है। इसलिए आज वहां की जनता उसे छोड़ना नहीं चाहती, उनका कहना है कि उनका भविष्य ठीक नहीं रहेगा। मेरा विश्वास है कि इस निकाय के बनने के बाद नाथद्वारा की जनता का भविष्य अच्छा होने वाला है। हम नहीं चाहते कि जनता हमेशा धार्मिक भावना से दबती रहे, सम्प्रदायों के मामले में जनता पड़ी रहे। हमें जनता की धार्मिक आडम्बर की मोह निद्रा से उद्धार करना पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं हो सकतीं। अब वह युग आ रहा है, आज तो केवल मन्दिरों के प्रबंध की बात है, कल जमाना आने वाला है कि मूर्तियों को मन्दिर में एक जगह रख दिया जायेगा और उसकी सारी सम्पत्ति सार्वजनिक उपयोग में आने वाली है। मेरा बस चले तो तमाम भारतवर्ष के जो बड़े-बड़े देवता रहे हैं, उन सब की एक स्पेशल ट्रेन बनवा दूँ (करतल ध्वनि) उस स्पेशल ट्रेन में सैलून हों और तमाम देवताओं की मूर्तियां, जिन्होंने सदियों से धार्मिक भावनाओं का प्रचार किया है, इस स्पेशल ट्रेन में मौजूद हों। भले ही इस स्पेशल ट्रेन में १०० सैलून हों और एक एक मंदिर की मूर्ति के लिए एक पुजारी हो...

श्री मनोहर कोठरी (कुम्भलगढ़) : प्रधान पुजारी आपको मुकर्रर कर दिया जाय।

श्री जनार्दनराय नागर : वह स्पेशल ट्रेन तमाम हिन्दुस्तान में यात्रा करे। मेरे मित्र मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। दुनियां में यह प्रयोग हो रहा है। चीन में इस प्रकार की ट्रेन चलती है, जिसमें सांस्कृतिक, कला विषयक चीजें रखा जाती हैं और वह चीन में भ्रमण करती है...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर नगर पूर्व) : On a point of information, Sir, मैं जानना चाहूंगा माननीय सदस्य से कि चीन में कौन सी व्यवस्था है,, कम्यूनिस्ट व्यवस्था है, या हिन्दुस्तान की व्यवस्था है ?

श्री जनार्दनराय नागर : चीन में कम्यूनिस्ट व्यवस्था कही जाती है वह पूरी कम्यूनिस्ट व्यवस्था नहीं है, यही दुःख है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : आपने चीन सरकार को सूचना दे दी है कि कम्यूनिस्ट सरकार नहीं है।

श्री जनार्दनराय नागर : आज ज़माना आ गया है जब इन्सान भगवान के पास क्यों जांय, पत्थर की मूर्ति के पास क्यों जाय, जिन्दा दिल इन्सान पत्थर की मूर्ति के पास क्यों जाय।

(करतल–ध्वनि)

उस मूर्ति को आना चाहिये इन्सान के पास, इन्सान क्यों जाये उस मूर्ति के पास। युग बदल गया है...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): आप सुबह उठते ही अपने पिताजी को क्यों नमस्कार करते हैं ?

श्री जनार्दन राय नागर : मैं तो नहीं मानता ईश्वर को, युग बदल गया है, एक युग था जिस समय आम जनता पुलिस से नहीं दबाई जाती थी, शक्ति से नहीं दबाई जाती थी तब जनता को धर्म की अफीम पिला कर दबाया गया, तो उस युग के ये आध्यात्मिक थाने हैं, कोतवालियां हैं।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : It appears, Sir, that Marx is reborn fn the Assembly.

श्री जनार्दन राय नागर : इसलिये मैं कहना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, कि उस भगवान् की मूर्ति को इन्सान के पास आना चाहिये। उस नये अवतार को हम तभी संभव कर सकेंगे जब भगवान् की मूर्ति इन्सान के पास आयेगी।

श्री उपाध्यक्ष : Let us come to the question itself now.

श्री जनार्दन राय नागर : भड़कने की कोई बात नहीं, मैं तो राजस्व मंत्रीजी से कहूंगा कि आप कमज़ोर दिल के आदमी हैं, नाथद्वारा मंदिर की सम्पत्ति है वह सारी की सारी क्यों नहीं राज्य के सुपुर्द कर देते, ताकि यह आध्यात्मिक झगड़ा दूर हो। इसी तरह की हमारी कोशिश है। यह जो है यह मंगलाचरण है। मंगलाचरण अच्छा होता है तो उस कार्य का उत्तरार्द्ध बहुत अच्छी तरह से पूर्ण होता है। तो इसे शीघ्रातिशीघ्र पारित किया जाय ताकि देवस्थान के लिये अखबारों में, हमारे मित्र शिकायत करते हैं, भ्रष्टाचार के लिये, वह हमेशा के लिये दूर हो जाय और उन महन्तजी को भी अपनी आत्मा का लाभ हो जाय।

(अनेक सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, जो यह विधेयक सदन के समक्ष आया है, उसको मैं पूर्ण समीचीन और सामयिक समझता हूँ। इस अर्थ में तो नहीं, कि जो इसमें उल्लेख किया गया है, उसको ज्यों का त्यों आज ही पारित कर दिया जाय, पर इसके पीछे जो भावना है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। मेरा यह विश्वास है कि अब वह समय आ गया है कि जब हम केवल कुछ राजनैतिक मुद्दों को ले कर ही इस सदन में या बाहर सार्वजनिक रूप में ही विचार न करें, पर हमें देश के बड़े बड़े प्रश्नों पर भी विचार करना चाहिये, जिनके कारण हमारे देश की दुर्गति हुई है। मैं समझता हूं कि इस समय यहां नाथद्वारा मंदिर को ले कर यह विधेयक प्रस्तुत हो रहा है और आवश्यकता तो यह थी कि और

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

जितने भी मन्दिर हैं, उनके लिये भी इस तरह के देवस्थान, ऐसे स्थान और संस्थायें हैं, उनके लिये भी ऐसी व्यवस्था हो कि उनमें जो धन, हमारे गाढ़े पसीने की कमाई धर्म के नाम पर अर्पित करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं हो।

हमारे देश में दया और दान का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दया और दान के नाम पर लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां की हैं। वैसे हमारे देश में इनका जितना दुरुपयोग हुआ है उतना शायद और कहीं नहीं हुआ होगा। जब ये मन्दिर, देवस्थान शुरू शुरू में बने तो इन मतों के प्रवर्तक बहुत ऊंचे विचारों के थे, उनका वह बहुत ऊंचा विचार अपने देश को, समाज को आगे बढ़ाने के लिये रहा होगा। आचार्य बल्लभजी उनके पुत्र हैं, विठ्ठलजी नाथ हुए हैं, उन्होंने बहुत ऊंची भावना को लेकर मन्दिरों का प्रादुर्भाव किया। उनके धार्मिक विचारों से प्रेरित हो कर, जो देश सेवा, समाज सेवा की भावना उनके दिल में थी, उससे प्रेरित हो कर ही हजारों लाखों लोगों ने, उनका अनुयायी बनना स्वीकार किया। फिर वे अनुयायी आगे चल कर अन्ध विश्वासी ज्यादा बन गये। जैसा त्याग, तप, उच्च भावना उन धर्म प्रवर्तकों की थी, धीरे धीरे किसी कारण से कम होती गई। विशेषत: जिस मन्दिर का हम ज़िक्र कर रहे हैं, मुझे यह कहने में दुख होता है कि कम से कम दो तीन पीढ़ियों से तो जनता की इसके सम्बन्ध में अधिक टीका टिप्पणी हुई है। इससे मेरा मतलब यह नहीं कि श्रीनाथजी के सम्बन्ध में रही हो, वहां पर जो महन्त के दायित्वपूर्ण स्थान पर लोग रहे हैं उनका उतना उच्च और उचित जीवन नहीं रहा है। जिसके कारण हिन्दू समाज ही नहीं, दूसरे लोगों के अन्दर भी हमारे धर्म और सम्प्रदायों के प्रति ठीक भावना नहीं रही है। इतिहास बताता है कि हमारे देश में धर्म स्थानों और देव मन्दिरों के नाम पर जब कभी बहुत धन एकत्रित किया गया और दूसरे देश वाले हमारे देश पर आक्रमण करने के लिये प्रलोभित हुए और जब उनको यह मालूम हुआ कि यहां के मन्दिरों में अपार धन-सम्पत्ति पड़ी हुई है, तो उन लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया और उसके कारण हमें यह दुर्भाग्य भोगना पड़ा। अब भी यही कहना है कि ऐसे जो पैसा इक्ट्टा होता है, उस पैसे का सदुपयोग उस धर्म के, सम्प्रदाय के लोगों के लिये होना चाहिये। आज जो विधेयक आ रहा है, उसकी यही मांग है कि इस तरह आये हुए धन का सदुपयोग हो। समय समय पर हम तो आये दिन समाचार पत्रों में पढ़ते आ रहे हैं कि फलां मन्दिर में धन का गबन किया गया। कुछ दिनों पहले मथुरा का द्वारकाधीश का मन्दिर भी इतना हो महत्वपूर्ण माना जाता रहा है....

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अब क्या गारन्टी है कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा?

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : लीजिये अभी गारन्टी मिलेगी। वहां भी करोड़ों की सम्पत्ति, हीरे जवाहरात रहे हैं। मुझे भी मथुरा में रहने का अवसर मिला है, मुझे मालूम है कि कितनी अपार सम्पत्ति वहां पड़ी थी। पर सुनने को मिला कि वहां की सारी सम्पत्ति गायब है। सोने और जवाहरात से मंढ़ी हुई मूर्तियों के मन्दिरों से गायब होने

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

के समाचार हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। मैं तो मानता हूं कि वह सार्वजनिक सम्पत्ति नहीं, कुछ व्यक्तियों की सम्पत्ति बनी हुई है। हम राजाओं और महाराजाओं का क्यों विरोध करते थे, उनके पास भी सम्पत्ति हर तबके के लोगों से इकट्ठी होती थी और वह सम्पत्ति खर्च होती थी मुट्ठी भर लोगों के ऐशो आराम पर। मन्दिरों पर भी पैसा दिया जाता था, महन्तों के चरणों पर जो भेंट किया जाता था, वह इसलिये दिया जाता था कि वे धर्म का आचरण करने वाले लोग थे, वे इस पैसे को व्यक्तियों के लिये नहीं देते थे। वे लोग कभी यह नहीं चाहते थे कि यह पैसा जो वे भेंट के रूप में चढ़ाते हैं मूर्तियों का नाम दे कर चढ़ाते हैं, उसका एक व्यक्ति उपयोग करें या कोई एक व्यक्ति अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ती के लिये उस धन का उपयोग करे और पैसे का दुरुपयोग हो। यह सिद्धान्त धन दान में धन देनेवाले का नहीं होता। हम तो ऐसा सुनते हैं, कि गोस्वामीजी को उसका एक भाग माना है। मैं यह कहूंगा कि वे अलग व्यक्ति हैं। लोग कहते हैं कि वे बम्बई में भी रहते हैं, वहां पर भी भक्त लोग आते हैं, और लाखों रुपया उनको व्यक्तिगत रूप में भेंट करते हैं, चाहे वहां मंदिर नहीं हैं। वहां केवल गोस्वामीजी महाराज ही विराजते हैं...

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : बैठक है, बैठक को मंदिर के बराबर ही मानते हैं।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर उनका मंदिर से कोई सम्बन्ध नहीं होता या धर्म के नाम पर मंदिर से सम्बन्ध नहीं होता, तो मैं यह कहूँगा कि शायद उन महन्तजी और मेरे जैसे व्यक्ति में कोई अन्तर नहीं होगा। उनकी जो मान्यता है वह उस मंदिर के पीछे ही है, जिसके लिये लोगों की बड़ी भावना रही है, निष्ठा रही है और वह केवल इसी लिये कि वे नाथद्वारे के महन्त हैं। उनका विशेष महत्व ही उस मंदिर के पीछे है। यदि उस सम्बन्ध से भेंट चाहे बंबई में बैठे हुए या कहीं बाहर भी चले जावें या किसी दूसरे देशों में चले जावें और वहां पर भेंट मिले, तो मैं समझता हूं कि वह उनको अपने निजी उपयोग में नहीं लेनी चाहिये। यदि वे उसका उपभोग भी करना चाहते हैं और करें तो उसमें से खा लें, पी लें और कुछ कपड़े बनवालें, लेकिन उसका दुरुपयोग जैसा की आज आम पब्लिक में भावना है, वह नहीं होना चाहिये। इस प्रकार का जो विधेयक आता है, उसकी मंशा यही होती है, कि जितना धन इकट्ठा होता है वह व्यक्ति विशेष का नहीं है। मैं समझता हूं कि मूर्ति जो अच्छी से अच्छी बनाई जाती है, वह हज़ार या डेढ़ हज़ार की हो सकती है आज हमारे यहां जयपुर में अच्छी से अच्छी मुर्तियां बनती हैं, उस मूर्ति को अच्छे से अच्छा शृंगार करा दिया जावे यहां तक तो मूर्ति की विशेषता रह सकती है। मंदिर को भी अच्छे से अच्छा बनाया जावे, महन्त भी उनकी सेवा पूजा करता है इसलिये वह भी कुछ उस पैसे में से कुछ निश्चित रूप से पाने का हक रखता है। इसलिये उसके लिये भी कुछ निश्चित रकम कर दिया जावे। यदि यहां तक रखते हैं तो यह उचित हो सकता है। मगर जहां कहीं मर्यादा नहीं, चाहे जितनी निजी सम्पत्ति महन्तजी की हो सकती है, उनका उस मंदिर पर पूरा अधिकार भी हो सकता है, यह उचित नहीं है। इसका

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

नतीजा आज यह हुआ है कि हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इतने बक्स जेवरात के महन्तजी रेल से ले जाते थे और इतने बक्सों को पुलिस ने पकड़ा और महन्तजी उस पर पुलिस में कहते हैं कि यह सामान मेरा निजी है। पुलिस में इस प्रकार की घटना का होना भी धर्म के अनुयायियों के लिये कोई शोभा की बात नहीं है। इसलिए इस सम्बन्ध में निर्णय लेना परम् आवश्यक है। लेकिन मैं इसमें यह देखता हूँ कि शायद जैसा मेरे कई वकील दोस्त अक्सर बताते हैं, कि इसमें यह कानूनी बात रह गई सो इस प्रकार की कोई कानूनी कमी तो नहीं है, अगर कोई कानूनी कमी हो तो देख लेनी चाहिये क्योंकि मैं कोई वकील नहीं हूं।

इसके अलावा एक चीज़ यह है कि मंदिर के लिये एग्ज़िक्यूटिव ऑफिसर होगा वह हिन्दू धर्मानुयायी होगा। हिन्दू धर्म ही बड़ा व्यापक शब्द है। हिन्दुओं में वैष्णव भी होते हैं, शैव, चारबाम बामवर्गी और नाष्तिक भी होते हैं, हिन्दू शब्द का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है। इसमें सभी लोग आ जाते हैं। लेकिन जहां तक इस मन्दिर का प्रश्न है, यह वैष्णवों का मन्दिर है। यदि वह अधिकारी हिन्दू होकर भी शैव अधिकारी होगा तो........

श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : 'हिन्दू' शब्द है

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : क्लॉज़ १६ में लिखा है : निष्पादन अधिकारी : (१) राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को, जो हिन्दू धर्मानुयायी हो, मन्दिर का मुख्य निष्पादन अधिकारी नियुक्त करेगी। मुख्य निष्पादन अधिकारी मन्दिर का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। और उसे मंदिर की निधि में से ऐसा वेतन दिया जायगा, जो राज्य सरकार समय-समय पर नियत करें" तो यह मैंने इसलिए कहा है कि हमारे देश में बहुत से सम्प्रदाय हैं। वहां पर कोई मुसलमान हो, या हिन्दू हो, कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन हिन्दुओं में भी कई सम्प्रदाय हैं, और अगर वहां पर कोई शैव चला जाता है तो शैव और वैष्णवों के विचारों में अन्तर है। उनके विचार एक से नहीं होते। नाष्तिकों के अलग विचार हो सकते हैं। इसलिये इस शब्दावली को देखलें कि कहीं आगे चल कर किसी प्रकार की मुसीबत नहीं हो। इसलिए इस प्रकार का सुधार किया जावे। मैं इस बात का समर्थक हूं कि इसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जावे, लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो कानूनी गल्ती हो, उसको निकाल दी जाए। मैं वकील नहीं हूं। कानूनी त्रुटी निकाल कर इसको स्वीकार किया जाए।

आज इस प्रकार की मांग करते हैं, कि देवस्थान और मंदिरों का सुधार हो। मगर आज से ३० वर्ष पहले मथुरा में यू. पी. सरकार ने चैरिटेबल इन्स्टिट्यूट के लिये, ट्रस्ट कायम करने के लिये कमेटी कायम की थी। उस समय मैंने भी मथुरा में उसके सामने साक्षी दी, अपना सहयोग दिया था। ३० वर्ष पहले अधिकांश लोग इस विचार के थे कि इन मंदिरों में जो पैसा है उसका सदुपयोग हो और उस पर सरकार का नियन्त्रण रहे ताकी उसमें धर्म से प्राप्त धन का दुरूपयोग न होवे और उसका बुरे तरीके से इस्तेमाल

(श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी)

न हो। इस दृष्टिकोण को देखते हुए, इस प्रकार का विधेयक लाना आवश्यक है। इस प्रकार के विधेयक लाने से यह मतलब नहीं है कि नाथद्वारा का जो मंदिर है और वहां पर मूर्ति है और महन्त है, उसका अपमान करना या जो उसका पद है उसको नीचा करने की भावना नहीं है, लेकिन इसमें सच्ची यह भावना है, कि जिन उच्च विचारों को लेकर संस्थाऐं कायम की गई थीं उसके धन का उपयोग ज्यादा अच्छे तरीकों से हो। इससे ज्यादा उस धन का उपयोग क्या हो सकता है कि वहां एक बहुत अच्छी संस्कृत की युनिवर्सिटी खोली जा सके। हम पहले कहा करते थे कि द्वारकाधीश में वहां के कोष में जितना रुपया आता है, वह भोग पूजा में लगता है और उसका प्रसाद बहुत दिनों तक पड़ा रहता है और सड़ता रहता है। इसलिये इस रुपये को उचित रीति से काम में लाया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति भेंट न चढ़ाए। यह इसका मतलब नहीं कि कोई उस मूर्ति की सेवा पूजा न करे और सेवा पूजा न हो। जो भी इस सम्बन्ध में रुपये हैं, उनका सदुपयोग इससे अच्छा नहीं हो सकता कि वहां पर एक संस्कृत की पाठशाला हो, आयुर्वेद के औषधालय खोलें जिससे कि हम जनता की भी सेवा कर सकें। ऐसी व्यवस्था रखी जावे, यह अच्छा है। इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि यह विधेयक लाया गया है और इसको इस दृष्टि से स्वीकार करना चाहिये।

श्री रघुवीरसिंह (राजगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, १८ वीं शताब्दी में देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनके कारण से श्रीनाथ जी महाराज बृज को छोड़ कर अपने राजस्थान में पधारे। अब मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा होरहीं हैं कि शायद श्रीनाथ जी महाराज को यहां से छोड़ कर पधार जाना पड़े। वह दिन, मैं तो समझता हूँ, आपको और हम सबको स्मरण होगा...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : कौन सा स्थान ढूंढ रहे हैं ?

श्री रघुवीरसिंह : पाली ले जाओ मन में हो तो।

श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी : जावली ही ठीक रहेगा।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : मैंने कहा था आखिरी चन्द्रमा....

श्री उपाध्यक्ष : Yes Hon'ble Member will continue please.

श्री रघुवीरसिंह : (जारी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अपने यहां से, कोटा से भगवान की मूर्ति ऐसी ही कुछ परिस्थितियों में अचानक गायब हुई और वहां बम्बई ले जाई गई थी। मुझे लगता है कि यहां भी अब ऐसी स्थिति पैदा न कर दें कि जो वास्तव में पूरे भक्त हैं, जो उपासी है भगवान के उनको इन परिस्थितियों से अरुचि हो जाय, एक वह परिस्थिति हो सकती है कि इन दिनों हमारी सरकार और बहुत सारे माननीय सदस्यों की उस ओर आंख टिकी हुई है। इसलिए, दान आना ही बन्द हो जाय और लोग समझ लें कि राज्य का हस्तक्षेप हो गया इसलिए न उपासना का अंग रहा, एक मैक्निकल

(श्री रघुवीरसिंह)

काम बन चुका है, जिसमें धार्मिक चीज़ नष्ट हो गई है, उपासना का काम रहा नहीं, वे जो उपासक हैं, उपासना के नाम पर दान, सम्पत्ति अर्पित करते हैं भगवान को, आभूषण—या पैसा देते हैं, उनकी मनोवृत्ति ही बदल जाय, यह भी हो सकता है कि राज्य की व्यवस्था होने से जैसे—तैसे काम चलेगा, आज भी उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई ऐसे मन्दिर देखे हैं जिनका राज्य के हाथ में प्रबन्ध हो गया है उनकी हालत सोचनीय हो हो गई है। जब से सरकार का प्रबन्ध हो गया है तब से लोगों ने यह सोच लिया कि यहां भेंट करने से कोई फायदा नहीं है, यह भेंट तो सरकार के खज़ाने में जावेगी इसलिए यही भेंट चढ़ाओ कि ठाकुरजी के दर्शन कर लो और चल दो। जिन मन्दिरों का प्राइवेट प्रबन्ध है वे बिना जीविका के भी चल रहे हैं और बड़े उत्साह से चल रहे हैं। इसलिए यह मानकर चलना चाहिये कि जहां कहीं भी कानूनी अड़चन धार्मिक मामलों में हो जाती है, उपासना को कानून के दायरे में बांध दिया जाता है, वहां उपासना नहीं रहती है, भक्ति का जो भाव है वह सर्वथा नष्ट हो जाता है।

ये मैंने आपको जनरल कहा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो विधेयक हमारे सामने आया है उसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो इसमें कहीं भी श्रीनाथ जी महाराज का मन्दिर जिसको कहा गया है उसका और गोस्वामीजी महाराज का क्या सम्बन्ध होगा, उनका उस पर कितना अधिकार है, इसकी डेफिनेशन इसमें कहीं भी नहीं रखी गई है। इसके अलावा इसमें अपॉइन्टमेंट का सेक्शन है, जिसमें बोर्ड का मेम्बर कौन होगा, इसके सम्बन्ध में लिखा है कि : "[5] Subject to the proviso to sub-section [1] the other members of the Board shall be appointed by the State Government so as to secure representation of the Pushti Marg Vaishnavas from all over India."

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह रिप्रेजेन्टेशन पुष्टि मार्ग में सरकार कैसे हासिल करेगी, कहां उसकी लिस्ट मेन्टेन्ड है? इसके साथ ही यह भी निवेदन करूंगा कि पुष्टि मार्ग की भी दो कक्षा हैं। एक तो वे हैं जो केवल उपासक हैं, भक्त है। दूसरी कक्षा उनकी है जो आचार्य हैं, गोस्वामी हैं, या महन्त हैं। मैं निवेदन यह करता हूं कि उनमें से रिप्रेजेन्टेशन लिया जायगा तो आया आचार्यों, प्रवर्तकों को लिया जावेगा या रिप्रेजेन्टेशन होगा उपासकों में से? वास्तव में प्रबन्ध करने का काम होता है उपासकों का और धार्मिक योजना बनाने का काम होता है वह आचार्यों का, गोस्वामी वर्ग का। इसमें सरकार ने यह सोच लिया हो और उसके दिमाग में यह हो कि पुष्टि मार्ग के लोग बोर्ड में आना चाहते हैं उनको लिया जाय, मैं समझता हूं कि उससे धार्मिक मर्यादा की सुरक्षा कैसे हो सकेगी? धार्मिक मर्यादा को सुरक्षित रखना है तो ऐसे लोग होने चाहिये जो सम्प्रदाय के हों।

श्री उपाध्यक्ष : यह अवसर तो संशोधन पर जब विचार होगा उस समय उपस्थित होगा और तब ही इस पर विस्तृत प्रकाश डालें।

श्री रघुवीरसिंह : (जारी) ऐसा विचार उस समय नहीं हो सकेगा इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा इस पर विचार कर लिया जाय। अपॉइन्टमेंट कमेटी का एक vague प्रोज़विन है। मेरे आंखों द्वारा देखे गये एक दृश्य के लिए अर्ज करता हूँ कि एक जगह वैष्णव मन्दिर था और उसमें शैव पुजारी था, राज्य की धांधली कहिये, शैव पुजारी उस मंदिर में किसी भी तरह से आगया और मैंने यह देखा actually कि उसने भिश्ती को बुला कर ठाकुरजी को स्नान कराया।

श्री उपाध्यक्ष : खाल गाय के चमड़े की होगी।

श्री रघुवीरसिंह : होगी। लेकिन वह भी ग्राह्य नहीं है।

मैं निवेदन करूंगा कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि मंदिर की दुरव्यवस्था हो, सेवा पद्धति में वे कुछ नहीं समझते हों, कोई भक्ति की भावना न हो। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस बिल में बहुत से सेक्शन्स ऐसे हैं कि जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा गया है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, मैं उसका अनुमोदन करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि सरकार को इसको इसको स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : Honble shri Hari Prasad.

(करतल-ध्वनी)

श्री हरिप्रसाद यादव (बल्लभनगर सु०) : माननीय उपाध्यक्ष जी, नाथद्वारा मंदिर विधेयक, १६५६, जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! यहां विधेयक का विरोध करने का प्रश्न नहीं है, किन्तु इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय या नहीं, यह प्रस्ताव है सदन के सामने और आप उस पर ही अपने विचार व्यक्त करें।

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो विधेयक का विरोध कर रहा हूं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : तब आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे क्योंकि विधेयक के विरोध का प्रश्न यहां नहीं है,

श्री हरिप्रसाद यादव : अच्छा प्रवर समिति में भेजना चाहिये और बिल पर अर्ज करना चाहता हूं वह यह है मेरे पूर्व वक्ताओं ने बिल पर काफी प्रकाश डाला है और मैं इससे इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जहां मनुष्य-मनुष्य में भेद-भाव करते हैं, पत्थर की मूर्ति का प्रश्न उठा कर, सदन का अमूल्य समय ऐसे बेकार के काम में लिया जा रहा

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़ ! सदन की बहस को बेकार कार्य कहा जा रहा है, मैं माननीय सदस्य को चेतावनी देता हूं कि भविष्य में ऐसी भाषा का प्रयोग न करें, किन्तु संयमित रहे।

Page No.74

श्री हरिप्रसाद यादव : माननीय उपाध्यक्षजी, भारत सरकार के अस्पृश्यता कानून के लिए अर्ज करना चाहता हूँ जो प्रत्येक मनुष्य को समान अधिकार देता है। मनुष्यों के समान अधिकार रहते हैं। जब कि शहरों में प्याऊ लगाई जाती उसमें भी कुछ लोगों के लिये नालियां लगायी जाती है। जिस मन्दिर की मूर्त्ति को या मन्दिर की इमारत को हम शिड्युल्ड कास्ट के कारीगर मिल कर बनाते हैं, जब वह मूर्ति घड़ दी जाती है और मन्दिर में उसकी स्थापना हो जाती है तो पुजारी हम लोगों को अड़ने तक नहीं देता। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ आप भी इस चेयर पर बैठकर पंडे, पुजारियों की मदद कर रहे हैं, यह आपको करना उचित नहीं है। जब भारत सरकार ने अस्पृश्यता निवारण कानून पास कर दिया है, जब यह कानून सब प्रान्तों में लागू हो चुका है....

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर): On a point of order, Sir, माननीय सदस्य चेयर पर आक्षेप कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य द्वारा वह सहृदयता और सरलता से कहे गये हैं।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैंने चेयर के लिये नहीं कहा है। मैंने तो मनुष्य–मनुष्य में जो भेदभाव बरता जाता है उस बात को साफ करने के लिये कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मावली क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था कि मठ बनने चाहिये, यह होना चाहिये, वह होना चाहिये; मैं आपसे अर्ज करूं....

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : मेरे भाषण का गलत रैफरेन्स दे रहे हैं। मैंने कहीं यह बात नहीं कही है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो उनका वाक्य ही समाप्त नहीं हुआ है।

श्री हरिप्रसाद यादव : मैं तो मन्दिर के इस बिल के संबन्ध में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो मुझे सन्तोष हो चुका है, इसी सम्बन्ध में है।

श्री हरिप्रसाद यादव : जब कि महर्षि दयानन्द ने यह बताया कि मूर्त्ति तो केवल जड़ है। मावली से आने वाले व्यक्ति साहित्यक हैं, बड़े विद्वान हैं, वे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, विद्वान हैं। उन्होंने यह बताया कि मनोरंजन कला होनी चाहिये। हमारे देश की कला का लोप हो गया है। समझ में नहीं आता जब कि हम देवस्थान का बिल पास करने जा रहे है, जब कि हमारे पड़ौसी प्रान्त पंजाब में गुरुद्वारा प्रबन्ध के सम्बन्ध में एक बिल पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। तो समझ में नहीं आता कि हमारी राजस्थान विधान सभा ने यह फालतू का टंटा क्यों मोल लिया है...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर! ऑर्डर!! मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी भाषा पर पूरा संयम रक्खें और जो भाषा आपने प्रगट की है, उस पर मैं अपना रोष प्रगट करता हूँ और फिर हिदायत करता हूं कि आप भाषा पर संयम रक्खें।

श्री हरिप्रसाद : मैं, उपाध्यक्ष जी, यह कह रहा था पंजाब राज्य में गुरुद्वारे का बिल जो पास हुआ है, वह पार्लियामेंट से हुआ

Page No.75

(श्री हरिप्रसाद)

है तो फिर यह बिल राजस्थान विधान सभा में क्यों लाया गया है ? जब कि हमारे पास तीसरी पंच वर्षीय योजना और दूसरे भी महत्वपूर्ण बिल पास करने हैं। जो माननीय सदस्य लाखों व्यक्तियों के प्रतिनिधि चुनकर यहां आये हैं उनके भाग्य का फैसला करने के लिये यहां आये हैं न कि इस तरह से समय ज़ाया करने के लिये। मैं आपको ऋषि मुनियों ने जो बताया है उसकी तरफ इशारा करते हुए जैसा कि मेरे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने बताया है। मावली क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य के अनुसार एक बन्दर का दृष्टांत उन्हांने दिया था। उन्होने पद्मपुराण की ओर इशारा दिया मेरे बड़े भाई ने जो भी बातें कहीं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He is not a member of the scheduled caste.

श्री हरिप्रसाद यादव : सवर्ण भाई कहिये जो हम से ऊंचा मानते हैं, जो हम से आगे बढ़ गये हैं, मैं आपसे अर्ज करूं हमारे सवर्ण भाई जो आगे की ओर बैठे हैं जब हम मन्दिर में प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है यह चमार है, यह रेगर है हरिजन आगया और डंडे लगाये जाते हैं। आज भी कई लोगों के खिलाफ केस चल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोगों को मन्दिर मस्जिद या गुरुद्वारों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है ? जब आपको है तो हमारे लिये क्यों नहीं ?...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! आप इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलेंगे। आप इधर उधर की बातों में न जायें। जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसी तक अपने भाषण को सीमित रक्खें।

श्री हरिप्रसाद यादव : इस मन्दिर के बिल के सम्बन्ध में ही बोल रहा हूँ। जब हम सदन में आये, उपाध्यक्ष महोदय, हमें ११ पेज़ की किताब पकड़ा दी गई। मैं उस पुस्तक को पढ़ नहीं सकता तो मैं उस सम्बन्ध में क्या बोलूं। हमारे यहां जो सदस्य है उनमें अस्सी प्रतिशत इस भाषा को नहीं जानते फिर किया जवाब दें। आज जिन मनुष्यों को मन्दिर में जाने का अधिकार नहीं, आज जो उनको इसके लिये लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं जब किसी के जूते ठीक कराने होते हैं तो वह चमार के पास जाते हैं। चर्म खराब हो जाता है तो उसको कारी लगाने के लिये चमार के पास जाना होता है उसके बिना पानी नहीं आ सकता चरस में। और जो हरिजन मन्दिर की मूर्त्ति को अपने पैरों के नीचे रखकर उसके नाक कान आदि बनाता है लेकिन जब मूर्त्ति तैयार होती है उसे उसके दर्शनों तक के लिये जाने नहीं दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज़!! आप इस विधेयक के सम्बन्ध में, जो प्रस्ताव आया है उसी के सम्बन्ध में बोलेंगे। इधर उधर की बातें नहीं कहेंगे। अगर बोलना चाहते हैं तो इसी प्रश्न पर बोलिये अन्यथा समाप्त कर दीजिये।

श्री हरिप्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन सब बातों के साथ जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है मैं उसका समर्थन करता हूँ।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को प्रवर समिति में देने का जो प्रस्ताव आया है उसका विरोध करता हूं। मैं मानता हूं कि आज जो सरकार ने कदम लिया है वह सब से अच्छा है। आखिर यह कानून क्यों पेश किया जा रहा है जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बिल को पेश करते हुए इसके ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में इसका ज़िक्र किया है उन्होंने कहा है "The affairs of the temple of Shri Shrinathji at Nathdwara in Udaipur District are not being properly managed." जिन माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है उन्होंने शुरूआत इस बात से की थी कि यह बिल जो लाया गया है, वह नाथद्वारे के सम्बन्ध में, जो कुछ प्रचार हो रहा है उसमें capitalists का हाथ है। उन्होंने १६४१ से जो कुछ बातें हुई उसमें भी केपीटिलिस्टों का हाथ बताया है और उसमें कुछ political stunt भी बताया है। लेकिन तथ्य जो है वह उनके स्टेटमेंट से बिल्कुल विपरीत है। हकीकत यह है कि पिछले वर्ष से नाथद्वारा का जो मैनेजमेंट रहा है उसके लिये न सिर्फ स्टेट में ही बल्कि उस धर्म के जो अनुयायी लोग हैं, सारे हिन्दुस्तान में जो वैष्णव कहलाते हैं, उन लोगों में भी जब-जब नाथद्वारा के मैनेजमेंट में जो स्केन्डल की चीज़ हुई है उसका असर सारे हिन्दुस्तान पर पड़ा है। यह जो बिल लाया गया है किसी सम्प्रदाय के रिलीजियस राइट पर किसी प्रकार रेस्ट्रिक्शन डालने के लिये या उस सम्प्रदाय को मानने वाले लोगों पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने के लिये नहीं लाया गया है। इसके बारे में ब्रह्म का सम्बन्ध है उसका भी ज़िक्र किया गया। जहां तक ब्रह्म का सम्बन्ध है वह तो ब्रह्म से समन्वय करने पर Spritually पा सकते हैं। यह बिल सिर्फ material aspect जो हैं उनको कन्ट्रोल करने के लिये हैं। उसकी जो प्रोपर्टीज़ हैं उसके मैनेजमेंट के लिये है न कि Spritual function पर कन्ट्रोल के लिये है। उन्होंने कहा कि महन्तश्री कैसे एक कमेटी के सामान्य सदस्य रह सकते हैं ? इस बिल में यह नहीं कहा गया है कि महन्तजी को कमेटी का सदस्य रहना ही पड़ेगा। बिल में साफ इशारा किया गया है कि महन्तश्री की मर्ज़ी होगी तो बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं। पर मैं कहता हूं कि महन्तश्री जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जिनका ब्रह्म सम्बन्ध हो गया है, वे एक material matters का प्रबन्ध करने वाली, रुपये पैसों की व्यवस्था करने वाली और जिस कमेटी के पास केवल पैसे कौड़ी की व्यवस्था का ज़िम्मा है, उसमें क्यों रहना चाहते हैं ? न रहें, उनके लिये कोई कम्पल्शन नहीं है Spritualism उनमें रहेगा। सब काम बाकी का सम्प्रदाय के गुरु के माफिक व्यवहार होगा। मैं तो मानता हूं कि महन्तश्री पसन्द नहीं करेंगे इसमें रहना। उनको रहना भी नहीं चाहिये। इस बोर्ड का सारा अफेयर worldly affair हैं और worldly affair में spritual आदमी को रहना भी नहीं चाहिये।

दूसरी बात, मैं किसी सम्प्रदाय की तरफ या महन्तश्री की तरफ रिफ्लेक्शन नहीं करते हुए भी कहना चाहता हूं कि महन्तश्री का व्यक्तिगत भी और उनके पिताजी को लेकर भी और उनके पिताजी के पिताजी को लेकर भी झगड़ा हुआ था और मुझे जो जानकारी है इस गवर्नमेंट से पहले भी, उदयपुर राज्य के ज़माने में भी यह था कि इस मन्दिर के जेवरात और प्रोपरटीज़ पर इनका निजी approach न हो इस दृष्टि से उन पर रेस्ट्रि-

(श्री पी. के. चौधरी)

क्शन थीं। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि उनके पिताश्री को या उनके पिताश्री के पिताश्री को इन्हीं मामलों को लेकरextern भी किया गया है। तो उनका व्यक्तिगत जो कन्डक्ट है वह भी एब्रोव रिप्रोच नहीं है। He has not behaved as spiritual leader of the Sampradaya. उस सैक्ट का जो भी पद या गुरु हैं उसकी स्प्रिच्युअल या आइडियल भावनाएं नहीं थीं। आज महन्तश्री का नाम लेकर, सम्प्रदाय का नाम लेकर, भावनाओं को उभारने की कोशिश करना और यह कहना कि जो ब्रह्म सम्बंध में लीन हो गये हैं जो रिलीजस गुरु माने जाते हैं उनको कमेटी का मामूली सदस्य बनाया जाता है, दूसरे को, कमिश्नर को प्रेसीडेन्ट बना देते हैं, गलत है। वैष्णवों की भावना को डिस्टोर्ट किया जाता है। यह फैक्ट्स को twist किया जाता है और इस तरह से सारे वैष्णव समाज के Sentiment को exploit करने की कोशिश की जा रहा है।

दूसरा बात, जिसका ऑब्जेक्शन करते हैं और मैं समझता हूँ कि एक डिस्टोर्टेड तरीका है, जो कहा गया है कि पोलिटिकल स्टन्ट है यह सारी की सारी बातें करना, प्रचार भी करना यह कौनसा पोलिटिकल स्टन्ट है? २५ दिसम्बर को सामान चोरी से लेकर गये, इसका प्रचार हुआ, कह सकते है, इसमें पोलिटिकल मोटिव भी हुआ आप कह सकते हैं पर इसके पीछे जो फैक्ट्स थे वह तो महन्तश्री ने किये थे न? जो खज़ाना था उसको उठाया था। क्यों उठाया पहले उन्होंने? काम तो उन्होंने ऐसा किया न? अब प्रचार अगर किसी ने पोलिटिकली कर लिया, उसको ब्लैक मैल किया, कुछ भी किया, लोग कर सकते हैं, उसको वे कैसे रोकेंगे। पर हालात इन सबके लिये तो उन्होंने ही पैदा की हैं न। कन्डीशन्स तो महन्तश्री ने स्वयं क्रीएट की। न करते ये ऐसा काम, तो कोई कुछ पोलिटिकल ब्लैक मैल या प्रचार न करता। तो इनके लिये फैक्ट्स जो हैं उनको महन्तश्री ने अपने कन्डक्ट से किया। कन्डक्ट से इन्स्टान्स की, काम किया, तो लोग तो उसका फायदा उठावेंगे। कुछ भी करेंगे। लोग आलोचना भी करेंगे। किसी ने कत्ल कर दिया तो लोग उस तरफ उतना ध्यान नहीं देंगे पुलिस अपना काम करेगी और उसकी सज़ा वह पावेगा, पर किसी एम. एल. ए. ने अगर कत्ल किया तो प्रोपेगेन्डा करेंगे लोग, उसका ब्लैकमैल भी करेंगे, पब्लिक क्रिटिसिज़्म भी होगी। इसी तरह अगर कोई मामूली आदमी कुछ कह सुन कर अपने रिश्तेदार को कहीं नौकरी लगा दे तो लोग बात नहीं करेंगे पर अगर कोई मिनिस्टर या एम. एल. ए. अपने किसी रिश्तेदार को नौकरी लगा दे तो इसका प्रचार हो जाता है, ब्लैकमैल होता है। पब्लिक x-ray करती है। उनके पब्लिक और प्राइवेट कन्डक्ट को एक्स-रे करती है क्योंकि वे पब्लिक के बीच काम करते हैं। प्राइवेट सिटिज़न के conduct को पब्लिक एक्स-रे नहीं करती, चाहे वह रिश्वत देकर भी अपने रिश्तेदार को नौकरी क्यों न लगा दे। तो उनका इतना ब्लैक मैल या प्रचार नहीं होता जितना पब्लिक मैन या पोलिटिशियन के कन्डक्ट का होता है।

इसी तरह वे एक सैक्ट के गुरु हैं। उनका पब्लिक क्रिटिसिज़्म उनके कन्डक्ट से होता है। तो कन्डक्ट वे करें और उसका जो पोलिटिकल ब्लैकमैल या प्रचार, जो भी कुछ

(श्री पी. के. चौधरी)

होता है उसको पोलिटिकल स्टन्ट कहना सत्य से परे है और लोगों को गुमराह करना है।

इस सन्बन्ध में यह जो कमेटी जिसको महन्तश्री ने नॉमीनेट किया था और इसके वाइस चैयरमैन ठाकरसी ने अपनी ओपीनियन व्यक्त की वह मैं सदन के सामने व्यक्त करता हूं जिससे साफ़ ज़ाहिर होगा कि यह पोलिटिकल स्टन्ट नहीं है। महन्तश्री का कन्डक्ट ही इसका कारण है। वह ट्रेज़री उठा कर ले जावें। जो ट्रेजरी उठाकर ले गया उस को सन् ३५ में सील लगाया गया था, महन्तश्री और उनके पिताश्री पर पाबन्दी थी कि वे उसको तोड़ नहीं सकते थे। इसके लौक की जो की थी, उनको नहीं दी जाती थी, उसको डबल सील और डबल लौक किया था और सिग्नेचर करके रक्खा गया था और यह सिर्फ इसलिये रक्खा गया था कि पहले भी इस तरह का वाकया हो गया था। ज्वैलरी को इनके पिताश्री और उन पिताश्री के पिताश्री उठा लिया करते थे और उसे अपना पर्सनल बना लिया करते थे। इस सम्बन्ध में जो वैष्णव कमेटी के वाइस चेयरमैन श्री ठाकरसी ने जो ओपीनियन दिया था वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ।

"It is correct that the above utensils jewellery etc. have been found in the small room in Gehna-Ghar which was sealed and locked under the signature of Shri Ramkantji Malviya and Shri Bindulalji Bhattacharya some time in 1935."

श्री उपाध्यक्ष : The information is being read from what document ?

श्री पी. के. चौधरी : It is a letter which is written to Mahant Shriji on 14th January, 1958, by Shri Thackersey.

श्री उपाध्यक्ष : Is it contained in a book or is it a separate piece of paper ?

श्री पी. के. चौधरी : It is a copy of the whole letter. It says further:-

"In these almirahs there were some boxes. Besides these, there were other boxes and bags of coins. I understand further that when these ornaments and cash were found, the Executive Officer requested that the room may be locked again as it was late and may be re-opened on the following day and an inventory thereof may be made, but you did not agree to the postponement. The Executive Officer had, therefore, to accede to your order and the jewellery and ornaments etc. were removed by you to your residence. I understand that on or about the 10th January. you agreed to have the inventory made and the same was made in the presence of your Secretary, Gahnaghar Officer and the Executive Officer.

From the details of the inventory seen by me, I would respectfully suggest that golden utensils and the ornaments really belong to the Krishna Bhandar and most of these items can only be used for Shrinathji and jewellery again cannot be used by any individual person as they

(श्री पी. के. चौधरी)

have been made especially for the use of Shrinathji. Regarding the utensils, I understand that the name of Vaishnavas, who have presented, some have been inscribed on some of the utensils. The type of utensils which have been found can only be useful for the diety and I have not yet come across any individual person who would be utilising this type of gold utensils for his personal use. Regarding the coins found, you were fully aware that all these are very old coinsboth of the Victorian reign and also contain Udaipuri siccas which were in the past always presented to the diety as Umberbeth by the devotees.

In the meantime I would request you that these items which have been found and taken charge of by you, while they are under the safe custody with you, for the sake of stopping the uproar that has arisen all over India, should be delivered back to the Gehnaghar. This will look more proper and legal and would strengthen your position in Vaishnava community.

There is no douht that a list has been made of these articles, but I strongly feel and my colleagues also join me again in requesting you that the same should not be kept with you for time being and, therefore, I request you to act upon the above suggestion.

I would only like to state that the position of the Power of Attorney Holders has been made aukward by having this room opened in their absence and without placing this matter first in the committee and I would like to see that restored as early as possible. I would further like to protest emphatically that it was not proper to have the jewellery removed without making a proper inventory at the time of opening the boxes etc. and this puts the Power of Attorney Holders in a very compromising position and will lead to unnecessary misunderstanding with the public.

Sd./ Thackersey."

This letter is written on 14th January to the Maharaj Shri.

३ म० प०

तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि यह जो इन्सीडेन्ट है यह कोई पोलिटिकल स्टंट नहीं है। जो कमेटी थी उसको इन्वेन्टरी नहीं बनाने दी उसका जो गवर्नमेंट एग्ज़ीक्यूटिव आॅफिसर था उसने कहा कि कल नहीं इन्वेन्टरी आज ही बन जानी चाहिए चाहे रात तक बैठ सकते हैं लेकिन महन्त जी ने उनके आॅर्डर देने के उपरान्त भी कहा कि नहीं, इन्वेन्टरी बाद में बनाई जायेगी। उसके बाद में १५ तारीख को इन्वेन्टरी बनाई। एग्ज़ीक्यूटिव आॅफिसर के बराबर रिक्वेस्ट करने के बाद में भी वह तैयार नहीं हुई। तो यह सारी चीजें महन्त श्री के पर्सनल करेक्टर के ऊपर रिफ्लेक्शन है। हो सकता है कि वह स्प्रिचुएली बड़े डवेलप होंगे लेकिन पैसे के लिए और ज्वेलरी के लिए he may not be

(श्री पी. के. चौधरी)

very worthy तो इसको पोलिटिकल स्टंट कहना या कोई माननीय सदस्यों ने इकोनॉमी स्टंट भी इसको कहा तो यह हमारी तो समझ में नहीं आता है और जैसा मावली से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा है कि १।। रुपया रोज़ मिलना चाहिए और इसके अलावा ब्रह्मसम्बन्ध दोनों के बीच में क्या सम्बन्ध है वह अपनी समझ नहीं आता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक इकोनॉमिक मैनेज़मेंट का अफेयर आप महन्तश्री से ले लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है। जो स्प्रिच्युएली वह पूजा करते हैं उसमें कहां खराबी आती है इसके लिए तो उनको खुशी होनी चाहिए कि स्प्रीचुएली वह और भी ज्यादा साऊंड होंगे जब कि उनके पास से इतने बड़े मैनेजमेंट का बोझ हट जाता है। जब यह काम उनसे ले लिया जाता है तो फिर स्प्रिच्युएली गाइडेन्स देने के अलावा तो उनके पास कोई काम नहीं रहेगा। जैसा कि गोपालगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि २० लाख रुपये का खर्चा होता है और उसका मैनेज़मेंट एक आदमी करता है। तो कोई सामान वह खरीदता है या उसका मैनेजमेंट करता है He has to worry a good deal about it. तो मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति हमें स्प्रिच्युअल गाइडेन्स देना चाहता है तो हम क्यों २० लाख रुपये का वर्ल्डली मैनेज़मेंट उसके हाथों में रखें ?

दूसरी बात कुछ मन्दिर महन्तश्री के कोई प्राइवेट थे, नवनीत प्रियाजी तथा श्री मदनमोहनलालजी का मन्दिर। यह प्राइवेट मन्दिर कुछ नहीं हैं। इस सम्बन्ध में एक झगड़ा पैदा हुआ था। इस झगड़े में पंच फैसला हुआ था वह जस्टिस कानिया के पास गया और उन्होंने यह फैसला दिया है :

नाथद्वारा की सम्पत्ति के सम्बन्ध में स्वर्गीय दामोदरलाल जी महाराज के समय १६३४ का दावा नम्बर २३ हुआ था जिसमें श्री चिमनलाल सेंथलवाड़ का १० अप्रेल १६४२ को हुए पंचफैसले पर जस्टिस कानिवा ने ता० ६ सितम्बर १६४२ को यह निर्णय दिया था :

यह न्यायालय उक्त पंचफैसले की संशोधित रूप में पुष्टि करता है और तद्नुसार यह घोषित करता है कि सारी चल और अचल सम्पत्ति तथा सारी समर्पित वस्तुएं और भेंटें जो दान अर्पण चढ़ावा या भेंट के तौर पर उदयपुर स्टेट में स्थित नाथद्वारा में श्री नाथजी को चढ़ाई गई हो या पूजा या सेवा के लिए अर्पित की गई हो, वह श्री नाथजी की मूर्ति की सम्पत्ति है और उक्त मूर्ति अथवा श्रीनाथजी जो प्रतिवादी मुद्दई हैं, जवाबी दावे में वे उसके मालिक हैं याने वहां जो कुछ भी चीज़ दी गई है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर नगर पूर्व) : On a point of information, Sir- What is the exact judgement of Justice Kanya and what is the date of that judgement, number etc. ?

श्री उपाध्यक्ष : Ordinarily, I would not have allowed any reference from a paper.

श्री पी० के० चौधरी : No, Sir, it is not from paper. It is an extract from the judgement and it is contained in the paper.

श्री उपाध्यक्ष : As to the contents

(श्री उपाध्यक्ष)

of the judgement how far the hon. Member is convinced that these are the actual contents of the judgement ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : The Hon. Member is not making any reference to the paper. He is quoting this judgement on his own.

श्री उपाध्यक्ष : मेरी दुविधा यह है कि जो जजमेन्ट आप पढ़ रहे हैं वह जज़मेन्ट एक अखबार में सन्निहित है या कैसे ?

श्री श्रीभानसिंह : That is half right. The Hon. Member is not citing the paper. He is not quoting it as from the paper. He is quoting the judgement on his own.

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : And he is also giving the number.

श्री पी० के० चौधरी : यह नाथद्वारा की सम्पत्ति के बारे में १६३४ का दावा नं. २३ हैं जिसमें श्री चिमनलाल सेंथलवाड़ का १० अप्रैल, १६४२ को हुए पंच फैसले पर जस्टिस कानिया ने ता० ८ सितम्बर, १६४२ को जज़मेंट दिया था ।

श्री महेन्द्रसिंह : Supreme Court judgement or what ?

श्री उपाध्यक्ष : This is Bombay High Court judgenent.

श्री पी. के. चौधरी : उसमें झगड़ा पैदा हुआ था कि ज़ो प्रॉपर्टी है उसमें महन्त श्री की कुछ प्राइवेट प्रोपर्टी होती थी। तो फैसला हुआ था कि श्रीनाथ जी को जो भेंट चढ़ती थी यह सारी की सारी श्रीनाथ की है, महन्त जी की नहीं हो सकती है। फिर मैं यह देखता हूँ कि जो भी भक्त आदमी मन्दिर में आता है वह महंतजी को नहीं देता है बल्कि श्रीनाथ को देता है। यह जो भेंट आता है वह कोई महन्तजी के लिए व्यक्तगत नहीं देता है। वहां जो लोग जाते हैं वह महन्तजी को श्रीनाथ जी का रिप्रेजेन्टेटिव मानकर देता है। Considering him as a represetative of Shrinath Ji. उनको कोई देता है तो दे सकता है इसलिए यह जो नवनीत प्रियाजी का मन्दिर और श्री मदनमोहनलाल जी के बारे में कहते हैं तो यह कोई उनके पिताश्री का या उनके पड़ पिताश्री का अपनी मेहनत से या कमाई से पैदा किया हुआ पैसा नहीं था बल्कि जो श्रीनाथजी को लोगों ने भेंट किया है उससे बनवाया हुआ है। एन्डोवमेंट के डेफिनेशन में जो श्रीनाथजी की प्रोपर्टी के साथ पर्सनल प्रोपर्टी को exclude करने का प्रोविज़न रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। अगर महन्तश्री काम करना छोड़ देते हैं तो उनकी जिन्दगी भर के लिए पेंशन का इन्तजाम कर दिया जाये। There should be no personal property of the Mahant Shri which is derived from the presentations. या जो भेंट लोगों ने दी है वह कोई पर्सनल प्रोपर्टी नहीं हो सकती है। इसलिए जो दो मन्दिरों को उसमें शरीक किया है और राज्य सरकार से उसके लिए सक्रिय आग्रह करता हूं कि जो उन्होंने एक्सक्ल्यूड किया है, पर्सनल प्रोपर्टी के नाम से उसके लिए मैं चाहूंगा कि वह न रखें। जैसे हमने राजाओं को काफी रुपया दिया है लाख और दो लाख उनको दिया है। तो जैसे मन्दिर की २० लाख की आमदनी थी तो आप उनको १५ या २० हजार रुपये का

(श्री पी. के. चौधरी)

पेन्शन सालाना का बांध दो, इससे ज्यादा किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए।

तो उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं देखता हूं कि इस बिल को पास नहीं करने के लिए या इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में देने के लिए जो कई आँर्ग्युमेंट्स दिये हैं, वह आँर्ग्युमेंट्स नहीं है। अतः हम कहेंगे कि सिलेक्ट कमेटी को यह नहीं देना चाहिए बल्कि सारे के सारे आँर्ग्युमेंट्स इस बिल को जल्दी से जल्दी पास करने के लिए हैं और मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि उसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं देकर जल्दी से जल्दी उसको पास किया जाये। दूसरी बात जो पब्लिक ओपीनियन के लिए कही गई कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजना चाहिए..

श्री उपाध्यक्ष : This question is not before us.

श्री पी. के. चौधरी : I am just making a reference. जो माननीय सदस्य पब्लिक ओपिनियन के लिये कहते हैं उन्होंने पब्लिक ओपिनियन के लिये प्रस्ताव पेश नहीं किया। इससे पता चलता है कि उनके खुद के दिमाग में यह बात साफ नहीं है। एक आँर्ग्युमेंट पेश कर दिया कि पब्लिक ओपिनियन के लिये जाना चाहिये। पब्लिक ओपिनियन आज नहीं आज से १० साल पहले बन चुकी है कि जितने रिलीजियस एन्डोवमेंट्स हैं वे सारे गवर्नमेंट के पास होने चाहिये। 'महन्त' शब्द आज एक प्रोवर्ब बन गया है। आज-कल लोग यह कहते हैं कि फलां आदमी कांग्रेस का महन्त बन गया है (हंसी) और फलां आदमी फलां का महन्त बन गया है This word 'Mahant' has got a bad connotation because of the behaviour of most of these Mahants.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कांग्रेस का नाम खराब हो गया। The worst is that of Congress

श्री पी. के. चौधरी : Worst type is that of Jan Sangh. कॉम्युनल टाइप के महन्त सबसे ज्यादा वर्स्ट है। कांग्रेस तो सेक्युलर टाइप की संस्था है इसमें इनका सवाल नहीं है लेकिन जो रिलीजियस टाइप की संस्थाएं हैं इसका ओरिजन उनमें हुआ है, Mahant has got such a bad connotation that it has fallen in public opinion.

लोगों की राय है इस बात के लिये कि स्प्रिच्युअल हैड्स जो हैं उनको वर्डली अफेयर्स से दूर रखा जाय क्योंकि उनको यदि टेम्प्टेशन देते हैं तो टेम्प्ट हो जाते हैं। अगर उनको वर्डली टेम्पटेशन से हटा देंगे तो उनकी जो स्प्रिच्युअल ड्यूटीज़ हैं उनको ज्यादा अच्छी तरह से फंक्शन कर सकेंगे। यह आज ही नहीं बल्कि पुराने ज़माने में भी उनको टेम्प्टेशन देते थे। हम पुरानों में पढ़ते हैं कि इन लोगों की तपस्या भंग करने के लिये क्या क्या करते थे, अपसराओं को भेजते थे, नाच गान के लिये....

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : On a point of information. Does the Hon. Member mean a female officer ?

श्री उपाध्यक्ष : आपका मतलब 'अप्सरा' से है बंगाली में 'अपसरी' हो गया।

श्री पी० के० चौधरी : पुराणों में हम देखते हैं कि जो स्प्रिच्युअल सेन्ट बनना चाहते थे उनको डेवियेट करना चाहते थे, गिराना चाहते थे और इसके लिये मेटीरियल टेम्प्टेशन देना चाहते थे। पुराने ज़माने में रुपयों पैसों का टेम्प्टेशन नहीं था, अप्सराओं वगैरह का नाच करा देते थे। यह भी मेटीरियल प्रलोभन है। रिलीजियस लीडर....

श्री मदनसिंह : यह बात आप सन्यासियों की कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री पी० के० चौधरी : माननीय सदस्यों ने विरोध किया है, इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने को कहा है, उनके खुद के आॅग्युमेंट्स खिलाफ में जाते हैं स्प्रिच्युअल हैड्स को गिराना चाहते हैं। सरकार और हम लोग...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : बदकिस्मती से आप तो सरकार में नहीं हैं।

श्री पी० के० चौधरी : जो टेम्प्टेशन है उसको दूर करना चाहते हैं इसलिये जितने आॅग्युमेंट्स है माननीय सदस्यों ने विरोध किया या सिलेक्ट कमेटी में देने का कहा उन सारे आॅग्युमेंट्स का कन्क्लुजन यह है कि यह पास होना चाहिये और महन्तसाहब को खाली ब्रह्म का टिकट देना चाहिये।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर नगर, पूर्व): श्रीमान्, सदन के सामने जो मूल प्रस्ताव प्रस्तुत है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, कुछ सदस्यों ने उसमें संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसे विचारार्थ नहीं लेकर प्रवर समिति को भेजा जाय। मूल प्रस्ताव और संशोधन दोनों पर बहस एक साथ हो रही है, अतः मैं संशोधन पर विचार नहीं करके मूल प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

जिस प्रकार की बहस इस सदन में हो रही है उससे पता चलता है कि कई धार्मिक संस्थाओं के संबंध में बुनियादी मामले पर इधर की राय भी है और उधर की राय भी है और काफी आॅग्यूमेंट्स दिये हैं। कुछ सदस्यों ने कहा कि इस मंदिर के इन्तज़ाम में सरकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने इसके विरोध में यहां तक विचार प्रकट किये कि एक जमाना वह भी आनेवाला है कि तमाम मंदिरों का इन्तज़ाम सरकार के हाथ में हो और महन्तों के ऊपर नियंत्रण हो, इस प्रकार के विचार भी आये। दोनों ही तरह की बातें आ सकती हैं। एक दृष्टि से एक का दृष्टिकोण ठीक हो सकता है और दूसरी दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार का असीम हस्तक्षेप कॉम्युनिस्ट देश की परम्परा हो सकती है लेकिन जनतांत्रिक देश में जहां अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार उपासना का बुनियादी सिद्धान्त माना है वहां यह कदम ठीक नहीं माना जायेगा। मैं कोई धार्मिक मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूँ लेकिन केवल इतना ही कहूंगा कि दोनों पक्षों की ओर से अच्छे आॅग्यूमेंट्स या दलीलें दी जा सकती हैं और मैं विशेष रूप से इसलिये इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि हस्तक्षेप करना सरकार का अधिकार होता है और वह एक सीमा तक होता है। सीमा के बाहर राज्य सरकार को जनतांत्रिक परम्परा में असीम अधिकार नहीं होता। वे अधिकार किस सीमा तक हैं यह सोचना कभी कभी भारी हो जाता है। मैं एक

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

मोटी मिसाल दे सकता हूं। यदि मेरा पड़ोसी अपने लड़के को पीटे तो आम तौर से मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन यदि एक पिता अपने पुत्र का मर्डर या वध करता है तो मेरा यह फर्ज हो जाता है कि मैं इसमें हस्तक्षेप करूं क्योंकि हमारे देश के विधान के अनुसार एक पिता का पुत्र को चपत लगाना जुर्म नहीं है लेकिन किसी का मर्डर करना जुर्म है। दूसरी मिसाल के तौर पर यदि मैं अपनी आमदनी के कारण खराब कपड़ा पहिनता हूँ तो मुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। लेकिन यदि मैं बाहर बिना कपड़े नंगा फिरूं तो आपके पुलिस के सिपाही मुझे पकड़ सकते हैं। यह सीमा का मामला है मैं इस पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता क्योंकि देश के विद्वानों ने काफी बहस करके संविधान में सीमा निश्चित करली है कि किस कदर का धार्मिक हस्तक्षेप कर सकते हैं। यह कोई साधारण नागरिकों का मत नहीं है बल्कि विधान सभा के सदस्यों ने इसका उल्लेख कर दिया है। लेकिन यह एक विचित्र बात है कि हमारे देश में जहां दूसरों के अधिकार की सीमा दिखलाते है वहां अपने अधिकारों की सीमा लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिये मैं ज्यादा दलील में नहीं पड़ता हुआ सदन का ध्यान संविधान की धारा २६ की ओर दिलाऊंगा। मैं इसको अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं।

"Subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right :—

(a) to establish and maintain institutions for relirious and charitable purposes;

(b) to manage its own affairs in matters of religion;

(c) to own and acquire moveable and immoveable property, and

(d) to administer such property in accordance with law."

So it is subject only to public order, morality and health.....

ये बुनियादी अधिकार हमारे यहां के किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दिये हैं बल्कि धार्मिक सम्प्रदायों को दिये है। रिलीजियस सेन्टिमेन्ट्स के बारे में सम्प्रदायों उप-सम्प्रदायों को अधिकार है कि अपने विचार के अनुसार अपने इन्स्टिट्यूशन्स को स्थापित करे, प्रबन्ध करें और इन इन्स्टिट्यूशन्स की प्रोपर्टी को एक्वायर करे, होल्ड करे, कायम करे और उस प्रोपर्टी का इन्तज़ाम करे। कानून के अनुसार इसमें तीन चार बंदिश रखी हैं उसके बावजूद अधिकार की एक चीज़ यह है :

"subject to morality and health." आप अपने इस अधिकार के अनुसार कोई भी धार्मिक सम्प्रदाय यह नहीं कह सकता कि हम मंदिर में पूजा के समय ऐसा द्रव्य जलायेंगे जिससे सारे पड़ोस में दुर्गन्ध फैल कर मरी और तपेदिक की बीमारी फैले या पब्लिक हैल्थ में इन्टरफीयर करते हैं तो उस पर अंकुश लगता है अन्यथा नहीं। मोरेलिटी पर कोई असर पड़ता हो तो उसमें भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। कपड़े पहनना किसी धार्मिक परम्परा के खिलाफ है लेकिन यदि आप नग्न घूमना शुरू करें, आम तौर से तो आम लोगों पर उसका असर पड़ता है तो

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं और इसी प्रकार यदि आप कहें कि धार्मिक जलूस निकालेंगे जिसमें लाठियें चलायेंगे तो आप ऐसा जलूस नहीं निकाल सकते। मगर इन तीन चीज़ों के अलावा बाद में जितना क्षेत्र है, वह बुनियादी अधिकार का क्षेत्र है, उसमें न केन्द्रीय सरकार और न राज्य सरकार का अधिकार है कि वह किसी प्रकार का हस्तक्षेप करे।

एक तीसरी चीज आखिरी क्लॉज़ में है, वह यह है to administer such property in accordance with law. इसका ऐसा अर्थ भी निकाला जा सकता है कि प्रोपर्टी के इन्तज़ाम का जहां तक प्रश्न है, उसके लिए कानून बन सकता है। मगर इसका अर्थ जो न्यायालयों ने निकाला है, वह यह नहीं है, वह इतना मात्र है कि प्रोपर्टी का प्रबन्ध किसी प्रकार का हो, उस प्रबन्ध को नहीं छेड़ सकते, प्रबन्ध किस प्रकार से हो, इसके लिए लॉ बना सकते है इसे राज्य सरकार के अधिकार की सीमा के बाहर माना गया है। मैं समझता हूं कि हम धार्मिक दृष्टि से बुनियादी चीज़ों पर जहां बहस करें वहां इन सारी चीज़ों को छोड़ कर जो हमारे देश का संविधान है, उसमें देखें कि कानून बनाने के अधिकार की सीमा क्या है, कानून बनाने का क्या सिद्धान्त है, उसमें जो बुनियादी अधिकार दिये गये हैं, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस पर बहस करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि बहस के दौरान में एक एतराज़ उठाया गया कि इस प्रकार के कानून बना देने से पक्षपात होगा क्योंकि एक धार्मिक संस्था के लिए आप कानून बना रहे हैं, आपको दरगाह के लिए भी कानून बनाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने उसका उचित जवाब दिया था कि दरगाह के लिए केन्द्र का कानून बना हुआ है। इस प्रकार का इस सदन में जवाब दिया गया। सदन के सदस्यों को ज्ञात नहीं है, मैं बता दूं कि दरगाह के लिए एक कानून १९५५ में दरगाह शरीफ एक्ट के नाम से पार्लियामेन्ट ने पास किया था। दरगाह शरीफ के खादिमों ने राजस्थान के उच्च न्यायालय में रिट पेश की थी। वह रिट मैंने व मेरे साथी वकील ने लड़ी। उसका अभी जनवरी २८ को फैसला किया गया है और उसमें रद्द कर दिया है कानून को। यह मान लिया गया है कि पार्लियामेन्ट को अधिकार नहीं है, धार्मिक संस्थान के कार्य में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उस चीज को जरूर सोच लेना चाहिए, इस दृष्टि से कि हमारी वास्तविक संवैधानिक सीमा है, उस सीमा तक हम धार्मिक संस्थान पर नियंत्रण करें। इस चीज पर विचार करके चलें तो कोई हर्ज की बात नहीं है। जिस रूप में विधेयक प्रस्तुत है, उसको आप ऐसा ही पास कर दीजिये तो कोई भी संस्था इसके खिलाफ लड़ेगी और यह बुनियाद से उड़ जायगा, इसमें कोई तथ्य नहीं है। मैं तो यहां तक महसूस करता हूँ कि इस बुनियादी अधिकार के रहते हुए भी इस बहस के बीच इस चीज का ज़िक्र न होना यह बताता है कि बुनियादी अधिकार किस सीमा तक स्वीकार किये हुए हैं, यह ज्ञात नहीं है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, अभी जो दरगाह शरीफ एक्ट के बारे में राजस्थान हाई कोर्ट का २८ जनवरी को फैसला हुआ है, उस दृष्टि से सोचें। ऐसा न हो कि हम इतनी बात जानते हुए भी एक

(श्री महेन्द्रसिंह पंवार)

मखौल की चीजें पैदा करें। मैं तो बड़ी भावना के साथ कहता हूँ कि यहां एक फिलोसफी के आधार पर, राजनैतिक विचार धाराओं के आधार पर इस चीज को जस्टीफाइ करें, इस चीज का समर्थन करें, तो यह केवल कोई फिलोसफर बनना मात्र नहीं है, बल्कि संविधान का निरादर करना मात्र है, संविधान की अनभिज्ञता भी संविधान का अनादर है। एक मुसलमान कलमा नहीं जानता है तो उसे बड़ी हिकारत की नजर से देखा जाता है। हम सिक्युलर लोगों के लिए, विधान सभा के सदस्यों के लिए संविधान एक धार्मिक पुस्तक है, सिक्युलर स्टेट बुक हमारी यह है। इसकी बात न जानना एक गुनाह है। इसका ज्ञान न हो एक बात है और जान बूझ कर इसका निरादर एक बड़ी चीज होगी। मैं नम्रता के साथ एक सुझाव माननीय मंत्री जी को देना चाहता हूं, शायद इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है, आप इस पर गौर कीजिये। जहां तक मैं समझा हूं, वह मैं कहता हूं मैंने इस आर्टीकल का अध्ययन किया है, दरगाह शरीफ के बारे में रिट लड़ी है, उस पर सात आठ दिन तक बहस चली थी, यह हाल ही की बात है, मैं इसे भूला नहीं हूं, वह बहस आज भी याद है। उसी आधार पर मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत है यह ऊपर से नीचे तक अल्ट्रा वायर्स है। इन शब्दों के साथ में विधेयक का विरोध करता हूं इसको विचारार्थ भी नहीं लेना चाहिए।

(करतल–ध्वनि)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न दूसरा हो गया है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा, मेरी समझ में नहीं आया कि उन्होंने सुझाव रखा या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्शन किया ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I have opposed the whole Bill.

श्री श्रीभानसिंह : You have placed a constitutional point before us.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I have opposed the whole Bill.

श्री श्रीभानसिंह : Now the issue for decision is different. Whether it is the right of the State Government, whether it is within the competence of this House to by-pass the provisions of the Constitution. It is a relevant constitutional point and we must seek the opinion of the Advocate General regarding this Article of the Constitution, and the legislation that we are bringing with reference to the Article of the Constitution.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : माननीय सदस्य ने जो सजेशन रखा है, अभी बहस के दरम्यान में, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संविधान की धारा के अन्दर यह भी बताया है कि अगर किसी प्रकार की अनैतिकता होती है तो ऐसी हालत के अन्दर सरकार कुछ न कुछ कानून बना सकती है। इस मन्दिर में अनैतिकता बहुत कुछ हुई है....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अब कहां है ?

श्री मुरलीधर व्यास : अगर मिस्मैने-

Page No.87

(श्री मुरलीधर व्यास)

ज़मेंट हुआ है, यह भी एक अनैतिकता है इस प्रकार से....

श्री पी. के. चौधरी: मिसमैनेजमेंट है।

श्री रामचन्द्र (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : पहले इस इश्यु पर डिसीज़न हो जाय तो आगे दिक्कत नहीं होगी। अगर इस बिल को पास कर लेंगे और बाद में हाई कोर्ट में अल्ट्रा वायर्स हो जाय तो ठीक नहीं होगा। इसलिए जो श्री श्रीभानसिंह जी ने एतराज़ उठाया है....

श्री श्रीभानसिंह : उठाया उन्होंने है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस पर अगर एडवोकेट जनरल से राय ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री श्रीभानसिंह : I have only sought clarification. It is a suggestion from another Hon. Member.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Minister will please clarify.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार का कानून बनाने के लिये हाउस कॉम्पीटेंट नहीं है। हाउस इस प्रकार का कानून बना सकता है, हाउस कॉम्पीटेन्ट है। उनके कहने का मतलब यह है कि संविधान में रेस्ट्रिक्शन लगाये हुए हैं, जिनको ध्यान में रख कर लेजिस्लेशन बनाया जा सकता है। इसके क्लॉजेज़ पर इसका असर पड़ सकता है। बाज़ क्लॉज़ ऐसा हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अल्ट्रा वायर्स हो सकता है। लेकिन जहां तक कॉम्पीटेन्सी का प्रश्न है, हाउस कानून बना सकता है। इसके अन्दर आपत्ति नहीं हो सकती है।

श्री श्रीभानसिंह : By-passing the Constitution ?

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no question of by-passing the Constitution. आप किसी क्लॉज़ के लिए ऐसा कह सकते हैं। यह क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पास करेंगे, तब देख लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : At the present moment the Hon. Member cannot point out to the clause. He has to point out to the whole Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास : He cannot take a general objection. That the House will not accept.

श्री श्रीभानसिंह : Certainly yes. On the basis of that clause the Hon. Member can take objection to the whole Bill.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is your interpretation. This is not the intention of the Hon. Member. He only says that certain provisions of this Bill will be ultra vires.

श्री महेन्द्रसिंह : I am clarifying. The Bill, as drafted, is erroneous.

श्री दामोदरलाल व्यास : Am I to understand, Sir, that from clauses 1

(श्री दामोदरलाल व्यास)

to 27 the whole Bill is ultra-vires. ? There may be some clauses in the Bill which may be ultra-vires but not the whole Bill.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : No, but these provisions strike at the very root of the Bill. For instance the definition of 'endowments' and the clause about appointments, both are fundamental and strike at the roots of the Bill. If they are declared ultra—vires. . . .

श्री दामोदरलाल व्यास : They may strike fundamentally. The position is that some clauses may be ultravires, but not the whole Bill.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : दरगाह शरीफ एक्ट में, श्रीमान्, एन्डोमेंट की डेफीनिशन थी, वह कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ थी। Then the entire Act goes. उसको अल्ट्रा वायर्स कर दिया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं नहीं समझ सका कि आप क्या चीज़ चैलेंज़ करते हैं। क्या यह हाउस यह बिल पास नहीं कर सकता ?

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): नहीं कर सकता।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके कहने का मतलब है कि हाउस कानून बना सकता है। लेकिन जो प्रोविज़न ऐसे हों जो कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच करते हों, उनको नहीं रखना चाहिए। जब क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जायगा, तब एतराज़ कर सकते हैं।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : संविधान के अनुसार प्रत्येक सम्प्रदाय को अपनी संस्थाओं की व्यवस्था करने का अधिकार है। मन्दिर की व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को चलाने का अधिकार सम्प्रदाय को है। इस बिल के द्वारा, हम संविधान के द्वारा उन्हें दिये गये अधिकार को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। इसके उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में है कि उदयपुर ज़िले में नाथद्वारा स्थितश्री श्रीनाथ जी के मन्दिर का प्रबन्ध समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है। हम सीधे प्रबन्ध पर अटैक करके उसके प्रबन्ध को छीन रहे हैं, व्यवस्था को छीन रहे हैं। सम्प्रदाय के कार्य के अन्दर हस्तक्षेप करके सरकार प्रबन्ध ले रही है। इस बिल के उद्देश्यों से ऐसा दिखाई देता है कि संविधान की भावना के विरुद्ध हम जा रहे हैं। इसलिए अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अगर एतराज़ नहीं उठाया है, तो उद्देश्य के अन्दर ऐसा है, इसलिए एडवोकेट जनरल की राय लेना उचित है। इसके बिना बढ़ने में जो कुछ भी खर्चा होगा, वह अनावश्यक खर्चा होगा।

श्री आबिदअली (सवाई माधोपुर) : इस बिल के सम्बन्ध में जो आपत्ति उठाई गई है····

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे यह अर्ज करना है कि इसको लेकर डिस्कशन शुरू कर देते हैं, तो वह ठीक नहीं है। माननीय सदस्य, जब मैंने मोशन मूव किया था, उस समय ऑब्जेक्शन रेज़ कर देते। इस समय बहस हो रही है, he is only discussing on the first motion which I have moved.

Page No.89

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कॉन्स्टिट्यूशनल बात उसी समय ली जानी चाहिए थी जब मैंने मोशन मूव किया था। इस वक्त side-issue को लेकर बहस करना तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आप पहले फैसला फर्मा देवें। उनका क्लॉजेज़ पर एतराज़ हो सकता है, कुछ क्लॉजेज़ अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हो सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब क्लॉजेज़ लिये जाय, उस वक्त फैसला हो जायगा कि वे अल्ट्रा वायर्स हैं या नहीं। उनका कहना यह नहीं है कि इस प्रकार के मन्दिर और इन्स्टिटयूशन्स के मैनेज़मेंट के लिये कानून विधान सभा नहीं बना सकती। इस बात को तो वे मानते ही हैं कि विधान सभा ऐसा कानून बना सकती है। subject to certain restrictions contained in the Constitution. कॉन्स्टिट्युशन से जो अधिकार हैं, जो राइट्स दिये हुए हैं, उनको यदि इस बिल की कोई धारा Contravene करती है तो जिस समय क्लॉज़ बाई क्लॉज इस बिल पर विचार किया जाय उस समय उस पर विचार किया जा सकता है। पर मैं नहीं समझता कि इस वक्त यह बहस क्यों खड़ी हो गई है। इस स्टेज पर इस तरह की बहस खड़ी हो जाय, मेरे खयाल से यह उपयुक्त समय नहीं है।

क्लॉज़ बाई क्लॉज़ इस बिल पर विचार करते समय जिस क्लॉज़ पर आपको इस तरह की आपत्ति हो तो आप आपत्ति उठाइये और यदि एडवोकेट जनरल को सुनना आवश्यक हो तो एडवोकेट जनरल को बुला लिया जायगा, पर ऐसा कानून राजस्थान विधान सभा बना ही नहीं सकती, ऐसी तो माननीय सदस्य की भी मंशा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it your objection that the House has not the legislative competence to enact this law, or your objection is pertaining to certain clauses ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : My suggestion is that this Act is so inseparably inter-mixed with the spiritual and secular matters that unless it is very technicallv investigated again, the Bill as a whole will fall.

श्री दामोदरलाल व्यास : You are not challenging the legislative competence of this House ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Only one Board has been appointed according to the scheme enunciated by this Bill. There is only one Board and no distinction has been made in the spiritual and secular functions. They have all been inter-mixed.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon. Member should say straightway whether he is challenging the competence of this House to legislate or not.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : I would only like to say from a legal point of view and would like to suggest that the Bill as it is, the clauses about 'endowment' and 'incorporation are not...

श्री उपाध्यक्ष : I want to know

(श्री उपाध्यक्ष)

whether you are at all challenging the legislative competence of the House or not You are against the legislative competence.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : Yes Sir.

श्री आबिदअली : अब प्रश्न यह सामने है...

श्री दामोदरलाल व्यास : अजमेर के माननीय सदस्य ने जो भाषण दिया, उसमें कभी नहीं कहा कि आप राजस्थान विधान सभा की इस प्रकार की लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्सी को चेलेंज करते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : मैंने कहा था कि हमारे अधिकार क्षेत्र को तो देखें।

श्री दामोदरलाल व्यास : महज़ यह कह देना लेजिस्लेटिव कॉम्पीटेन्स....

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं इस तरह तो बैठने वाला नहीं हूं...

I have to carry out this Bill.

आपको किसी क्लॉज़ से आपत्ति है, मैं तो यहां तक कहता हूँ कि इसकी ३८ क्लॉजेज़ में से ३७ में आपको आपत्ति है, ३७ अल्ट्रावायर्स हैं, तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं। पर यह हाउस रिलीजियस इन्स्टिट्यूशन्स के सम्बन्ध में कॉन्स्टिट्यूशन के माफिक इस तरह का कानून बना ही नहीं सकता है। आप कहते हैं कि बना सकता है पर रेस्ट्रिक्शन्स को मानना पड़ेगा, तो फिर यह कहें कि हाउस कॉम्पीटेन्ट नहीं हैं, इस प्रकार का कानून बनाने में।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : क्लॉज़ ४ है वह कन्स्टिट्यूशन द्वारा दिये गये अधिकारों के खिलाफ है, क्लॉज़ ४ आपके इस बिल की उड़ जाती है तो इसके बिना फिर इस बिल में कुछ नहीं रहता।

श्री दामोदरलाल व्यास : पर आप कॉम्पीटेन्स को कहां चेलेंज़ करते हैं।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : ऐसा तो लॉ का प्रिंसिपल है, मन्त्री महोदय को मालूम होगा that those who have a right to do a thing have also a right to do it wrongly.

श्री उपाध्यक्ष : I allow the debate to go on till I consider the issue itself.

श्री रामचन्द्र (डग सु०) : माननीय उपाध्यक्ष, आज सदन के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बिल पेश हुआ है, उसके ऊपर संशोधन पेश किया गया है, वह यह है कि आया इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कर दिया जाय या प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस गरज से, जिस बीमारी को दूर करने के लिये यह बिल सदन के सामने रखा गया है, वह बहुत पुरानी है जो राजस्थान बनने से पहले इस मन्दिर से सम्बन्धित थी, उसको दूर करने के लिये यह बिल सदन के सामने रखा गया है।

इसलिये जिस बीमारी की वज़ह से यह

(श्री रामचन्द्र)

बिल लाया गया है उस बीमारी को और ज्यादा घर में बनाये रखना उचित नहीं। इसलिये मेरी राय है कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पारित किया जाय ताकि नाथद्वारा टेम्पल के बारे में आज तक जो बुराइयां होती रही हैं और सुनी जा रही हैं, वे दूर हो जायं।

वैधानिक रूप से इस बिल के रास्ते में कोई रुकावट नहीं। इस मन्दिर के सम्बन्ध में जो जागीर थी वह तो जागीर पुर्नग्रहण कानून के मातहत ही जब्त हो गई। अभी कुछ समय पहले सरकार ने घोषणा की थी कि १० हजार से अधिक आय वाले मन्दिर हैं, उन्हें जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के अनुसार भी पुनर्ग्रहण कर लिया तो जो वैधानिक रुकावट थी, वह दूर हो गई। इसके साथ सदन ने बिल पास कर दिया था कि यदि किसी धार्मिक संस्था का पुजारी प्रबन्धक चाल चलन के लिहाज़ से ठीक नहीं हो और प्रबन्ध ठीक तरह से नहीं कर सकता है तो ऐसे मंदिर, ऐसी संस्था का प्रबन्ध सरकार अपने हाथ में लेले। इस नियम के अनुसार श्री नाथद्वारा की संस्था का प्रबन्ध किया जा रहा है, उसके प्रबन्ध करने में रुकावट नहीं है। जब इस बिल के रास्ते में रुकावट नहीं है, कोई वैधानिक रुकावट नहीं है तो जल्दी से जल्दी इसे पारित करने में अब विलम्ब नहीं करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जब कि यह बात सुनी जा रही थी कि राजस्थान विधान सभा में नाथद्वारा मन्दिर के प्रबन्ध के बारे में एक महत्वपूर्ण बिल आने वाला है और वास्तव में मेरे पास इसकी कॉपी आई और मैंने इसे पढ़ा तो मेरे विचार जो इस बिल के आने से पहले थे, वे एक दम से उलट गये। मैं तो यह विचार कर रहा था कि नाथद्वारे का टेम्पल जो राजस्थान का एक बहुत बड़ा धार्मिक मन्दिर माना जाता है और जो हरिजनों को इनके दर्शन करने में जाने के लिये रुकावट थी, वह हट जावेगी और इस विधेयक के द्वारा जल्दी दूर हो जावेगी। मगर इस बिल के ड्राफटिंग को इतना संकुचित और ऐसा बना दिया है कि इसकी Sectarian स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ सरकार की यह नीति है कि हरिजनों के लिये तमाम मन्दिर खोल दिये जावें और उसके लिये सरकार प्रयत्न कर रही है तो जहां खोल देने की बात के लिये तो प्रयत्न करती है और जब मन्दिर के लिये एक प्रावधान की बात आती हैं तो सरकार ऐसा रखती है कि हरिजनों के लिये भगवान के दर्शनों की थोड़ी बहुत जो भी गुंजाइश थी, बन्द कर दी जावे।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कौन से रूल्स से बन्द हो जावेंगे।

श्री रामचन्द्र : इस बिल की एक–एक धारा को आप पढ़िये और समझेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसमें वे पुष्टिमार्गी, पुष्टि मार्ग की आवाज़ लगाते है। भक्त होगा वह पुष्टिमार्गी...

श्री दामोदरलाल व्यास : क्या हरिजन पुष्टिमार्गी नहीं होगा ?

श्री रामचन्द्र : इसके साथ–साथ मैं यह निवेदन करूंगा मेरे सुनने में आया है कि वे ब्रह्म सम्बन्ध को मानते है। यह एक ऐसी संस्था है, जो ब्रह्म सम्बन्ध को मानते

(श्री रामचन्द्र)

हैं, जो ऐसी चीज़ है कि इसको ग्रहण करने के बाद हरिजन और सवरण में जो अब तक खाई पड़ी थी वह ब्रह्म समर्पण लेने के बाद, उसके बच्चों में, औरत में और भाई आदि में खाई पैदा कर देता है और वह अपनी औरत, बच्चों और भाई को छूने से परहेज़ करता है और उनको इस तरह से समझता है मानो वे हरिजन हों। इस तरह के विचार है, आज उन विचारों को Sectarian रूप में रखना चाहते...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि इसमें कहां इस बात का जिक्र है, जिससे हरिजन दर्शन नहीं कर सकते।

श्री रामचन्द्र : मेरा आपसे यह निवेदन है कि सारे बिल को पढ़ने के बाद Spirit of the Bill आपको मालूम होगी। क्लाज़ की बात मैं नहीं कहता हूँ मगर जो भी इस बिल को पढ़ेगा वह इसका यही मतलब लेगा। इसलिए मैं यह कहूँगा कि आप कानून बना कर हरिजनों के खिलाफ हमेशा के लिये रुकावट पैदा करते हैं। आपका यह कानून संविधान की बिल्कुल अवहेलना करता है संविधान में हरिजनों को भगवान के दर्शन करने की आज्ञा दी है, आज इस बिल से उसकी अवहेलना हो रही है। इसलिये मैं सदन के महानुभावों से यही निवेदन करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी पारित करने में तो आप रुकावट न करें बल्कि अपनी तरफ से ऐसे ऐसे संशोधन और नई क्लॉजेज़ जोड़ कर इसको अधिक लिबरल बनावें ताकि सभी लोगों को भगवान के दर्शनों का मौका मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० बहादुरसिंह।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं इस प्रस्ताव का कि इसको सिलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) के पास भेजा जावे, विरोध करता हूं। मैं यह कहूंगा कि यह प्रस्तावित बिल जो उपस्थित हुआ है वह काफी विलम्ब से हुआ है शायद यह बिल आज से काफी समय पहले आया होता तो नाथद्वारे का इतना बड़ा कान्ड नहीं होता। क्योंकि वहां कि जो अव्यवस्था है और जो कुछ भी हुआ है उसके कारण आज काफी बदनामी राजस्थान में और दूसरे स्थानों पर हुई है और आज लाखों रुपयों की सम्पत्ति को किस प्रकार से इधर उधर ले जाया गया, जिसके कारण यह सारा तूफान खड़ा हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष, बहुत से लोग यह कहते हैं कि यह गोस्वामी जी की संपत्ति है उस पर बोर्ड का अधिकार नहीं होगा। अगर महन्तजी नाथद्वारे के महन्त नहीं होते तो मैं यह कहता हूं कि यह सम्पत्ति उनकी निजी सम्पत्ति नहीं होती। इसलिये यह है कि जो भगत लोग नाथद्वारा में चढ़ावा चढ़ाते हैं वे महन्तजी को इसलिये चढ़ाते हैं कि वे नाथद्वारा के महन्त हैं। मैं इस सम्बन्ध में संशोधन भी पेश करूंगा कि स्वामी जी की जो सम्पत्ति का क्लॉज़ है उसको काट देना चाहिये। बोर्ड का सारी सम्पत्ति पर पूरा अधिकार रहना चाहिये और जिस समय बोर्ड समाप्त हो तो उस कमेटी का अधिकार रहना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। इसलिये मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यह एक बहुत अच्छा बिल है और इसके लिये मैं खास तौर से राजस्व मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अध्यादेश जारी करके बहुत ही अच्छा काम किया है। यदि यह

(डॉ० बहादुरसिंह)

बिल पहले ही ले लिया होता तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि यह जो बड़ी भारी घटना हुई है, नहीं होती क्योंकि महन्त बहुत होशियार आदमी है। उनके लोग जानते हैं कि लाखों रुपयों की लिस्ट की एन्ट्री नहीं है और जिन लोगों की धार्मिक भावना होती है वे अपनी सारी संपत्ति को श्री महन्तजी के अर्पण करते हैं और यह सारे लोग जानते हैं कि उन महन्तों का किस प्रकार का व्यवहार है और किस प्रकार का उनका आचरण है। उसके बारे में मैं यहां कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मगर इतना जरूर कहूँगा कि इससे हिन्दू समाज को जरूर कलंक लगता है। लोग आज कहते हैं कि इस प्रकार के महन्तजी नाथद्वारा के हैं। इस सम्प्रदाय में इस प्रकार के लोग हैं किस तरह से इस सम्प्रदाय में आए। हमारे पूर्वजों ने ऋषियों ने सोच समझ कर एक संप्रदाय चलाया था और आज उसको ये लोग ऐश और आराम में उन पूर्वजों की सारी बातों को भूल गये हैं और सुख और सुविधा में रहना प्रारंभ कर दिया है। कुछ सदस्यों ने यह भी बताया कि वहां पर एक आदमी को १।। रुपया माहवार मिलता है और कुछ नाज मिलता है। उसके लिये मैं यह कहूँगा कि वहां पर इस प्रकार का जीवन तो लोग यह सोच कर प्राय: बिताया करते थे कि हम अपनी सेवा ठाकुरजी के अर्पण करते हैं। लेकिन जहां तक लोगों के वेतन का सवाल है, मैं यह कहूंगा कि उन लोगों को १।। रुपया रोज मिलना चाहिये क्योंकि जितने भी लोग वहां पर काम करते हैं उनको निश्चित वेतन मिलना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : वहां पर ६ हज़ार लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बहुत आगे बढ़ गये हैं। प्रवर समिति का सीधा सा प्रश्न है।

डॉ० बहादुरसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि अब इस बिल को टालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑर्डिनेन्स की वजह से सारी सम्पत्ति कर कब्जा कर लिया है। कब्जा कर लिया है उसको स्वीकृत करना चाहिये।

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : On a Point of information Sir,...

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझ से पूछिये, क्या आपका पॉइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन है ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : चरित्र के लिये कहा जाता है तो इसके लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि बिना मालूम किये हुए आप कैसे कह सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया। अब चरित्र के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहा जावे।

डॉ० बहादुरसिंह : व्यवस्था के बारे में शिकायत थी उसको दूर करने के लिये सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और उसके अन्तर्गत एडमिनिस्ट्रेटर ने चार्ज भी ले लिया है और उसकी पुष्टि करने के लिये यह बिल आया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि मंदिरों की प्रोपर्टी बर्बाद न हो और निश्चित रूप से उसको रोका जाय, अगर आप यह चाहते हैं कि लाखों रुपयों की सम्पत्ति सुरक्षित रहे, यदि आप चाहते हैं कि लोगों की जो भावना मंदिरों के प्रति है अच्छी तरह से बनी रहे तो आपको इस बिल को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिये। यदि आप यह चाहते हैं कि

(डॉ० बहादुरसिंह)

मंदिर बर्बाद हों, लोग दुर्भावना रखते रहें, तो रिजेक्ट कर दीजिये । मैं तो यह समझता हूँ कि प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव है उसको अस्वीकार किया जाना चाहिये और बिल के ऊपर क्लॉज़ बाई क्लॉज़ विचार किया जाना चाहिये ।

श्री आबिद अली (सवाई माधोपुर) : Sir, I want to know whether the objection raised by the Hon. Member from Ajmer has been disposed of.

श्री उपाध्यक्ष : That still stands pending. But I have not allowed the debate on that point.

श्री आबिद अली : The debate is not allowed on that constitutional point ?

श्री उपाध्यक्ष : No.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण है । हम जल्दी जल्दी दौड़ना चाहते हैं लेकिन जल्दी जल्दी दौड़ने के बनिस्बत यह अच्छा है कि समय पर दौड़ें । जो समय पर काम हो जाय वह अच्छा है, काम हो वह भी ढंग का हो । हम कई भाइयों की भावना की कद्र करते हैं । यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है । अपनी विशेषता भी यह प्रश्न रखता है । इस बात को मैं भी सुनता रहा हूं और सोचता रहा कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाना क्यों आवश्यक है ? मैं इसके रीजन्स देना चाहता हूं । एक छोटी सी कहानी याद आती है । एक नमाजी था, बड़ा भक्त था, नमाज बराबर पढ़ता था, उसके पास सम्पत्ति भी थी, दौलत भी थी । एक दिन दूसरे दो तीन नमाजी उसके पास आये और उसको कहा कि पुल उड़ रहा है, उसको उड़ने से बचाने के लिए सम्पत्ति की आवश्यकता है, दौलत की आवश्यकता है । लोगों ने कहा कि भाई कितना झूठ बोल रहे हैं, पुल उड़ नहीं सकता, उड़ने की चीज़ नहीं है । इनको दौलत मत दीजिये । फिर भी उस नमाजिये ने दौलत दे दी और लोगों से कहा कि सवाल यह नहीं है कि उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा है किन्तु नमाजियों ने कहा कि पुल उड़ रहा है इसलिए नमाजियों की भावना को ठेस नहीं लगाना चाहता, वे नमाजी थे इसलिए उनको दौलत दे दी । सवाल एक और है । हिन्दुस्तानियों के जो प्राण हैं वे धर्म में बसते हैं और उस भावना की कद्र संविधान जब बना था तब उसमें भी की गई थी और उन्होंने बड़ी बारीकी से सोचा कि हिन्दुस्तान के कोने २ में जो भारतवासी रहते हैं उनके जीवन का आधार ही धर्म है । वे धर्म पर न्यौछावर होना भी जानते हैं । उनकी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी परम्परायें हैं कि यदि उन पर हम हस्तक्षेप करें, किसलिए करें, आखिर में एक सवाल पैदा होता है । मैं समझता हूं कि क्या इस बिल से लाखों रुपयों का घोटाला मिट जावेगा ? कहीं आपको यह तो खतरा नहीं है कि ऐसे बिल से लाखों रुपयों की दौलत जो मंदिर में आती है वह कहीं रुक न जाय । एक प्रश्न यह भी कीजिये । जब से आपने हस्तक्षेप किया ऋषभदेवजी के मंदिर की व्यवस्था में, जैन लोगों ने अर्पण करना, भेंट करना तब से बन्द कर दिया । एक सवाल पूछता हूं, मैंने इसको देखा है, एग्जीक्यूटिव ऑफीसर टेन्डर काल करेगा क्योंकि श्रीनाथजी के भोग चढ़ाने के लिए वह टेन्डर होगा,

(श्री मूलचन्द डागा)

टेन्डर होगा सामान खरीदने के लिए, सप्लाई करने के लिए। एक बात सोचिये, अखबारों में निकलेगा कि श्रीनाथजी को इतना चावल चाहिये, इतनी शक्कर, मैदा आदि की जरूरत है, महाजन लोग सड़ा गला सामान सप्लाई कर देंगे और वह श्रीनाथजी के भोग में चढ़ेगा।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या करेगा फिर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं मानता हूं। आप बहुत प्रगतिशील विचार के हैं और विचार लेकर चलना चाहते हैं और सही सोचते हैं। लोगों ने तो मूर्तियों को स्पेशल ट्रेन में बैठा कर भेज दिया। लेकिन कानून की ये बातें समाज सुधार के लिए उपयुक्त नहीं हैं, कानून में समाज सुधार की ताकत नहीं है, उसमें समाज में क्रान्ति लाने की ताकत नहीं है और कानून क्रान्ति समाज में ला नहीं सकता और समाज में क्रान्ति न लाने के कारण वह कानून चल नहीं सकता और उल्टा उससे नुकसान ही होता है। जो कानून बनाने की व्यवस्था है, तरीका है प्रजातन्त्र में कानून बना कर चलना चाहते हैं समाज सुधार के लिए, कानून के बलबूते पर समाज सुधार और आध्यात्मिक धरातल पर ऊंचे जाना चाहते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून से आध्यात्मिक धरातल ऊंचा नहीं हो सकता, समाज सुधार नहीं हो सकता बल्कि अव्यवस्था ही हो सकती है। मुझे याद है कि सिविल प्रोसिजर कोड में शायद धारा ६२ है उसके द्वारा भी व्यवस्था ला सकते हैं रीलिजियस प्रोपर्टी में। आप प्रगतिशील भावना को लेकर ठीक लाने के शौकीन हैं और कहते हैं कि बड़े प्रगतिशील हैं। कानून आप समाज व्यवस्था को कायम रखने के लिए बनाते हैं लेकिन उसको छिन्न भिन्न करने के लिए कानून नहीं बनना चाहिये। नाथद्वारा के मंदिर के श्रीनाथजी के अनुयायी हैं व्यवस्था के लिए बिल बना है, मोटी २ बातें हैं उसमें जिसके लिए सवाल पैदा होता है कि क्यों प्रवर समिति को भेजा जाय। एक सवाल है, सारे के सारे अधिकार सरकार लेना चाहती है। जिस सरकार की अव्यवस्था आप जानते हैं, सरकार के द्वारा शासन चलता है उसमें कितनी अव्यवस्था है यह आप जानते हैं लेकिन वहां भी अव्यवस्था कायम करने के लिए सरकार उसको अपने हाथ में लेना चाहती है। स्वायत्त संस्थाओं में सरकार की अव्यवस्था से क्या हाल हो रहा है, यह सब आप जानते हैं। लेकिन यहां कहते हैं व्यवस्था कायम करने के लिए मंदिर को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, एक संस्था सरकार खड़ी करना चाहती है। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था होती है, उनकी व्यवस्था के बारे में प्राक्कलन समिति और जनलेखा समिति की रिपोर्टों को आपने पढ़ा है, हजारों लाखों रुपयों का गबन, इतनी दौलत का गबन। फिर नाथद्वारा के लिए चाहते हैं कि वहां की व्यवस्था सरकार करे, ६ कमेटी के सदस्य हों वे सरकार की तरफ से नामजद हों, अध्यक्ष सरकार के द्वारा नियुक्त हो और जब सरकार चाहे उसको हटा दे। कहीं नहीं छोड़ा गया कि जहां सरकार न आगई हो बीच में। श्रीनाथजी के अनुयायी और भक्त यह बर्दाश्त करते हैं यह उनको बता दिया जाय। श्रीनाथजी के भक्त वहां नहीं जावेंगे अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध, व्यवस्था करने के लिए। आप एक इन्स्टिट्यूसन की पवित्रता पर, क्षमा करें, राजनैतिक दृष्टिकोण से विचारों में

(श्री मूलचन्द डागा)

परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम आगे बहुत बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो समाज इस धरातल पर है इन बातों को पलटने के लिए आपने कई जगह पढ़ा होगा वहां हमें इसके लिये उनके दिमागों को पढ़ना होगा। इसमें जैसा कि दिया है 'Endcwment' में :

"....but shall not include any property belonging to the Goswami personally although the same or income thereof might hitherto have been utilised in part: or in whole in the service of the temple."

इसमें आप सारी प्रोपर्टी की व्यवस्था कर रहे हैं और उसके लिये एक समिति का गठन कर रहे हैं उसमें गोस्वामीजी को भी रख रहे हैं। आप बहुत तेज बढ़ना चाहते हैं। (कुछ सदस्यों को संबोधित करते हुए) आपने उनके दिमाग को समझने की कोशिश की है ?

४. १ म० प०

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी इधर बैठा हुआ हूँ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें प्रोपर्टी के लिये भी क्लॉज़ रखा है, उस पर भी विचार करना होगा, इसके जो क्लॉजेज़ हैं, टेन्डर के लिए क्लॉज़ २० है उसके अन्दर लिखा है "(2) (ii) to call for tenders for works or supplies and accept such tenders when the amount or value thereof does not exceed five thousand rupees." अब तो व्यापारियों को तैयार रहना चाहिये श्री नाथजी के भोग के टेन्डर्स निकलने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : अब भी निकलते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे अफसोस है, आप इस चीज़ को हल्के रूप से लें। वहां टेन्डर्स नहीं निकला करते वहां तो भावनाओं का अर्पण ही है उसके लिए वैष्णव समाज के लोग स्थानीय ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के कोने कोने से आकर हजारों रुपये की दौलत और सम्पत्ति देकर के खुश होते हैं और अपने आपको निहाल समझते हैं। उसका बंटवारा जिस रूप में होता है उसमें एक भावना होती है उसके पीछे हमारी संस्कृति और भावना की निशानी है। वहां पत्तल चार आने में मिलती है क्या आप चाहते हैं कि वह बन्द हो जाय ? वहां पुलिस की व्यवस्था की जरूरत नहीं वहां पर किसी के हस्तक्षेप से काम चलने वाला नहीं। आज आप देखेंगे इस बिल द्वारा हर व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का उल्लेख है। जहां ऐसे कामों में सरकार का हस्तक्षेप देखते हैं वहां हमारी संविधान की जो भावना है जनता की भावना का अध्ययन करने के बाद हमें ऐसा कानून बनाना चाहिये अगर आपको यह पता चलता है कि इस मन्दिर में जो जनता की धन सम्पत्ति है उसका दुरुपयोग होता है और उस प्रकार का मैनेजमेंट है तो आप उसकी सम्पत्ति की रक्षा के लिये तरीके बना सकते हैं जिसमें ऐसा मालूम हो कि सरकारी हस्तक्षेप इसमें नहीं हो। आप इसमें एक मजिस्ट्रेट को अधिकार देते हैं। इस नाथद्वारा बिल में आप मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार दिया गया है और उसके साथ यह भी है कि दावा कर सकती है सरकार बोर्ड पर। एक तरफ गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट को विशेष अधिकार देती है। मन्दिर, मस्जिद और गिरजाओं इन

(श्री मूलचन्द डागा)

पवित्र स्थानों में आप इतना घुसने की कोशिश न कीजिये यदि आपका कोई विचार ऐसा हो तो उसको हटा दीजिये। इन मन्दिर मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लोग अपनी भावनाओं को पवित्र बनाने के लिये जाते हैं। नाथद्वारा बिल में आपने रखा है और जिस प्रकार की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं जिससे लोगों को मालूम हो जो इस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं उनकी भावनाओं पर एक प्रकार से व्यवस्था के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं वह उचित नहीं है। इसमें आपने व्यवस्था की है एक कमिश्नर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, अगर बोर्ड के ६ मेम्बर यदि चाहें कि हम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रखना नहीं चाहते तो यह बोर्ड को अधिकार नहीं। अगर प्रेसीडेन्ट नहीं होगा तो गवर्नमेंट जिसे चाहेगी उसे प्रेसीडेन्ट बनाना होगा। आज इस प्रजातन्त्र में हमारे धार्मिक स्थानों पर स्टेट गवर्नमेंट यदि हस्तक्षेप करती है तो वह उचित नहीं कहा जा सकता फिर बोर्ड की स्थिति क्या रही? इसमें प्रावधान है एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा जिस आदमी को सरकार मुकर्रर करेगी वह विशेष अधिकारी Lease और mortgage भी कर सकता है। जब आपने ६ मेम्बर्स का बोर्ड बनाया फिर इसके अलावा और क्या व्यवस्था करना चाहते हैं? होना तो यह चाहिये धन और दौलत का दुरुपयोग मालूम होता हो तो वहां गवर्नमेंट का हस्तक्षेप किसी हद तक ठीक भी माना जा सकता है किन्तु हर चीज़ में, सारी बातों के अन्दर यह बनाने की कोशिश की है कि सरकार ही नाथद्वारा मन्दिर के प्रबन्ध की व्यवस्था करेगी। जिस दिन लोगों की भावना और दिलों में धर्म के प्रति श्रद्धा है चाहे आप उसे अन्ध श्रद्धा ही मानते हों प्रगतिशील विचार वाले व्यक्ति इसे दकियानूसी ख्याल बताते हों फिर भी जिनकी धार्मिक आस्था है उनके दिल पर तो इससे ठेस लगती है। अगर हम जनता की भावना को ख्याल में न रखेंगे तो इस बिल की महत्ता कम होगी। सरकार इस बिल द्वारा जो व्यवस्था करने जा रही है उसके मुताबिक इसमें ७ सदस्य सरकार नामजद करेगी। उसमें यह नहीं बताया कौन नामजद करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को सरकार ही अपॉइन्ट करेगी और यदि मेम्बर उसको हटाना चाहेंगे तो नहीं हटा सकेंगे। मैं समझता हूं क्या सरकार के पास कम काम रह गया है? इसमें यह भी दे दिया है :—

"If in obtaining possession of the properties of the temple to which it is entitled under Section 3, the Board is resisted or obstructed by any person, it may make an application to the Magistrate having jurisdiction....."

मुझे तो ऐसी बात मालूम होती है क्रिमीनल प्रोसीज़र कोड आदि में जो अधिकार मिले हुए हैं उससे भी विशेष अधिकार आप कैसे दे सकते हैं? सवाल यह आता है कि क्या इन्टरफ़ीयरेंस होगा? इस प्रकार के बिल से आपके पास क्या कोई बड़ी दौलत आ जायगी, क्या उससे कोई युनिवर्सिटी बन जायगी? मजिस्ट्रेट को जो कब्जा लेने का सोचते हैं जैसा कि धारा ३१ में दे दिया है :—

"The State Government or any other person having interest may institute a suit in the court of District Judge to obtain a decree:—

(a) vesting any property in the Board, or....."

(श्री मूलचन्द डागा)

इसमें डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज को पॉवर्स नहीं रहेंगे मुन्सिफ को पॉवर्स नहीं रहेंगे। गवर्नमेन्ट ने अपना इन्तज़ाम कर लिया गवर्नमेन्ट दावा कर सकती है यह क्लाज़ १६ में इस तरह का है :

"The State Government shall appoint a person professing the Hindu religion to be the Chief Executive Officer of the temple."

अब आप यह बताइये कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को ही तमाम अधिकार दे देते हैं तो फिर बोर्ड किस काम का ? सरकार इसके लिये कह सकती है कि महन्तजी जो दौलत ले जा रहे हैं इसलिये हम उसका इन्तजाम ले रहे हैं। नाथद्वारा बिल की मन्शा है, जो भावना है और जिस रूप में रखा गया है उस पर और भी सोचने विचारने की जरूरत है। हिन्दू ट्रस्ट बिल भी आने वाला है जो भी मन्दिर से सम्बन्ध रखनेवाला है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करदें ताकि इस पर सोच विचार हो सके। ऐसे मामलों में, मुझे ऐसा मालूम देता है कि जिसने बिल बनाया है, उनको कम एक्सपीरियन्स है। जब सलेक्ट कमेटी में जायगा तो वहां सब विचार धारा-वाले लोग होंगे वहां पर ही इस पर ठीक प्रकार से विचार हो सकेगा।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to oppose the motion to refer this Bill to the Select Committee. Firstly, the inference is quite clear that the Hon. Members who have moved this motion to refer the Bill to the Select Committee, have moved that not with a view to improve this Bill but to defeat the very purpose of this measure. The first mover of the motion who gave arguments for referring this Bill to the Select Committee, was himself very vague as to what legal complexities this Bill will create or how the management by the State Government is equal, as he said, to the industrial type of management which he thinks the State Government is going to impose on the temple. Moreover, he has argued that to have some control over the financial affairs of the temple is a conspiracy of the capitalists and thus the management of the temple will fall into the hands of the capitalists. These are very strange arguments. While I mean no disrespect to the diety installed in that temple, I have no hesitation in saying that the wealth in that temple is the wealth of the capitalists and not of poor men. No poor man goes to offer his wealth there. It is the rich persons of this country that offer the money to this temple and, if I may say so, most of the blackmarket money is offered in that temple, to that diety. That temple is being run by the offerings of the money of these capitalists against whom the Hon. Member raised an objection. Therefore, I have to say that he wanted to give an argument against the Bill with one simple reason that the Bill should be shelved, and shelved for ever.

The Mahant, or with whatever

(श्री श्रीमानसिंह)

name he is called in this country, has a free hand to misuse the money, to create scandals in this country, to be spend-thrift and he is a follower of epicurean philosophy. One may call that Mahant with whatever glorious names but I would term him an epicurean and a follower of that philosophy. Shri Goswami Ballabhacharya had installed this idol and this present Mahant is a descendant of the Goswami Ballabhacharya. This Mahant and the idol cannot be separated. The functions of the idol are embodied in the Mahant. In these days of economic development and planning if people with such epicurean qualities continue to survive and continue to exploit the sentiments and wealth of the people in that case there is a necessity to put a certain check on this exploitation. I want to remind the same Hon. Member that jagirs were abolished, and the jagirs were abolished so that exploitation of human labour, human wealth should be stopped. Why were the intermediaries removed? Because they were exploiting labour, wealth and were exploiters. It was the necessity of the time and now the necessity of the time is also that whoever, whether in the name of religion or in any other name, exploits the labour or the money of any individual or community or sect, he must be controlled, if not removed. And that is the idea behind this Bill. In these days the Mahants have no place in our country and if they have to continue in the religious heirarchy then they must continue in a certain proper way and manner. Their affairs must be managed on a clear and good basis. After all these religious institutions, if they are created on foundations which are not healthy, and if things are Indulged in and certain activities are done or performed which we cannot term as religious, which we cannot term as good even, then the State has to come in and intervene to improve the matters.

An Hon'ble Member said that it is a political stunt. It is not a political stunt. The temple's affairs were managed in the Ruler's time also and afterwards also, and now if the State Government manages them, it cannot be termed as a political stunt. On the contrary, this Mahant Shri has created a bad reputation. In the history there were certain idol destroyers, but if I term this individual as a robber of idols or as an idol robber, I think I will not be wrong because of the way he was running away with the wealth of the temple. It did not belong to him personally. What right he had over it ? This thing has happened. It was not a paper scandal as the Hon. Member has said but a scandal in fact. The Mahant created this scandal. He did not perform his duties towards the temple but concentrated his attention on the wealth of the idol. The Mahant is no longer performing his duties to the temple and even now he must be consulting the lawyers how to get this Bill

(श्री श्रीमानसिंह)

declared as ultravires, as he was doing in Delhi when he stole the wealth of the temple. So our sacred head of that temple is no longer performing his religious duties but is busy consulting the lawyers. These things have to be controlled and if the State comes in to control, that state of affairs and if the Mahant, who has gathered such scandalous reputation, has to be prevented from exploiting the sentiments of his followers, of his disciples, then certain curbs, certain checks have to be placed on his irrational tendencies. It is with this view that the Bill has been brought. It is neither a capitalist management nor an industrial type of management. It is only for bringing the level of management of finances to a certain efficiency, on a rational basis, and to that who could object ? The objection was raised that the State Government should create public opinion. I am sure that for the proper management of the funds of the temple, the Hon'be Member himself has created a public opinion. What is the further need to create public opinion ? The activities of the Mahant have brought the Government into bad reputation, brought the leader of the House, the Chief Minister of this State into bad reputation. What public opinion we want, to control such position ? The Hon'ble Member has himself created an opinion against the Mahant, against the affairs of the temple and, therefore, the public opinion is ripe today for a better management in proper hands of this temple and also, if I may say so, to bid the Mahant a final good bye from the affairs.

Moreover, Sir, while I am not going into the merits and demerits of this sect or this type of religion, but one of the Hon'ble Members from Ram Rajya Parishad suggested that certain Shankaracharya should be placed in the management of this temple. With due apologies to the Hon. Member coming from a party which has a religious tinge, I do not understand his suggestion.

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह के बोलने हेतु खड़े होने पर)

I refuse to yield the floor, Sir. As the Hon. Member said that certain Shankaracharyite should be placed in the management of this temple, I think it is an ignorance of the religion. As far as my knowledge goes, these two sects are quite different. Shankaracharyites practise austerity while our Mahant Shri is the most unorthodox saint in this country. There is no austerity or asceticism practised by him. My information goes that he believes in the lighter side of Lord Krishna's activities and his followers, I am told, are more the Gopies than the Gopas. His followers are more the females than the males. These two sects are quite different. So if we want to bring the persons of one sect to manage the affairs of another sect, how far the Ram Rajya Parishad

(श्री श्रीभानसिंह)

reflects the religious sentiments of this country, it is upto the Hon. Member to say.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 'गोपीज़ एण्ड गोपाज़' यहां पर कहा गया है इस तरह के शब्द कहना इस हाउस के डीकोरम के लिए ठीक नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

एक माननीय सदस्य : who is that Hon. Member ?

श्री श्रीभानसिंह : I have already termed him.

श्री अनूपसिंह : My objection, Sir...

श्री श्रीभानसिंह : Your objection is nothing. I have already said that he is a follower of epicurean philosophy.

श्री उपाध्यक्ष : The language being used is not so offending.

श्री श्रीभानसिंह : I am told that the Mahant has a luxurious house. He has a wardrobe which can stand in competition with the wardrobe of any monarch of yesterday. He has in his house four tennis courts and his dozen cars have been reduced now to three cars. So, if these are the duties of the Mahant, then if ever there was a case, it is in this that I have to put up my claim for the Mahant-ship. He is having these luxuries without performing any work or labour or contributing to production.

The Bill, however, as it stands, I am doubtful whether it will serve its purose because when I said the person of the Mahant and the idol are identical, and when the Mahant and diety identified how we will separate the money ? Then there is the clause 22, by which the Mahant can adopt measures to circumvent and defeat the purpose of our Bill, because now he will adopt his policy of going round and tell everybody that whatever they have to offer, they should offer it to the Mahant clandestinely and in that case, as one Hon'ble Member raised one objection that when the State Government will manage the finances, then the finances of the temple will be in deficit. If at all it is so, I will be the first tax-payper who will not contribute towards its finance. We have to make a change so that the Mahant may not be able to divert the offerings towards himself and through some other proces ceaim his property.

Then another Hon. Member raised an objection that since the administration of the Government is not upto the mark, he was doubtful whether the administration of the temple will run smoothly. But because the Government administration is unable to handle certain things in an efficient manner, to say that the Government will not be able to

Page No.102

(श्री श्रीभानसिंह)

manage the affairs of the temple well, will be going too far.

However, about this Bill people may create opinions. One may say that it hits the religious sentiments of the people. But I am sorry I quite disagree with them. In no way this Bill hinders any religious practice. They are free as they were before. This is only to regulate the financial aspects of the temple. Whether 15 thousand or 20 thousand of the population are dependent on this temple, this no question. The Bill will not materially effect them. They will continue to get those emoluments. So, in managing the finances of the temple, I don't see how this Bill hits the religion or the religious sentiments of the people. If the sentiments and religion were not hit by the Mahant himself when, as I should say, he was stealing the property of the temple and running from his own place where he should give his religious teachings, then the sentiments of the people are not in any way hit by the Government managing the temple. The State Government is only managing the secular side of the temple, and it does not in any way hit the religious sentiments of the people.

As regards the appointment of the Board, I must say that the Government should be very cautious about selecting the personnel because whenever I see the policy of the Government to appoint persons on a Board, one individual remains in my idea and that is the Food Advisor, Shri Ramji Kak. I am afraid such men may not become even the Religious Advisors or Financial Advisors.

श्री उपाध्यक्ष : I think he is off-hand being dragged to the floor of the House.

श्री श्रीभानसिंह : What I mean to say that such persons may not be selected in this Board, these are my fears. So I may have an assurance from the Hon. Minister that admission will be barred to such persons. For appointment to the Board, you have complete discretion to select the persons, but we have to be wise against such persons. After all, this is first step that we are taking and it will have its trials and errors. But such persons coming in the Board may not defeat the very purpose of the Bill.

एक माननीय सदस्य : कौन हैं वे ?

श्री श्रीभानसिंह : I have already named him.

श्री उपाध्यक्ष : You ought not to have named him.

श्री श्रीभानसिंह : He is a Government officer and I think the Hon. Minister will defend his Government officer. He is supposed to do so.

श्री उपाध्यक्ष : We should not discuss the man.

श्री श्रीभानसिंह : I am not discussing the man. I am discussing his multifarious qualities.

Therefore, Sir, in the end I would say that the main reason for enacting this Bill and enacting it quickly is that the finances of the temple were not managed properly, they were misappropriated and now in order to bring them to a certain level of efficiency, this Bill is being enacted. The second reason which can be given and which attracts my mind is that Government is creating a machinery in order that money which is being wasted now should be saved. A third reason appears to be that our Hon. Mahant of that temple is not living in a manner that was expected of him. From the Mahant, or anybody who is head of a religious institution, we expect a certain religious life, certain good life, but he has in a way proved that life of asceticism is difficult to live and hav.ng proved this has even brought the highest authorities into his scandalous dealings- It is with a view to check such persons, to check such scandals, that this simple and sure step has been taken to have a better management of the finances of the temple. It is not to exploit or in any way curb the religious sentiments of the followers or the disciples or to check their offerings. The object is that the offerings given to the temples are utilised for the good of the temple and for the good of the people at large.

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जो आज नाथद्वारा टेम्पल आॅर्डिनेन्स पेश हुआ है...

डॉ. चन्द्रकला (किशनपोल बाज़ार, जयपुर) : आॅर्डिनेन्स नहीं, बिल।

श्री अनूपसिंह : इस बिल के तहत जो कुछ बातें हैं उनको देखते हुए इसे प्रवर-समिति को भेजने का जो सुझाव है, मैं उसका समर्थन करता हूँ और इसके कई कारण मुझे ऐसे दिखते हैं कि ऐसी कौनसी चीज़ आज होने वाली है और ऐसी कौनसी आफत आने वाली है या पाट ढह जाने वाला है जिसके कारण हम इतनी जल्दी कर रहे हैं। हमें सोच समझ कर काम करना है ताकि जो अनियमितताएं हैं उनको ठीक किया जा सके और जो इर्रेग्युलेरिटीज़ हैं उनको ठीक किया जाय, मैनेजमेन्ट ठीक हो। यह कोई नहीं कहेगा कि आज जो मिस मैनेजमेन्ट हो रहा है उसे होने दिया जाय। लेकिन ऐसी क्या haste या hurry है जिसके पीछे पीछे हम दौड़े जा रहे हैं और यह चाहते है कि एकदम पास किया जाय। इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने की एक नेक सलाह है। इसको यदि हम एग्ज़ामिन करें तो मुझे यह मालूम नहीं पड़ता कि आखिर कौनसी जरूरत है कि हम हेस्ट में इस तरह की इन्पोर्टेन्स का बिल पास करना चाहते हैं। मुझे यह मालूम नहीं पड़ता। आखिर में हम एक बोर्ड के हाथ में सारा मैनेजमेन्ट देना चाहते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। बोर्ड कोई खास चीज करके नहीं रखेगा जिससे कि टेम्पल की व्यवस्था ठीक हो जाय। आखिर बोर्ड भी करेगा क्या ? भगवान की जो पूजा होती है वह ठीक तरह से होती है या नहीं, भोज चढ़ा या नहीं, किस तरह चढ़ा, कहां से आया, यही बातें आज भी की जा रही हैं। आखिर

(श्री अनूपसिंह)

बोर्ड ऐसी क्या व्यवस्था करेगा जो एक मिनट भी इधर उधर नहीं होगा। क्या आप उम्मेद करते हैं कि अपने सुपरविजन में एक मिनट भी इधर उधर नहीं होने देंगे या जो कमियां हैं, पूजन की सामग्री या पूजा करने का तरीका है उसमें परिवर्तन करेगा या ऐसा क्या तरीका है जिसे काम में लायेगा और ऐसा क्या करेगा जिससे कमियां दूर हो जायेंगी। ऐसी कौनसी चीज़ है जिसे गवर्नमेन्ट ने बोर्ड बनाकर ठीक किया हो? एक आध एग्ज़ेम्पल भी आपके सामने हो तो मैं मानूंगा कि गवर्नमेन्ट ने बोर्ड बनाकर मामला सुधारा है या प्रबन्ध सुधारा है। यह हमारे धार्मिक सेन्टिमेन्ट की चीज़ है, इस पर विचार करना जरूरी है। इसको बिना सलेक्ट कमेटी में भेजे आप निश्चय करना चाहते हैं तो पता नहीं ऐसी कौनसी hurry या haste, आखिर बोर्ड क्या करेगा? जो व्यवस्था आज है उसे ठीक करना है, उस बारे में सोचना विचारना है। किस तरह से सोचना है, इसके लिये एक जगह बैठ कर २०,२५ आदमियों को सोचने का मौका दें तो ज्यादा बेहतर होगा और अच्छा कानून बन सकेगा और अच्छे ढंग से बनाने के सुझाव पेश करेंगे।

आखिर यह देखना है कि इसके फंक्शन्स, पर्पज और ड्यूटीज़ क्या हों, बोर्ड और एग्ज़ीक्यूटिव ऑफिसर के फंक्शन्स के बारे में तो मालूम होता है कि वे यह देखेंगे कि यात्री लोग ठीक तरह से ठहरे या नहीं, उनके लिये व्यवस्था ठीक है या नहीं, पूजा ठीक ढंग से होती है या नहीं, धर्मशालाएं है या नहीं, उनकी मरम्मत होती है या नहीं। आखिर आज भी यात्री ठहरते हैं, धर्मशालाएं भी छोटी मोटी चलती हैं, शफाखाने भी छोटे मोटे चलते हैं। गवर्नन्ट अपने हाथ में लेगी तो भी क्या गारन्टी है कि शफाखाने ठीक चले हैं या नहीं? आपके यहां भी सैकड़ों शफाखाने हैं जो ठीक तरह से नहीं चलते हैं। कहीं पर डॉक्टर है तो दवाइयां नहीं हैं और दवाइयां हैं तो डॉक्टर नहीं है। आखिर बोर्ड नई चीज़ क्या करेगा? इसलिए मेरा अर्ज करने का मतलब यह था....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : खज़ाना नहीं लुटेगा।

श्री अनूपसिंह : उसके कई तरीके हो सकते हैं। खज़ाना और तरह से ठीक हो सकता है। वैसे तो गवर्नमेन्ट के हज़ारों खज़ाने लुट रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जा सकता है? आज भी करप्शन हो रहा है, गवर्नमेन्ट ऑफिसरों के तहत हो रहा है, गवर्नमेन्ट ऑफिसरों के द्वारा हो रहा है, हम कहें कि वह बन्द हो जाय तो नहीं होगा...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो विषयान्तर करने का प्रयत्न था।

श्री अनूपसिंह : मैं विषयान्तर नहीं होऊंगा। खैर, आज सोचने की बात यह नहीं है कि पुजारी चरित्रहीन है, महन्तजी इस तरह से रहते हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ ऐसी है, मद्रास, बम्बई में जाकर मौज करते हैं, अपने पास कार रखते हैं, नाच-गाने सुनते हैं, यह सब कुछ होता है, यह सब गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स में भी ज्यादा है। इन सब को गवर्नमेन्ट रोक नहीं सकती। फिर मुझे यह समझ में नहीं आती है कि महन्तजी की प्राइवेट लाइफ में ये चीजें रोकने के लिए बोर्ड क्या कर सकेगा, वह क्या कर सकेगा कि महन्तजी के ऐशो—आराम में फर्क आ जाय? पर्दे के पीछे गवर्नमेन्ट के ऑफिसर

(श्री अनूपसिंह)

ये काम करते रहेंगे। बोर्ड क्या करेगा कि महन्तजी का चरित्र इस हिसाब से रहना चाहिए, मंदिर के हिसाब से उनको रहना चाहिए ?

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : It is not an advocacy to compare a Mahant with an officer.

श्री अनूपसिंह : खैर, मैं मान सकता हूँ कि आपकी और मेरी भावना में फर्क है। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, आप भी चाहते हैं कि महन्त को ठीक किया जाय मैं भी चाहता हूँ कि महन्त को ठीक किया जाय। अगर यह सलेक्ट कमेटी में जाय और इस पर ठीक तरह से सोचा जाय तो क्या महन्त ठीक हो जाता है ? आप से न महन्तजी ठीक होते हैं और न गवर्नमेन्ट के ऑफिसर। ठीक वीक तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ एसपरसन करते हैं हमारे धर्म पर, गोपी गोपिकाओं की बात कह कर, कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगा कर। इस प्रकार के एसपरसन्स से हमारे सेन्टीमेन्ट्स को दुःख पहुँचाया जा रहा है, सो ठीक है। आप समझते कि वहां की व्यवस्था को ठीक करके रख देंगे तो आज तक गवर्नमेन्ट ने किसी को ठीक करके नहीं बताया। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि बोर्ड जल्दी से जल्दी बना दीजिये, वह क्या नो की तेरह कर देगा ? इसके अलावा मैं अर्ज करूंगा कि लोगों का यह ख्याल है कि जो एक्स्प्लोइटेशन है लेबर का, मनी का जो एक्स्प्लोइटेशन हो रहा है, वहां जो केपीटल बिगाड़ी जा रही है, उसको ठीक कर लेंगे। मैं निवेदन करूं कि केपीटल बहुत सी जगह राजस्थान में गवर्नमेन्ट ऑफिसरों ने बिगाड़ी। मैं मानता हूं कि इनको भी रोकना है, उनको भी रोकना है। मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। मैं मनी के वेस्टेज को सपोर्ट नहीं करता। मैं कहूंगा कि आप कोशिश कर रहे हैं तो अगर सलेक्ट कमेटी में बैठ कर इस पर सोच विचार कर लेते हैं तो क्या बात हो जाती है, कौनसी नो की तेरह हो जायगी, ऐसा कौनसा पहाड़ गिरा पड़ रहा है ? अगर इसे प्रवर समिति को दे देंगे तो कौनसा खजाना लुट जायगा ? खजाने तो अभी लुट रहे हैं और लुटेंगे, आपकी आंखों के देखते देखते लुट रहे हैं। मैं अर्ज करूंगा कि इसमें सोचने की बात है। इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं है कि महन्तजी की पहली सुविधायें थीं वे रोक दी जायगी। जैसा कि सेविंग क्लॉज़ २२ है "Save as otherwise expressly provided in or under this ordinance nothing here in contained shall affect any established usage" उन्हें जो चीज़ मिल रही है वह बदस्तूर अब भी मिलेगी, जो कस्टम अभी follow किया जा रहा है वह आगे भी follow किया जायगा, जो रेम्युनरेशन मिल रहे हैं, वे आगे भी दिये जायेंगे। फिर कौनसी नो की तेरह हुई ? आखिर बोर्ड क्या करने के लिए बनाया जायगा ?

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : आप चाहते क्या हैं ?

श्री अनूपसिंह : मैं चाहता हूं कि आप इसे प्रवर समिति को दें।

डॉ० बहादुरसिंह : वह क्या यह बन्द कर देगी ?

श्री अनूपसिंह : बन्द नहीं कर देगी तो अच्छे रूल्स एन्ड रेग्युलेशन बना सकती

(श्री अनूपसिंह)
है, विचार सकती है। मैं नहीं कहता कि आपके साथ में मैं...

डॉ० बहादुरसिंह : प्रवर समिति रूल्स रेगुलेशन बनायेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : आप कहने दीजिये। आप सब कुछ जानते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : The Hon'ble member is neither in favour of corruption nor against.

श्री उपाध्यक्ष : So the Hon'ble member Shri Anop Singh; you have concluded your debate ?

श्री अनूपसिंह : No Sir. आप चाहते हैं कि मैं शुरू करूं, मुझे कोई एतराज नहीं, उपाध्यक्ष महोदय इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि मेरे कहने का मतलब यह है कि इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं बैठ जाऊं क्योंकि शायद किसी और को बोलने की जरूरत है तो मैं बैठने वाला नहीं हूं....

श्री उपाध्यक्ष : इसके लिए आपको अवश्य बैठना चाहिए, दूसरों को सुविधा देने के लिए।

(हंसी)

श्री अनूपसिंह : जब तक मैं अपनी बात न कह सकूं दूसरों की सुविधा की बात नहीं सोच सकता। अगर मैं एक एक क्लॉज़ पर बोलने बैठ जाऊं तो मेरा ख्याल है कि बहुत समय हो जायगा। इसलिए मैं जनरल डिस्कशन को लम्बा नहीं करना चाहता। क्लॉज बाई क्लॉज विचार करने में टाइम लगता है। खैर, आपकी मन्शा है कि मैं कर्टेल कर दूं तो मुझे शौक नहीं कि मैं लम्बा बोलता जाऊं।

श्री उपाध्यक्ष : I now decide the point of order so raised previously.

Shri Mahendra Singh Panwar has raised a constitutional point that it is not within the Legislative competence of this House to make Legislation on Nathdwara Temple Bill, 1959, for, if enacted, it is likely to be declared ultra vires whenever challenged in the Court of Law. He has supported his argument by referring Art. 26 of the Constitution dealing with the Right of Freedom of Religion.

I have carefully studied the point with reference to the relevant Article of the Constitution and am of the view that so far as the question of legislative competence is concerned, this House is empowered to make legislation in respect of Nathdwara Temple. It does not infringe or violate the provisions of the Constitution. When the Bill is considered clause by Clause it will be for the House to decide whether they offend the fundamentals. The mere fact that many of the Clauses may be declared ultravires if challenged in the Court of Law, will not debar this House to legislate on the subject.

I do not think at this stage it is necessary to consider the different clauses and come to any definite conclusion.

(श्री अध्यक्ष)

Hence the objection is not well taken.

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा सु) : उपाध्यक्ष महोदय...

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : शुरू करिये ना साहब।

(हंसी)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आज नाथद्वारा मंदिर विधेयक पर दो तरह की बहस चल रही है, एक तो यह कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को दिया जाय और दूसरे यह कि इसको पास कर दिया जाय। कितने ही माननीय सदस्यों ने अभी यह भी बताया कि हमारे धार्मिक स्थानों पर सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष, ये धार्मिक स्थान किसी समय जब बनाये गये थे उस समय समाज के जीवन व चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए इनकी स्थापना हुई थी और इन धार्मिक स्थानों की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति को दी गई थी वह इसलिए दी गई कि उसके द्वारा समाज का चरित्र ऊंचा होगा, समाज का चरित्र ऊंचा रहेगा। इसके लिए जिस व्यक्ति को महन्त बनाया गया था, मेरी समझ में तो यह महन्त शब्द का कुछ अर्थ भी था। मैं जहां तक समझ पाया हूं इसका अर्थ यह होता है, महनत, यानि महनत करने के बाद अन्त में वह खाये। पहले वे मजदूरी करें, महनत करे और उसके अन्त में खाये। मगर इन महन्तों का रूप बदल गया। महन्तजी मजदूरी करते नहीं हैं, दूसरों से मेहनत कराते हैं और स्वयं बिना मेहनत करे खाते हैं।

(हंसी)

इसलिए उसका असर उन हजारों व्यक्तियों पर, जो दर्शनार्थ जाते हैं पड़ता है। जब महन्त मेहनत न करे, बिना मेहनत के खाये, खुद मजदूरी न करे और दूसरों से मजदूरी कराये और बैठे बैठे खायें, इसका असर समाज पर होता है। जो शिक्षा दीक्षा देने वाला व्यक्ति है, समाज के मोरल को ऊंचा उठाने वाला व्यक्ति है वह बिना मजदूरी के खाता है तो समाज पर असर होता है और निकम्मे बन जाते हैं समाज के लोग। इस प्रकार की हालत हो गई है महन्तों की। अभी कुछ बहुत दिनों पहले मालूम हुआ राजस्थान में, हिन्दुस्तान में चर्चा हुई कि नाथद्वारा मंदिर से हजारों की जायदाद महन्त द्वारा उड़ाई गई और न मालूम उसका किन किन लोगों को हिस्सा मिला। यह चर्चा हुई और यदि इस पर हमारी सरकार की मन्शा है कि वाकई जो यह धार्मिक स्थान है, इनकी सुव्यवस्था करनी चाहिए। कितने ही माननीय सदस्यों ने बताया कि इस तरह उनकी व्यवस्था और बिगड़ जायगी और धार्मिक स्थानों पर सरकार को अधिकार नहीं जमाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमारी जनतन्त्री सरकार पर ही जनता का चरित्र सुधारने की जिम्मेदारी आ जाती है, तमाम धार्मिक स्थानों की रक्षा करना, सुव्यवस्था करना यह सारी जिम्मेदारी हमारी सरकार पर आ जाती है। एक समय था जब कि समाज के व्यक्ति इन धार्मिक स्थानों की सुरक्षा और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी लिये हुए थे। उस समय समाज पाप के नाम से, चोरी के नाम से डरती थी और हमारे धर्म ग्रन्थों तक में इन समाज को ऊंचा उठाने वाले महात्मा लोगों

Page No.108

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')
के बारे में यहां तक कहा है कि एक समय की बात है, मैंने एक मन्दिर में जा कर कथा सुनी, पंडितजी कह रहे थे कि जो चढ़ावे का दान देते हैं उसको महन्त भी अपने उपयोग में नहीं ले सकता।

एक समय की बात है कि मुनि वशिष्ठजी श्री रामचन्द्रजी के यहां थे और बाहर कुत्ता चिल्लाता था। मुनि वशिष्ठजी ने उस कुत्ते के चिमटे की मार दी, कुत्ता चिल्लाने लगा। रामचन्द्रजी ने देखा कि कुत्ता पुकारता है तो मुनि वशिष्ठजी से पूछा कि कौन पुकारता है। मुनि ने कहा कि यों ही कुत्ता चिल्ला रहा है। भगवान् राम ने कहा कि बिना दुख के, बिना वजह के कोई नहीं पुकारता, उसको भी कोई न कोई दुख है। वे बाहर आये और कुत्ते से पूछा कि क्यों चिल्ला रहे हो तो कुत्ते ने कहा कि मुनि वशिष्ठजी ने मुझे चिमटे से मारा है इस लिये चिल्ला रहा हूँ, इसलिये मुनि वशिष्ठजी को सजा मिलनी चाहिये। भगवान् राम ने कहा बता क्या सजा मिलनी चाहिये, हमारे यहां कानून में तो कहीं यह विधान नहीं है कि यदि कोई कुत्ते को मारे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिये। कुत्ते ने कहा कि आपका कानून मुनि वशिष्ठजी का बनाया हुआ है, अपने आपके बचाव के लिये ऐसा कानून बनाया है कि कुत्ते के मारने पर उनको सजा न मिल सके। मैं अगर कानून बनाता तो उसमें यह रख देता कि कुत्ते को मारने पर मुनिजी को यह दंड मिले। भगवान् राम ने कहा बता तुझे अगर कानून बनाने बैठाते तो क्या कानून बनाता। कुत्ते ने कहा कि मुझे अगर आप कानून बनाने बैठाते तो मैं मुनिजी को मुझे मारने के अपराध में जगन्नाथपुरी का महन्त बनाता, इसलिये मुनिजी को जगन्नाथपुरी का महन्त बना दीजिये। भगवान् राम ने कहा इससे क्या लाभ होगा तुझे? कुत्ते ने कहा नहीं महाराज आप तो मुनिजी को जगन्नाथपुरी का महन्त बना दीजिये।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : जगन्नाथपुरी उस समय भी थी क्या?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : हां वह तो कभी से है।

श्री उपाध्यक्ष : हां आरम्भ रखिये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कुत्ते ने कहा महाराज वहां तो बहुत चढ़ावा आता है..

श्री उपाध्यक्ष : अब कथा को संक्षिप्त कीजिये; ऐसा मालूम होता है कि कथा ही चलती रहेगी, मूल विषय पर आइये।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अब उस कुत्ते को पूछा कि इससे तुझे क्या लाभ होगा। कुत्ते ने कहा, भगवान् मैं भी जगन्नाथपुरी का महन्त था, मैंने वहां का चढ़ावा खाया था इसलिए मैं कुत्ता बना। मुनिजी को भी वहां का महन्त बना दीजिये, ये वहां का चढ़ावा खायेंगे, चढ़ावे के माल का उपभोग करेंगे तो ये भी कुत्ते बनेंगे और फिर मैं भी इनके चिमटे की मारूंगा। तो चढ़ावे का माल महन्त महाराज के भेंट चढ़ता है, यह किस बदौलत चढ़ता है? श्रीनाथजी की बदौलत। वह श्रीनाथजी के महन्त नहीं होते तो उनको कौन भेंट करता? मेवाड़ में तो परम्परा है कि धणी के यहां से कमाया हुआ धन धणी को अर्पण कर दिया जाय। भामाशाह ने महाराणा प्रताप को अपना सारा धन अर्पण कर दिया था.....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषयान्तर हो रहे हैं। एक कथा के लिये अलाउ कर दिया तो इसके माने यह नहीं कि आप दूसरी और कथा कहें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : और कथा नहीं कह रहा हूँ, इसी विषय पर कह रहा हूं कि धणी के यह कमाया हुआ माल धणी को अर्पण करने की परम्परा मेवाड़ में है....

श्री उपाध्यक्ष : यह बिल सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय या नहीं इस विषय पर कहें।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसी आधार पर तो कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह आधार नहीं है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : तो, जो बिल सरकार लाई है, हाउस में जो बिल पेश किया है उसको जल्दी से जल्दी पास किया जाना चाहिये और इसे सलेक्ट कमेटी को न दिया जाय, जिसमें कि इस तरह गबन होने से माल बच सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं जो नाथद्वारा टेम्पल बिल सदन के सामने है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, आज जो बिल हमारे सामने है वह सिर्फ राजस्थान से ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों इस सम्प्रदाय के अनुयाइयों से सम्बन्ध रखता है।

आज जो इस पर बहस चल रही है, प्रवर समिति के सुपुर्द करने के विरोध में माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उन्होंने एक ही दृष्टिकोण रखा है कि नाथद्वारा के माल का घोटाला हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि नाथद्वारा के माल के घोटाले के बारे में कहने से पूर्व वहां के गोस्वामीजी और मन्दिर की व्यवस्था पर जानकारी कर लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जो नाथद्वारा में इस मन्दिर सम्बन्धी व्यवस्था है वह सरकार के प्रभाव में आकर या और किसी दबाव में आकर गोस्वामीजी ने नहीं दी है। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूँ कि ज्योंही जमाने की हवा बदली हुई देखी गोस्वामीजी ने भी समझा कि यहां की व्यवस्था समाज के प्रतिनिधियों के हाथ में सौंप दी जाय और उन्होंने एक कमेटी के हाथ में यह व्यवस्था सौंपी। तभी से यह व्यवस्था कमेटी के हाथ में है और चली आ रही है और सरकार का इस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। इसलिये नहीं कि काम काज में रोड़े अटकाये जा सकते हैं और बाधाएं उपस्थित की जा सकती हैं। भारत में लगभग ३ करोड़ वैष्णव जनता रहती है.....

श्री उपाध्यक्ष : Now we adjourn to meet tomorrow at 11 A. M.

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही ४.५८ म० प० दिनांक २६ फरवरी, १६५६ बृहस्पतिवार के म० पू० प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २५ फरवरी, ५९)

स्तम्भ स्तम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर डिविजन में औषधालयों की संख्या एवं उनकी औषधियों का बजट।

पुलिस हैड क्वार्टर्स जयपुर में टी० बी० से पीड़ित नॉन गजेटेड पुलिस ऑफिसर्स को सरकार द्वारा राहत।

संचालक आयुर्वेदिक विभाग द्वारा कुछ वैद्यों की बिना सेलेक्शन के नियुक्ति।

अनाज की निकासी पर प्रतिबन्ध।

जेलों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों की श्रेणियां तथा उनके वेतन।

अथरोही बस्ती में गृह-निवास की व्यवस्था।

भरतपुर जिले में प्रायः आने वाली बाढ़ को रोकने की योजना।

बीकानेर जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें।

टोंक से सवाई माधोपुर तथा इन्द्रगढ़ जाने वाली बसों का उनियारा होकर न जाना।

बीकानेर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना।

गवर्नमेन्ट आयुर्वेदिक कॉलेज में रिसर्च के लिये स्वीकृत धनराशि।

११०८ बिना परमिट के निजी कारों का टैक्सी प्रयोग।

नगरपालिका किशनगढ़ के उपाध्यक्ष द्वारा खर्चा।

चम्बल बांध से जल पूर्ति

लेडी डॉक्टर की कमी।

करौली पुलिस द्वारा धौलपुर उप-जिले में मवेशी व व्यक्तियों की गिरफ्तारी।

जयपुर शहर में कलई व चूने के भट्टे।

मालगुजारी में पंचायतों का हिस्सा।

बीकानेर नगर का सेनिटेशन।

जिला बोर्ड जयपुर के हिसाबात पर ऑडिट के ऐतराजात।

म्यूनेसिपेलिटियों द्वारा कुत्तों को मारा जाना।

रामपुर (तहसील बानसूर) में डिस्पेन्सरी।

खारची व सोजत तहसीलों में लघु सिंचाई योजना।

धौलपुर में चावल का आयात।

प्राइमरी पब्लिक हैल्थ सेन्टर्स।

आबूरोड से आबू पहाड़ तक चलने वाली पुरानी गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियां।

ग्राम पंचायत के चुनाव तथा पुनर्गठन।

Page No.111

भरतपुर जिले को दिया गया आयात गेहूँ एवं अन्य खाद्यान्नों की मात्रा।

विधायी कार्य

११७० **१—वापस लिये गये विधेयक**

निम्नांकित विधेयक, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् वापस ले लिये गये :—

(१) राजस्थान होल्डिंगस (कंसोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५८।

(२) राजस्थान होल्डिंग्स (कंसोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन (तृतीय संशोधन) विधेयक, १६५८।

११७१ **२—पुरः स्थापति किया गया विधेयक।**

राजस्थान होल्डिंग्स (कंसोलिडेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन) संशोधन विधेयक, १६५६, सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् राजस्व मन्त्री द्वारा पुरः स्थापित किया गया।

११७२ **३—विचारार्थ लिये गये विधेयक।**

(क) राजस्थान लैण्ड एक्वीजिशन (संशोधन) विधेयक, १६५६ उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव, श्री दामोदर लाल व्यास, राजस्व मन्त्री, द्वारा प्रस्तुत किया गया जो स्वीकृत हुआ। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(ख) नाथद्वारा मन्दिर विधेयक, १६५६।

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री, के इस प्रस्ताव पर कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, श्री मनोहर कोठरी ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव रखा कि विधेयक को एक प्रवर समित के सुपुर्द किया जाय। इस पर की गई बहस में निम्नांकित सदस्यों ने भाग लिया :—

(१) श्री जगदीशप्रसाद माथुर
(२) डॉ० चन्द्रकला
(३) श्री बृजमोहनलाल शर्मा
(४) रावल श्री नरेन्द्रसिंह
(५) श्री मुरलीधर व्यास
(६) श्री जनार्दनराय नागर
(७) श्री जुगलकिशोर चतुर्वेदी
(८) श्री रघुवीरसिंह
(९) श्री हरिप्रसाद
(१०) श्री पी० के० चौधरी
(११) श्री महेन्द्रसिंह पंवार
(१२) श्री रामचन्द्र
(१३) डॉ० बहादुरसिंह
(१४) श्री मूलचन्द्र डागा
(१५) श्री श्रीभानसिंह

स्कम्भ

(१६) श्री अनूपसिंह

(१७) श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

श्री किशनलाल अपना भाषण दे रहे थे कि सदन की बैठक ४ बज कर ५८ मिनट पर गुरुवार, दिनांक २६ फरवरी, १६५६ को प्रात; ११ बजे तक के लिये

स्कम्भ

स्थगित की गई।

गुरुवार दिनांक २६ फरवरी, ५६ का कार्य-विवरण

१. राज्यपाल महोदय का सन्देश।

२. नाथद्वारा मन्दिर विधेयक १६५६ खंडशः विचार-विमर्श।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०६ का उत्तर देखिये)

जयपुर शहर में चूने के भट्टों की सूची

१. जयपुर शहर में कली के ४१ भट्टे हैं। ये भट्टे निम्नांकित स्थानों पर लगे हुए हैं :

(क)	चौकड़ी हवाली शहर जनूबी घाट दरवाजे बाहर श्मशान के पास	२०
(ख)	,, ,, गर्बी चांद पोल दरवाजे बाहर	१०
(ग)	,, ,, जनूबी बोहरों के बाग के पास	२
(घ)	,, ,, भाजाना रेलवे फाटक के आगे हरिजन कॉलोनी	?
(ङ)	,, गर्बी झोटवाड़ा रोड पर	१
(च)	,, ,, अजमेर रोड पर	१
(छ)	चौकड़ी पुरानी बस्ती यज्ञशाला की बावड़ी के पास	४
(ज)	चौकड़ी गंगापोल लक्ष्मण डूंगरी के नीचे	१
(झ)	चौकड़ी हवालीशहर शर्की शुमालीवास बदनपुरा	१
		४१

२. चूने की भट्टियों के लिए इस साल में निम्नांकित स्थानों पर १२७ भट्टियां लगाने की इजाजत दी गई :

(क)	चौकड़ी हवाली शहर गर्बी में नया गांव के पास	३६
(ख)	चौकड़ी हवाली जनूबी में राजस्थान क्वाटर्स व पागलखाने के पास	८६
(ग)	चौकड़ी तोपखाना हजूरी	२
		१२७

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१७ का उत्तर देखिए)

सूचि

क्रम सं०	आयात का स्थान	वजन मन सेर	कर चुंगी रु० न० पै०
१	२	३	४
१	टीकेतपुरा	६३५ मन १० सेर	५७·८० न० पै०
२	कासमपुर	१५६ मन २० सेर	६·०६ ,,
३	सुखपाल का पुरा	१० मन	००·६२ ,,
४	देवलीपुरा	५६ मन २० सेर	३·७२ ,,
५	लादूखेड़ा	३२ मन २० सेर	२·०० ,,
६	हवेली का नगरा	१० मन	००·६२ ,,
७	विचपुरी	१३३ मन	८·३० ,,
८	वरिठा	२२ मन २० सेर	१·४१ ,,
६	मलियाकापुरा	५१ मन ३० सेर	२६·२० ,,
१०	खरगपुर	१६६ मन	१०·५६ ,,
११	देवखरी	६६५ मन	६०·३० ,,
१२	गुनुपुरा	४,६४८ मन १० सेर	२६०·३० ,,
१३	घनेदी	२४३ मन	१५·६० ,,
१४	मरैना	८ मन	००·५० ,,
१५	राजई	५४० मन २० सेर	३३·७८ ,,
१६	श्याम का पुरा	३०२ मन २० सेर	१८·६१ ,,
१७	वगचौली	४ मन	००·२५ ,,
१८	नगर	२४ मन	१·५० ,,
१६	रेहलई	१० मन	००·६२ ,,
२०	पहाड़ी	८६० मन	५२·७५ ,,

१	२	३	४	
२१	मिर्जापुर	५५ मन	३·४४	,,
२२	अबदलपुर	१६४ मन	१२·१२	,,
२३	सिलावट	१०० मन	६·२५	,,
२४	जोगईयापुरा	१४५ मन	६·००	,,
२५	डवेरा	११ मन २० सेर	००·७२	,,
२६	गमा	३७६ मन	२३·५०	,,
२७	बड़ापुरा	२ मन २० सेर	००·१६	,,
२८	वलगांव	१० मन	००·६२	,,
२९	ग्वालियर	९७ मन २० सेर	६·०९	,,
३०	वरसली	१३० मन	८·१२	,,
३१	वरेलापुर	१ मन	००·०६	,,
३२	गहामच	२७ मन २० सेर	१·७२	,,
३३	पलुआपुर	२०० मन	१२·५०	,,
३४	वीछिया	७ मन १० सेर	००·४४	,,
३५	कुसेड़ा	६५ मन	४·०६	,,
३६	चौधरी का पुरा	२५ मन	१·५६	,,
३७	वसईया	१ मन	००·०६	,,
३८	सामोर	२,४६२ मन २० सेर	१५३·९०	,,
३९	फूल का पुरा	४५ मन	२·८१	,,
४०	शेरगढ़	११ मन	००·६९	,,
४१	निपोरा	९० मन	५·६२	,,
४२	सेंमर	६० मन	३·७५	,,
४३	केंमरा	२ मन	००·१२	,,
४४	बड़ागांव	८ मन	००·५०	,,
४५	मुरैना	१७९ मन २० सेर	११·२२	,,
४६	विदराकापुर	५१ मन २० सेर	३·२२	,,
४७	पथरौला	२ मन	००·१२	,,

१	२	३	४	
४८	गौपासपुरा	२५२ मन	१५.७५	न० पै०
४९	मेहदपुरा	७३१ मन २० सेर	४५.१२	,,
५०	पिनाहर	५० मन	३.१२	,,
५१	वरसाना	१८० मन	११.२५	,,
५२	जैतपुर	१६८ मन	१०.५०	,,
५३	चौहानपुर	३६ मन २० सेर	२.२८	,,
५४	चौदरी का पुरा	८३ मन	५.१९	,,
५५	जोरा	५ मन	००.३१	,,
५६	जगनेर	५ मन	००.३१	,,
५७	नगरघय	१० मन	००.६२	,,
५८	नकसपुर	२,१०० मन	१३१.२५	,,
५९	चीलपुरा	१,०६७ मन २० सेर	६६.६२	,,
६०	हातियाखाट	५ मन	००.३१	,,
६१	पुरैनी	७५४ मन	४७.१२	,,
६२	मछपुरा	४ मन	००.२५	,,
६३	कठूमरा	२,४९१ मन २० सेर	१५५.६९	,,
६४	वधा	३८ मन २० सेर	२.४१	,,
६५	तगावली	३ मन	००.१९	,,
६६	वीरपुर	१६५ मन	१०.३१	,,
६७	चगौरा	३४४ मन	२१.५०	,,
६८	मेसैना	१४४ मन २० सेर	९.००	,,
६९	सुखपाल का पुरा	४२२ मन	२६.३७	,,
७०	विरयपुर	२ मन	००.१२	,,
७१	निधेरापुरा	५ मन	००.३१	,,
७२	चौखी की घड़ी	९४३ मन	५८.९४	,,
७३	मांगरौर	८४ मन	५.२५	,,
७४	कठूमरी	१,७८७ मन	१११.६९	,,

१	२	३	४
७५	हौदारेयापुरा	५३ मन	३·३१ न० पै०
७६	लुहारी	१८ मन	१·१२ ,,
७७	नन्दपुरा	४६ मन	३·०६ ,,
७८	कौथर	४६३ मन	३०·८१ ,,
७६	गडराई	१,७७५ मन	११०·६४ ,,
८०	रसीलपुर	२४० मन	१०·५५ ,,
८१	अजीतपुर	८ मन	००·५० ,,
८२	विलहली	२ मन	००·१२ ,,
८३	मूडाखेरा	८६८ मन ५ सेर	५६·१२ ,,
८४	दूवरा	२ मन	००·१२ ,,
८५	मैहदपुरा	१,५६२ मन २० सेर	६७·६६ ,,
८६	लालपुर	६३ मन	५·८१ ,,
८७	हैतमपुर	३ मन	००·१६ ,,
८८	नदवई	२५ मन	१·५६ ,,
८६	नादौली	६८५ मन	६१·५६ ,,
६०	सुन्दरपुर	३५ मन	२·१८ ,,
६१	खुर्द	५१ मन	३·१६ ,,
६२	शाला	५६० मन २० सेर	३६·६१ ,,
६३	शेखपुर	१०५ मन	६·५६ ,,
६४	भैसेनों	५७ मन	३·५० ,,
६५	गोपालपुरा	६०८ मन	३०·०० ,,
६६	जारहे	३४६ मन	२१·६२ ,,
६७	डवरा	२५ मन	१·५६ ,,

१	२	३	४	
९८	विरजापाड़ा	७ मन	००·४४	न० पै०
९९	राजघाट	१ मन २० सेर	००·०९	,,
१००	मानपुर	३ मन	००·१८	,,
१०१	सादिकपुर	१७० मन	१०·६३	,,
१०२	मदनपुर	२५० मन	१५·६२	,,
१०३	कौलारी	२५० मन	१५·६२	,,
१०४	तसीमो	३१२ मन	१९·५०	,,
१०५	हवेली का नगला	५ मन	००·३१	,,
१०६	रतन का पुरा	१४ मन	००·८७	,,
१०७	सैपऊ	२८४ मन	१७·८५	,,
१०८	कैथरी	२०२ मन १० सेर	१२·६४	,,
१०९	राजा का नागल	५० मन	३·६२	,,
११०	रजई	६० मन	३·७५	,,
१११	दूलेखां नगला	१४ मन	००·८७	,,
११२	नुनेहरा	१० मन	००·६२	,,
११३	वसेड़ी	२,८६२ मन २० सेर	१७८·९१	,,
११४	भोरोली	७३५ मन	४५·९४	,,
११५	मनिया	१२,००७ मन	७५०·४४	,,
११६	आगरा	२,२९० मन	१४३·१२	,,
११७	सरमथुरा	६,५३७ मन २० सेर	४०८·५९	,,
११८	पिपरई	२२५ मन ३० सेर	१४·११	,,
११९	छेडममरोली	४६ मन २० सेर	२·९१	,,
१२०	सायपुरा	१६५ मन	१०·३१	,,

१	२	३	४
१२१	सिहोली	१२ मन	००·७६ न० पै०
१२२	हनुमान का पुरा	१४५ मन	९·०६ ,,
१२३	रेहसेना	२४५ मन	१५·३१ ,,
१२४	जूसपुरा	३६० मन	२४·३७ ,,
१२५	कोटपुरा	५२ मन २० सेर	३·२८ ,,
१२६	भोरावती	२२ मन २० सेर	१·४१ ,,
१२७	फिरोपुर	१४ मन	००·८७ ,,
१२८	सादिकपुर	१३ मन २० सेर	००·८३ ,,
१२९	रूपसपुर	५३ मन २० सेर	३·३४ ,,
१३०	चान्दपुरा	१६ मन	१·०० ,,
१३१	औडेला	१६ मन	१·०० ,,
१३२	पचगांव	३४ मन १० सेर	२·९४ ,,
१३३	दिहौली	२०२ मन	१२·६२ ,,
१३४	कैलासपुरा	१०७ मन २० सेर	६·७२ ,,
१३५	कुडीला	५,०३५ मन	३१४·६९ ,,
१३६	चगौरा	४० मन	२·५० ,,
१३७	मछिरिया	६० मन	३·७५ ,,
१३८	गढ़ी घीया	१४६ मन २० सेर	९·१६ ,,
१३९	बीच का पुरा	३०० मन	१८·७५ ,,
१४०	हतिवाई	४३० मन	२६·८७ ,,
१४१	नादौली	१३० मन	८·१२ ,,
१४२	बाड़ी	८,४८८ मन १० सेर	५३०·५० ,,
१४३	राजाखेड़ा	५१,३५१ मन	३२०९·४४ ,,

१	२	३	४
१४४	आम का पुरा	२६६ मन	१७·६२ न० पै०
१४५	समोना	२६२ मन	१६·२७ ,,
१४६	होलापुरा	६३ मन	३·६४ ,,
१४७	डोगरपुर	३८ मन २० सेर	२·४१ ,,
१४८	गढ़ी	३५ मन	२·१६ ,,
१४९	गेहूं का पुरा	३० मन	१·८७ ,,
१५०	धौलपुर	१३,४५० मन १० सेर	८४०·६६ ,,
	योग :–	१,४१,४०३ मन १५ सेर	८,८६०.७० ,,

———

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न सख्या २१८ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING PARTICULARS OF PRIMARY HEALTH CENTRES OPENED UPTILL NOW

S. NO.	Name Of The P. H. Centre	Name Of The District
1.	Gangapur	Sawai Madhopur
2.	Tijara	Alwar
3.	Rampur	,,
4.	Surajgarh	Jhunjhunu
5.	Udaipurwati	,,
6.	Mehansar	,,
7.	Guhala	Sikar
8.	Neem-ka-thana	,,
9.	Lachmangarh	,,
10.	Sardarshahar	Churu
11.	Parihara	,,
12.	Karanpur	Ganganagar
13.	Sangaria	,,
14.	Mandi Pilibangan	,,
15.	Jethana	Ajmer
16.	Gagwana	,,
17.	Kharwa	,,
18.	Baghera	,,
19.	Mathania	Jodhpur
20.	Abu-Road	Sirohi
21.	Chittorgarh	Chittorgarh
22.	Kapasan	,,
23.	Baswa	Jaipur
24.	Phagi	,,
25.	Amarsar	,,

1	2	3
26.	Wasai Nawab	Bharatpur
27.	Nadbai	,,
28.	Nokha	Bikaner
29.	Gunga	Barmer
30.	Siana	Jalore
31.	Bhittanwana	,,
32.	Marwar Jn.	Pali
33.	Basni	Nagaur
34.	Jaswantgarh	,,
35.	Bhopal Sagar	Udiapur
36.	Sanwar	,,
37.	Railmagra	,,
38.	Bhhinch	Banswara
39.	Hurda	Bhilwara
40.	Bagore	,,
41.	Atru	Kotah
42.	Kalwara	,,
43.	Kelera	Bundi
44.	Hindoli	,,
45.	Khanpur	Jhalawar

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या २२० का उत्तर देखिये)

जिला चूरू की ग्राम पंचायतों की सूची जिनका त्रिवर्षीय चुनाव शेष है।

क्रमांक	नाम पंचायत	तहसील पंचायत	बढ़ाई हुई अवधि समाप्त होने का दिनांक	पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या	निर्वाचन दिनांक जो निश्चित किये गये
१.	लोहासन बड़ा	चुरू	१७-७-५६	२४२८	२५-२-५६
२.	धाधू	,,	१७-४-५६	३५१४	२७-२-५६
३.	बापेऊ	डूंगरगढ़	१६-५-५६	३१०२	२५-२-५६
४.	रगाईसर	सरदारशहर	१६-५-५६	१२८४	१-३-५६
५.	मादासर	,,	४-६-५६	२७०५	२५-३-५६
६.	रामसीसर	,,	१६-५-५६	२०१७	२७-२-५६
७.	बिल्यू	,,	१-६-५६	३००३	३-३-५६
८.	सीतसर	रतनगढ़	२५-६-५६	३५३५	
९.	टिड़ियासर	टिड़ियासर	१६-६-५६	४२१५	
१०.	पड़िहारा	,,	६-६-५६	४६३४	
११.	सिमसिया	,,	६-६-५६	२६१४	
१२.	परसनेऊ	,,	११-५-५६	३२१०	१-४-४६
१३.	बीनादेसर	,,	१६-४-५६	३०६७	२६-३-५६
१४.	मोलीसर। रतनसरा	,,	६-५-५६	२६११	२८-३-५६
१५.	मेलूसर। गोगासर।	,,	२-६-५६	४३२३	
१६.	कालवास	तारानगर	७-३-५६	१३७०	७-३-५६
१७.	आनन्दसिंहपुर	,,	९-३-५६	२२००	८-३-५६
१८.	नेठवा	,,	६-५-५६	२१०७	१६-३-५६
१९.	मालेरी	,,	१६-५-५६	१६२४	१२-३-५६
२०.	पोरथल	,,	१५-५-५६	२४७८	१४-३-५६

Page No.124

१	२	३	४	५	६
२१.	साहवा	तारानगर	२७-५-५६	४२२०	१०-३-५६
२२.	नोरंगपुरा	राजगढ़	१७-१२-५६	४५११	
२३.	नेशल	"	४-६-५६	३६११	
२४.	बेवड़	"	१३-७-५६	२७५८	
२५.	हमीरवासवड़ा	"	१-११-५६	४४६०	
२६.	सूरतपुरा	"	६-८-५६	३५४०	
२७.	मीठी	"	२७-११-५६	३४४४	
२८.	भगेला	"	१-७-५६	३००४	
२९.	डिगाला	"	१-१२-५६	४१२८	
३०.	रामसराताल	"	४-६-५६	४०६०	
३१.	सिन्दमुख	"	९-६-५६	२९६०	
३२.	काजन	"	१६-८-५६	२४०५	
३३.	चनाणा	"	१-७-५६	३४३४	
३४.	सेऊवा	"	१४-६-५६	२३५३	
३५.	ढ़ोकवा	"	४-८-५६	२१८५	
३६.	रतनपुरा	"	१४-८-५६	२३७३	
३७.	ढ़ेरासर छोटा	"	१-११-५६	३६४८	
३८.	ढ़ाणी मौजी	"	२९-१२-५६	१९३२	
३९.	सांखू	"	३१-१२-५६	३१५४	
४०.	भेसली	"	१-६-५६	२२९४	
४१.	खारिया कनीराम	सुजानगढ़	२४-८-५६	४३४८	
४२.	मलसीसर	"	१७-८-५६	५२६५ यह पांच हजार से ज्यादा की जनसंख्या है।	
४३.	बडावर	"	११-८-५६	२५८४	
४४.	चाडावास	"	१-४-५६	४७३६	३०-३-५६
४५.	सांडवा	"	१०-८-५६	४१३७	१-४-५६

१	२	३	४	५	६
४६.	कल्याणसर	सुजानगढ़	२८-३-५६	४६६५	२५-३-५६
४७.	सेडू	,,	२६-३-५६	४३१५	२७-३-५६
४८.	खुंडी	,,	१५-८-५६	३२६५	

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग 'ए'

दिनांक ८–१–५६

संख्या डी, १३१८०। एफ ३।३४। स्वा. शा. वि. ।ए।५८, राजस्थान पंचायत अधिनियम १९५३ की धारा ३ व ८६ व ८७ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार रतनगढ़ तहसील की पंचायतों का निम्नलिखित रूपरेखा के अनुसार पुनर्गठन करती है तथा इसी अधिनियम की धारा ४ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार उक्त पंचायतों के पंचों की संख्या उनके सामने निम्नांकितानुसार निर्धारित करती है।

१. ग्राम पंचायत मोलुसर का केन्द्र स्थान बजाय मोलुसर के गोगासर में स्थापित करती है।

२. ग्राम पंचायत मौलीसर का केन्द्र स्थान पोलीसर से हटाकर रतनसरा में स्थापित करती है।

३. ग्राम पंचायत ठटावता को केन्द्र स्थान ठठावता से हटाकर टिडियासर में स्थापित करती है।

४. ग्राम पंचायत सिमसिया को ग्राम जैगनिया बीकान हटाया जाकर ग्राम पंचायत परसनेऊ में शामिल किया जाता है और ग्राम पंचायत सिमसिया के पंचों की संख्या ७ निर्धारित करती है।

५. ग्राम पंचायत परसनेऊ का ग्राम लालूड़सर इस पंचायत से पृथक करती है और परसनेऊ पंचायत के पंचों की संख्या ७ निर्धारित करती है।

६. ग्राम पंचायत लालूड़सर के लिए एक अलग नयी पंचायत स्थापित करती है जिसके पंचों की संख्या ५ निर्धारित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से
बी॰ सिंह
शासन सचिव

परिशिष्ट ५

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २२२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING IMPORTED WHEAT AND MILO ALLOTED TO THE FAIR PRICE SHOPS IN BHARATPUR DISTRICT FROM JULY 1958 TO DECEMBER. 1958.

S. No.	Name of place where shopsopened.	July Wheat (in tons)	July Milo	August Wheat	August Milo	September. Wheat	September. Milo	October. Wheat	October. Milo	November. Wheat	November. Milo	December. Wheat	December. Milo.	Fair price shops.
1.	Bharatpur.	200	-	292	-	220	-	120	165½	120	-	400	-	20
2.	Kumher.	-	-	-	-	-	-	14	14½	13	-	24	-	1
3.	Deeg.	-	-	-	-	-	-	14	55	22	-	60	-	3
4.	Kaman	-	-	-	-	-	-	14	-	22	-	48	-	2
5.	Pahari.	-	-	-	-	-	-	14	-	12	-	24	-	2
6.	Nagar.	-	-	-	-	-	-	14	-	12	-	24	-	1
7.	Sikari.	-	-	-	-	-	-	13	-	12	-	24	-	1
8.	Bayana.	40	-	60	-	60	-	40	40	30	-	60	-	3

1.	2.	3.		4.		5.		6.		7.		8.		9.
9.	Weir.	40	–	–	–	–	–	22	–	15	–	20	–	1
10.	Bhusawar.	–	–	–	–	–	–	22	–	15	–	20	–	1
11.	Nadbai.	–	–	–	–	–	–	14	–	14	–	24	–	1
12.	Rabbas.	–	–	20	–	20	–	22	25	20	–	24	–	1
13.	Uccain.	–	–	–	–	–	–	22	–	20	–	24	–	1
14.	Dholpur.	92	–	63	–	63	–	22	50	22	–	100	–	3
15.	Rajakhera.	–	–	–	–	–	–	22	–	20	–	22	–	1
16.	Bari.	–	–	20	–	20	–	14	25	14	–	44	–	2
17-	Baseri.	–	–	–	–	–	–	14	–	14	–	22	–	2
18.	Sirmathura.	–	–	20	–	20	–	14	25	14	–	24	–	1
	Total	332		475		403		431	400	411		988		47

Wheat 3040 tons.
Milo 400 „

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६३ का उत्तर देखिये)

१६५६–५७

१. श्री घनश्याम शर्मा
२. श्री सत्यनारायण शर्मा
३. श्री रामकिशन
४. श्री श्रीनारायण शर्मा
५. श्री भगवती प्रसाद
६. श्री सुखदेव प्रसाद
७. श्री श्रीनारायण त्रिहारी
८. श्री मदनमोहन शर्मा
६. श्री गणेश लाल
१०. श्री रामनारायण
११. श्री प्रभुदयाल
१२. श्री भागीरथ
१३. श्री चन्द्र शेखर
१४. श्री चिरंजीलाल
१५. श्री श्रीनारायण
१६. श्री कन्हैयालाल
१७. श्री रघुनन्दन
१८. श्री रामकिशोर
१६. श्री प्रभुदयाल
२०. श्री गोवर्धन शर्मा
२१. श्री विद्याधर.
२२. श्री नन्दकिशोर
२३. श्री विथाराम
२४. श्री रामधन शर्मा
२५. श्री धनराज

२६. श्री तुलसीराम
२७. श्री रामगोपाल शास्त्री
२८. श्री गिरधर शर्मा
२९. श्री कन्हैया लाल
३०. श्री जानकीलाल
३१. श्री पुरुषोत्तम शर्मा
३२. श्री मनमोहन शर्मा
३३. श्री तीर्थेश्वर शर्मा
३४. श्री देवीसहाय
३५. श्री बाला प्रसाद
३६. श्री हनुमान प्रसाद
३७. श्री कंवर प्रसाद
३८. श्री मेहम्मद खां
३९. श्री आनन्दस्वरूप
४०. श्री बजरंगलाल
४१. श्री ताड़केश्वर शर्मा
४२. श्री सीताराम शर्मा
४३. श्री हरगोविन्द
४४. श्री हरिशचन्द्र
४५. श्री बालकिशन
४६. श्री कान्ता टाली
४७. श्री मूल शंकर
४८. श्री रामलोटन
४९. श्री सीताराम शर्मा
५०. श्री मुरलीधर शर्मा,
५१. श्री वासुदेव शर्मा
५२. श्री मातृदेव शर्मा
५३. श्री मांगीलाल शर्मा
५४. श्री राजारमा शर्मा
५५. श्री महावीर प्रसाद

५६. श्री राधाकिशन शर्मा
५७. श्री राधेश्याम शर्मा
५८. श्री अमरनाथ शर्मा
५९. श्री हनुमान शास्त्री
६०. श्री डूगरमल
६१. श्री रामचरण जोशी
६२. श्री दुर्गा प्रसाद
६३. श्री गंगानारायण
६४. श्री वृजमोहन शर्मा
६५. श्री राधावल्लभ व्यास
६६. श्री कल्याणदेव शर्मा
६७. श्री प्रभुदयाल
६८. श्री जगदीश
६९. श्री कन्हैयालाल
७०. श्री मिथलेश कुमारी
७१. श्री मुनीश्वर दत्त
७२. श्री धनीराम स्वामी
७३. श्री शीतलदास
७४. श्री सन्तकुमार शर्मा
७५. श्री बाबुलाल शास्त्री
७६. श्री वासुदेव त्रिवेदी
७७. श्री बद्रीनारायण
७८. श्री देवीदत्त शर्मा
७९. श्री मदनगोपाल शर्मा
८०. श्री जगदीशनारायण
८१. श्री रघुनन्दन
८२. श्री घनश्याम
८३. श्री देवकी नन्दन शर्मा
८४. श्री भवदत्त
८५. श्री मालचन्द

Page No.132

८६. श्री महावीर प्रसाद
८७. श्री रामकिशोर शर्मा
८८. श्री रूपनारायण पारीक
८९. श्री शैलकुमारी
९०. श्री मोहनलाल शास्त्री
९१. श्री प्रह्लादराय
९२. श्री नरेन्द्रकुमार पालीवाल
९३. श्री रामगोपाल शर्मा
९४. श्री रामेश्वर दयाल
९५. श्री कल्याणदत्त शर्मा
९६. श्री रामेश्वर प्रसाद शास्त्री
९७. श्री टेमचन्द शर्मा
९८. श्री शुभकरण शर्मा
९९. श्री रतनलाल मिश्र
१००. श्री सतीशचन्द्र
१०१. श्री राधेश्याम
१०२. श्री हनुमत प्रसाद
१०३. श्री राधा कान्त
१०४. श्री रामपाल शर्मा
१०५. श्री ओंकार लाल शर्मा
१०६. श्री सीताराम शर्मा

१६५७–५८

१ श्री सुरेशचन्द्र

२ श्री देवेन्द्रप्रसाद भट

३ श्री ओंकारलाल जैन

४ श्री इकबाल नारायण

५ श्री मदनलाल शर्मा

६ श्री किशनदेव शर्मा

७ श्री रामचन्द्र

८ श्री कृष्णदत्त

९ श्री कृष्णवल्लभ

१० श्री मुरलीधर

११ श्री मूलचन्द मिश्र

१२ श्री राधावल्लभ

१३ श्री रघुनन्दन भट

१४ श्री मोहनलाल

१५ श्री शंकरलाल

१६ श्री देवदत्त

१७ श्री हरिदेवाराम

१८ श्री लक्ष्मीनारायण

१९ श्री रामअवतार शर्मा

२० श्री चन्द्रशेखर

२१ श्री सुरेन्द्र पाल

२२ श्री दामोदरप्रसाद

२३ श्री गोवर्धन मिश्र

२४ श्री शिवदत्त शर्मा

२५ श्री सिद्धनाथ शर्मा
२६ श्री भैरूसिंह
२७ श्री छाजुलाल
२८ श्री श्रीनाथ शर्मा
२९ श्री मदनगोपाल
३० श्री यमुनाबल्लभ
३१ श्री विद्याधर
३२ श्री महेन्द्र उपाध्याय
३३ श्री रामस्वरूप शर्मा
३४ श्री दुर्गेश शास्त्री
३५ श्री ज्वालाप्रसाद
३६ श्री परमेश्वरलाल
३७ श्री रामदत्त
३८ श्री चिरंजीलाल
३९ श्री जेठमल
४० श्री दिनेशचन्द्र
४१ श्री देवकीनन्दन
४२ श्री परमेश्वरप्रसाद
४३ श्री मनीराम शर्मा
४४ श्री शिवकरण
४५ श्री ब्रजमोहन
४६ श्री मिश्रीदास
४७ श्री घासीलाल
४८ श्री सीताराम
४९ श्री सोमदत्त
५० श्री कन्हैयालाल

५१ श्री मदनलाल

५२ श्री मदनमोहन

५३ श्री हकीमअब्दुलक्यूम

५४ श्री झुमरमल मिश्रा

५५ श्री जानकीलाल

५६ श्री सोहनलाल

५७ श्री मामराज

१९५८-५९

१ श्री चन्द्रशेखर

२ श्री देवेन्द्रनाथ

३ श्री रामनिवास जोशी

४ श्री रामगोपाल

५ श्री ओमप्रकाश शर्मा

६ श्री वासुदेव शर्मा

७ श्री भंवरलाल महात्मा

८ श्री गिरिराजकिशोर

९ श्री मुरलीधर

१० श्री रामनिवास

११ श्री गोपालराय नागर

१२ श्री गोरीशंकर

१३ श्री अम्बालाल

१४ श्री इच्छाशंकर

१५ श्री सेवकराम स्वामी

१६ श्री राजनारायण अवस्थी

१७ श्री लीलाम्बरदत्त शास्त्री

१८ श्री हरिमोहन मेहरा

१९ श्री गोवर्धनप्रसाद

२० श्री बालाचन्द

२१ श्री रामकिशोर शर्मा

२२ श्री मुनीराम शर्मा

२३ श्री रामकिशोर सोनी

२४ श्री भागीरथप्रसाद महात्मा

२५ श्री गोकुलप्रसाद

२६ श्री भगवतीप्रसाद

२७ श्री रामदेव शर्मा

२८ श्री राधेश्याम

२९ श्री रामकिशन शर्मा

३० श्री किशनचन्द्र

३१ श्री सुखदेवप्रसाद

३२ श्री मोतीलाल

३३ श्री लादूराम

'ब' श्रेणी

३४ श्री सीताराम

३५ श्री शान्तारानी

३६ श्री घासीराम

३७ श्री शिवकुमार

३८ श्री हरिनारायण

३९ श्री भारद्वाज

४० श्री हीरालाल

४१ श्री दुर्गाशंकर

'प' श्रेणी

४२ श्री मोहनलाल दाधीच

४३ श्री जगन्नाथ व्यास

४४ श्री रंगनाथ

४५ श्री दुर्गाप्रसाद दिवाकर

४६ श्री गोपाल

४७ श्री नवनीतलाल व्यास

४८ श्री लीलाधर व्यास शर्मा

४९ श्री रामप्रताप जोशी

५० श्री सरदारीलाल

पुनश्च 'स.' श्रेणी

ग्राम सुधार केन्द्र से सेवा में लिये गये

५१ श्री चन्द्रशेखर

५२ श्री माधवलाल

५३ श्री अम्बेकाप्रसाद

५४ श्री मधुसुदन

५५ श्री सोमदत्त

५६ श्री मुरलीधर

५७ श्री शिवदत्त

५८ श्री कृष्णदेव

५९ श्री हरसतराय मंकोडी

६० श्री दीनदयाल

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २०७ का उत्तर देखिये)

List of institutions in which posts of Lady Doctors are Liying Vacant

S. No.	Name of the Institution	Posts liying vacant	
		CAS Class I	Class II
1.	K. G. V. MM. Home, Ajmer	I	-
2.	D. M. & C. W. Centre No. 1, Ajmer	I	-
3.	D. M. & C. W. Centre No. 2, Ajmer	1	-
4.	D. M. & C. W. Centre No. 3, Ajmer	2	-
5.	Family Planning Centre 1, Ajmer	1	-
6.	City Dispensary Kishangarh	-	1
7.	Zenana Hospital, Alwar	-	1
8.	Zenana Hospital, Bharatpur	-	1
9.	Family Planning Centre Bharatpur	-	1
10.	Zenana Hospital, Dholpur	1	-
11.	Zenana Hospital, Jaipur	-	3
12.	Mayo Dispensary, Jaipur	-	1
13.	M. C. W. Centre, Dausa	-	1
14.	Family Planning Centre, Kamani, Jaipur	-	1
15.	M. C. W. Centre, Sikar	-	1
16.	Karauli Hospital	-	1
17.	Zenana Hospital, Tonk	1	-
18.	Family Planning Centre, Sikar	-	1
19.	Family Planning Centre, Tonk	-	1
20.	P. B. M. Women's Hospital, Bikaner	3	-
21.	Rajargarh (District Churu)	-	1
22.	Family Planning Centre, Ratangarh	-	1
23.	Umaid Hospital, Jodhpur	1	1
24.	Family Planning Centre, Jodhpur	-	1
25.	M. C. W. Centre, Ladnu	-	1
26.	Family Planning Centre. Pali	-	1
27.	Takhatgarh	-	1
28.	Family Planning Centre, Jhalawar	-	1

29. Zenana Hospital, Bundi	-	1
30. Family Planning Centre, Kotah	-	1
31. Banswara Hospital	-	1
32. Family Planning Centre, Banswara	-	1
33. M. C. W. Centre, Banswara	-	1
34. Kushalgarh	-	1
35. Family Planning Centre, Bhilwara	-	1
36. Maternity Hospital, Bhilwara	-	1
37. M. C. W. Centre, Kapasin	-	1
38. M. C. W. Centre, Chittorgarh	-	1
39. Zenana Hospital, Udaipur	-	1
	12	33

शुद्धि-पत्र

(कार्य विवरण दिनांक २५ फरवरी, १९५६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१११०	३	हिदायत नहीं है	हिदायत आई है
१११७	१५ व २८	में	मैं
१११८	१	(डॉ० चन्द्रकला)	(श्री रामकिशोर व्यास)
११२०–२१	शीर्ष	२४ फरवरी	२५ फरवरी
११२५	अन्तिम से ३	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर
११२६–२७	शीर्ष	२४ फरवरी	२५ फरवरी
११३४	अन्तिम से २	Chamba!	Chambal
११४०	अन्तिम से ३	भट्टे कि ज़िक	भट्टे का ज़िक
११५१	२४	की	का
११५७	१०	की कारण	का कारण
११६२	१०	नियमों की	नियमों का
११७४	७	ओर	और
११८५	अन्तिम	कहते	(विलोपित कीजिये)
११८६	१६	को	,, ,,
११९४	२९	स्वामियां	स्वामियां
१२०२	१३	अमी	अम
१२१२	१९	Pessession	Possession
१२१५	शीर्ष	विनेयक	विधेयक
१२२६	११	ओर	और
१२३५	शीर्ष	विधेयक	विधेयक
१२३६–३७	शीर्ष	५६ सु	'सु' विलोपित कीजिये
१२३८	५	जायगी	जायेंगे

१	२	३	४
१२४०	३१	fn the	in the
१२८६	शीर्ष	विचारार्थं	विचारार्थ
१२५५	८	मैं है	में है